पंचम माला, खंड 63, अंक 8, शुक्रवार, 20 अगस्त, 1976/29 श्रावण, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIII, No. 8, Friday, August 20, 1976/Sravana 29, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—683LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, शुक्रवार, 20 अगस्त, 1976/29 श्रावण, 1898 (शक)

No. 8, Friday, August 20, 1976/Sravana 29, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141, 143, 145, 146, 148, 151 से 153 और 157	*Starred Questions Nos. 141, 143, 145, 146, 148, 151, to 153 and 157	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 142, 144, 147, 149, 150, 154 से 156 और 158 से 160	Starred Questions Nos. 142, 144, 147, 149, 150, 154 to 156 and 158 to 160.	17-22
अतारांकित प्रश्न संख्या 1062 से 1068, 1070 और 1072 से 1178	Unstarred Questions Nos. 1062 to 1068, 1070 and 1072 to 1178.	22-79
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	79-81
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	81
बाल दत्तक ग्रहण विधेयक	Adoption Chindren Bill:---	81
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	81
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence . . .	81
सभा का कार्य---	Business of the House . .	82
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	82
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges---	83
18वां प्रतिवेदन	Eighteenth Report adopted	
बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक---पुरःस्थापित	Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Bill---Introduced .	83.

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

2--683LSS/76

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
बर्न कम्पनी एण्ड इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया	Statement *re*. Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisation) Ordinance 1976-laid	83
ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी इण्डियन लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक पुरःस्थापित	Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1976 laid.	84
ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया।	Statement *re*. Braithwaite and company (India) Limited (Acquisition and Tranfer of Undertakings) Ordinance, 1976 laid .	84
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1976-77।	Supplementary Demands for Grants (General), 1976-77 . . .	84
श्री आर० एस० पांडेय	Shri R.S. Pandey . . .	84-85
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	85-87
डा० रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	88
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	88
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	88-89
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	89-90
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	90-93
विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976—पुरः स्थापित	Appropriation (No. 5) Bill, 1976—Introduced	93-96
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	93-96
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	
चर्म खाल आदि के निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution *Re*. Increase in Export Duty on Hides, Skins etc.— . .	96-99
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	96-98
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	98-99
नागालैण्ड के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को लागू करने के बारे में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution *Re*. Continuance in force of Proclmation in respect of Nagaland .	99-101
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	99-100

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	100-101
तमिलनाडु के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प--	Statutory Resolution *Re.* Continuance in force of the proclamation in respect of Tamil Nadu	102-103
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	102-103
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	Committee on Private Members, Bills and Resolutions	
66वां प्रतिवेदन स्वीकृत	Sixty-sixth Report adopted .	103
राष्ट्रीय वन नीति के बारे में संकल्प	Resolution Re. National Forest Policy	103
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha	103-104
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	104-105
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	105-106
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	106-107
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V.K.R. Varadaraja Rao	107-108
श्री डी० के० पन्डा	Shri D.K. Panda	108-109
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	109
श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	109-111
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	112
मुसलमानों के कमजोर वर्ग के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में संकल्प--	Resolution *Re.* Provision of Facilities for Weaker Sections of Muslims	112-115
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	112-114

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 20 अगस्त, 1976/29 श्रावण 1898 (शक)

Friday, August 20, 1976/Sravana 29, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हवाई अड्डों में अग्निशमन सेवाएं

*141. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक उड्डयन समीक्षा समिति ने हवाई अड्डों पर अग्निशमन सेवाओं में सुधार करने के लिये कार्यवाही करने हेतु कुछ सुझाव दिये हैं :

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने नागर विमानन समीक्षा समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को अंतिम रूप देने के विचार से, समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए एक शक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त की है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में गठित नागर विमानन समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री राजबहादुर : जहां तक ब्यौरे का प्रश्न है, मैं मुख्य सिफारिशों का सारांश ही प्रस्तुत कर सकूंगा। शायद यह पहले ही किया जा चुका है। प्रतिवेदन काफी लम्बा चौड़ा है। उसमें अनेक सिफारिशें हैं। आशा है मुझे उन्हें पढ़के सुनाने के लिए नहीं कहा गया था।

श्री राम सहाय पाण्डेय : देश में ऐसे कितने हवाई अड्डे हैं जहां आग लगने की दुर्घटना होने पर उससे निपटने के लिये पूर्ण प्रबन्ध हैं।

श्री राजबहादुर : नागर विमानन महानिदेशालय के अधीन 85 विमान पत्तन हैं जिनमें से 37 का प्रयोग इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा किया जाता है। इस सभी पर आग बुझाने की किसी ने किसी रूप में व्यवस्था की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले अग्निशमन सेवा में सुधार लाने की दृष्टि से आग बुझाने की गाड़ियों के निर्यात के लिए क्रयादेश दिये गये थे जिनके बारे में इस सभा के कई सदस्यों के यह प्रश्न उठाया था कि इस प्रकार की गाड़ियां हमारे यहां के लिए उपयुक्त नहीं हैं तथा विदेशी कम्पनियां इस की बहुत अधिक कीमत मांग रही हैं? क्या यह भी सच है कि इस विषय पर आगे विचार करने तथा छानबीन करने के उपरान्त सरकार भी इस नतीजे पर पहुंची है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की गाड़ियां हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं तथा उनकी कीमत भी बहुत अधिक है?

श्री राजबहादुर : यह सच है कि 20 गाड़ियों के लिए टेंडर मांगे गये थे और उन्हें 1974 में जारी किया गया था। एक तकनीकी समिति गठित की गई। टेंडर इस समिति द्वारा दी गई विशिष्टियों के आधार पर जारी किये गये जब टेंडर प्राप्त हुए तो उनकी समिति ने सचिव की अध्यक्षता में छानबीन की। तब 1974 में अन्ततः मेसर्स कोमिन फर्म को क्रयादेश दिये गये। हमने सभा में तया बाहर उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया। जो टेंडर स्वीकार किये गये तकनीकी समिति ने उन्हें संतोषजनक पाया था। पर ठेके सम्बन्धी बातचीत में काफी समय लग गया क्योंकि कोमिन फर्म ने कई आपत्तियां उठा दी। इसके कारण ठेके को अंतिम रूप देने में लगभग 12 मास लग गये और इसके बाद उन्होंने $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक कीमत की मांग की जो कि हमें स्वीकार नहीं थी। अतः हमने अब पुनः टेंडर जारी किये। टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी छानबीन हो रही है।

तम्बाकू का निर्यात

†4143. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष तम्बाकू का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और कितने तम्बाकू का निर्यात करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान 93.10 करोड़ रुपये के मूल्य की कुल 743 लाख किग्रा गैर-विनिर्मित तम्बाकू विश्व के 40 से भी अधिक देशों को निर्यात की गई। गत वर्ष हमारे प्रमुख क्रेता ब्रिटेन, सोवियत संघ, बंगलादेश, जापान, इटली, आयरिस गणराज्य, नीदरलैंड्स, हंगरी, बल्गारिया, सोमालिया, बैल्जियम तथा फ्रांस थे। इस वर्ष भी निर्यातों का यही स्तर बनाये रखे जाने की संभावना है। आशा है कि निर्यात की मुख्य दिशाएं गत वर्ष के समान ही होंगी।

SHRI JAGANNATH MISHRA : The Minister has stated that during the year 1975-76 a total quantity of 74·3 million Kgs. of tabacco valued at Rs. 93·10 crores was exported. I congratulate him for this encouraging performance. But I would like to know from him the reasons why our export of tabacco has not increased this year which has been a year of no strike in compared to the figures for 1975-76. I would also like to know whether there was any strike in any of the three units of the national Tabacco Ltd., as a result of which report received a setback ? If so, the steps taken or proposed to be taken to bring the situation under control, so as to ensure continued export and earning of foreign exchange.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दो वर्षों से तम्बाकू की फसल कम हो रही है और निर्यात का स्तर भी इसी के अनुकूल रहा। कम्पनी विशेष के बारे में मुझे अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए।

SHRI JAGANNATH MISHRA : I would like to know the items of manufactured tabacco, besides raw tabacco, we export and to which countries as also the foreign exchange we are getting, item-wise ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे पास तम्बाकू और तम्बाकू से बनी चीजों के बारे में जानकारी है। अन्य बातों के लिए अलग सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बी० के० दास चौधरी : जिन देशों को हम अनर्मित तम्बाकू का निर्यात कर रहे हैं उनमें मंत्री जी ने बंगलादेश का नाम भी बताया है। बंगलादेश के लोगों को कूच बिहार के दिन्हारा तम्बाकू का बड़ा शौक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विशिष्ट प्रकार के तम्बाकू के संग्रहण के लिए कार्य सैल था उपयुक्त तालमेल है और यदि नहीं तो क्या इस प्रकार के तम्बाकू की काश्तकारों से उचित कीमत पर एकमुश्त खरीद के लिए तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से कोई प्रबन्ध करने का उनका विचार है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सरकार सभी प्रकार के तम्बाकू का जिसमें बंगलादेश के लोगों को अच्छा लगने वाला तम्बाकू भी शामिल है, निर्यात बढ़ाने का भरसक प्रयास करती है। इसी प्रयोजन के लिए तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की गई है। वर्जीनिया तम्बाकू और संसाधित तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। मशीनें खरीदने प्रयोगशाला उपकरण खरीदने आदि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। हम विदेशी बाजार के मुताबिक ही निर्यात करने की कोशिश करते हैं। ई० ई० सी० के एक दल ने कृषि-व्यवहारों सम्बन्धी कुछ सुझाव दिया है। हम उनका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री त्रिदिव चौधरी : क्या इन आंकड़ों में सिगरेट भी शामिल हैं ? चाहे ये शामिल हों या न हों, क्या आप विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्यात किये गये तम्बाकू की मात्रा बता सकते हैं क्योंकि निर्मित तम्बाकू पर केवल तीन या चार कम्पनियों का एकाधिकार है ? क्या आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे खेद है कि मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : आन्ध्र प्रदेश में सबसे अधिक वर्जीनिया तम्बाकू पैदा किया जाता है। चूंकि तम्बाकू बोर्ड बना दिया गया है, क्या सरकार तम्बाकू का निर्यात इस बोर्ड के माध्यम से करने का विचार रखती है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ? क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तम्बाकू का निर्यात करने की बात सोची जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सरकार का विचार तम्बाकू का निर्यात एक ही एजेंसी के माध्यम करने का नहीं है। तम्बाकू बोर्ड तम्बाकू की न्यूनतम निर्यात कीमत के बारे में सरकार को सुझाव देगा। यह बाजार पर भी नजर रखेगा तथा निर्यात बढ़ाने के संकर्म में सरकार को सलाह देगा।

Import of Copper and Zinc

145. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to stop imports of Copper and Zinc in view of tremendous indigenous production of these metals; and

(b) how much quantity of Copper and Zinc is lying at present in godowns of Minerals and Metals Trading Corporation ?

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYA) : (a) No, Sir.

(b) MMTC has in stock sufficient quantities of these metals to service known requirements of the industry. The position is kept constantly under review and corrective steps are taken as and when necessary.

SHRI M.C. DAGA : Mr. Speaker, Sir, the reply is most statisfactory. Now I would like to know the requirement of Zinc and Copper today or in 1974-75 respectively; the quantity thereof imported and the money paid therefor?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : वर्ष 1976-77 में 55,000 मीटरी टन ताम्बे की जरूरत देश को होगी। इसके मुकाबले 42,000 मीट०ट० का उत्पादन होने की सम्भावना है। 80,000 मी० ट० जिंक की जरूरत होगी और इसका देश में 35,000 मीटरी टन उत्पादन होगा।

जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, तांम्बे की तार छड़ का सी० आइ ए० की मूल्य प्रति मीटरी टन 14,120 है और ताम्बे के थोड़ों का 13,740 है। जिंक के हाई ग्रेड का मूल्य 7,255 है। तथा विशेष हाई ग्रेड का मूल्य 7,355 है। वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए निकासी मूल्य अधिक है। तांम्बे का रिलीग मूल्य 27,450 प्रतिमीटरी टन है और व्यापार के कैथौल्ड का 26,750 प्रति मी० ट०। वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए हाई ग्रेड जिंक का मूल्य 13,935 है और विशेष हाई ग्रेड के लिए 14,085 सी० आई० ए० मूल्य और वास्तविक प्रयोक्ता मूल्य में काफी अन्तर है। इसका कारण देशी उत्पादन और आयातित माल का मूल्य समान रखना है। तांम्बे और जिंक जैसे अलौट धातुओं के आयात पर लगने वाला ऊंचा शुल्क भी इसका एक कारण है।

SHRI M.C. DAGA : May I know the quantity of Zinc and Copper available today in MMTC godowns and the dates from which they have been bying there as also the price at which they were purchased and the price at which you are selling them ?

अध्यक्ष महोदय : शायद यह प्रश्न का (ख) भाग है।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : शायद मैंने प्रश्न के इस भाग का उत्तर दे दिया है। मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी दे चुका हूं। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टाक की घोषणा करना वाणिज्य के हित में नहीं होगा क्योंकि इस पर सहेवागी का खतरा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कोई प्रश्न न पूछें।

श्री राम सहाय पाण्डेय : हमारे देश में सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र में कितने उद्योग जिंक का उत्पादन कर रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि जिंक उद्योग के विस्तार के सम्बन्ध में कोई आवेदन लम्बित है?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने जिंक का उत्पादन करने वाली इकाइयों के नाम तथा उसके उत्पादन की मात्रा पहले ही बता दी है। विस्तार के कार्य से हमारा मंत्रालय सम्बन्धित नहीं है। यह औद्योगिक विकास मंत्रालय का काम है।

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

†146. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की कुछ प्रमुख चाय-कम्पनियों से पाकिस्तान के व्यापारियों ने चाय की सप्लाई के बारे में कोई पूछ-ताछ की है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) यद्यपि सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आशा है कि कलकत्ता तथा पाकिस्तान के चाय व्यापारी आदि व्यापारिक सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सम्पर्क स्थापित कर रहे होंगे । तथापि अभी तक किसी भी निर्यातक ने पाकिस्तान के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने के लिए चाय बोर्ड को नहीं लिखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इन वर्षों जब भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य व्यापार माध्यम बन्द थे तो क्या यह सच है कि पाकिस्तान चाय की अपनी आवश्यकता मुख्यत: श्री लंका और केनिया से पूरी करता था और यदि हां तो, चूंकि अब व्यापार माध्यम खुल गये हैं तो क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि कितनी मात्रा चाय की पाकिस्तान को उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए भेजना सम्भव होगा और इस प्रकार क्या इस बाजार में प्रवेश किया जाये और इसे पूरी तरह से कीनिया और श्री लंका के उत्पादकों के हाथों में न छोड़ा जाये ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है कि क्या पाकिस्तान अपनी चाय की आवश्यकता श्री लंका और कीनिया से पूरी करता रहा है, मेरा उत्तर 'हां' में है। महोदय, पाकिस्तान का विभाजन होने से पूर्व, पाकिस्तान चाय बंगलादेश से आयात करता रहा और शेष विदेशों से मंगाता रहा है। अब दोनों देशों के बीच फिर व्यापार आरम्भ होने के बाद अर्थात् व्यापार आरम्भ होने की प्रत्याशा में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनवरी में पाकिस्तान गया। उस प्रतिनिधि मण्डल में टी० टी० सी० आई० के महा प्रबन्धक को भी शामिल किया गया। उन्होंने सम्भावनाओं का पता लगाया और पाकिस्तानी आयातकों ने इसमें रुचि ली है। हम सम्भावना का पता लगा रहे हैं और इसके परिणाम के प्रति आशाजनक हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चूंकि अब भू-मार्ग से व्यापार खुला है अतः यह आवश्यक नहीं है कि चाय समुद्र से भेजी जाये। यह जमीन से भेजी जा सकती है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि चाय व्यापार निगम अथवा चाय बोर्ड का उत्तरी बंगाल और सिलीगुड़ी में चाय का नये निलाम करने का विचार है ताकि बिना कलकत्ता आये यहां से चाय सीधे जमीन के मार्ग से पाकिस्तान भेजी जाये और इससे छोटे तथा कम लाभ कर चाय बागानों को भी सहायता होगी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार, विशेषरूप से चाय जैसी वस्तुओं के निर्यात के मामले में हम अधिकांशत: भूमि-मार्ग का ही प्रयोग करते रहेंगे। जहां तक सिलिगुड़ी में एक नीलाम केन्द्र खोलने का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ समय लगेगा। यह विचाराधीन है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या वाणिज्यि मंत्रालय के पास अपने विपणन आसूचना प्रभाग के द्वारा यह सूचना होगी कि विभिन्न देशों से पाकिस्तान को आयात की जाने वाली चाय की कुल मात्रा क्या है ? दूसरी बात जो उन्होंने अपने उत्तर में कही है कि पाकिस्तान और कलकत्ता के चाय व्यापारी आदि इसका पता लगायेंगे। चाय के व्यापारियों को केवल कलकत्ता तक सीमित करने का क्या कारण है ? कोचीन, कलकत्ता और गौहाटी में चाय नीलाम केन्द्र हैं। उन चाय व्यापारियों को क्यों शामिल नहीं किया गया ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : शामिल न करने का कोई प्रश्न नहीं है। यह कलकत्ता के ही बारे में प्रश्न था जिसका मैंने उत्तर दिया है। अन्य नीलाम केन्द्र ऐसे ही हैं जैसे कलकत्ता का है। जहां तक पाकिस्तान की चाय का आवश्यकता का सम्बन्ध है, जो कि वे विदेशों से आयात कर रहे हैं, 1974 में

यह 447.2 लाख किलोग्राम थी जबकि 1975 में पाकिस्तान ने 520.3 किलो ग्राम चाय आयात की। यह आयात मुख्यत: श्री लंका और कीनिया से किया गया था।

श्री आर० एन० गोयनका द्वारा कर-अपवंचन

*148 **श्री डी० के० पंडा**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम } : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग ने श्री आर० एन० गोयनका द्वारा दो करोड़ रुपये से अधिक आय पर कर-अपवंचन किये जाने का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और बैंकिंग मंत्री विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

आयकर प्राधिकारियों ने पता लगाया है कि जिन कंपनियों/फर्मों के साथ श्री आर० एन० गोयनका का निकट का संबध है, उन्होंने 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर कर-अपवंचन किया है।

(i) यह पाया गया है कि एक्सप्रेस न्युजपेपर्स (प्रा०) लिमिटेड ने ब्यौरे दिये बिना नकद जमा के रूप में बहियों में जमा की गई लगभग 1.19 करोड़ रुपये की अघोषित आय की वास्तविक प्रकृति को छुपाने के लिये लेखा बहियों, वाउचरों, आदि के रूप में साक्ष्य में जालसाजी का सहारा लिया है। इस जालसाजी में, एक्सप्रेस न्युजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड और आर्क इन्वेस्टमेन्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और निदेशकों के बीच साजिश हुई थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 193 और 196 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अन्तर्गत चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास के समक्ष एक शिकायत दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त ये हैं :—

(1) श्री रामनाथ गोयनका,
(2) श्री आर० एन० गोयनका के पुत्र श्री भगवान दास गोयनका,
(3) श्री भगवान दास गोयनका की पत्नी श्रीमती सरोज कुमारी गोयनका,
(4) श्री ए० एन० शिवरामन्, निदेशक, मैसर्स एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (प्राइवेट)) लिमिटेड,
(5) श्री रामनाथ गोयनका के भाई के पुत्र श्री हरीराम अग्रवाल,
(6) श्री वी० कुप्पूस्वामी, मैसर्स एक्सप्रेस न्युजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मुख्य लेखा अधिकारी, मद्रास,
(7) मैसर्स एक्सप्रेस न्युजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास और
(8) मैसर्स आर्क इन्वेस्टमेंट्स (प्रा०) लि०, मद्रास।

(ii) मैसर्स इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयरों के मूल्य में गिरावट के कारण लगभग 85 लाख रुपये की हानि उठाने पर, इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई)

(प्राइवेट), एक्सप्रेस न्यूजप्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास, इण्डियन एक्सप्रेस (मदुरै) (प्राइवेट) लिमिटेड, आन्ध्र प्रभा (प्राइवेट) लिमिटेड, विजयवाड़ा और उनके निदेशक तथा अन्यों ने "एक्सप्रेस ट्रेडर्स" नाम से एक जाली फर्म बनाई जिससे "पूंजीगत खाते" में हुई उपर्युक्त हानि को व्यापारिक हानि के रूप में दिखाया जा सके। यह फर्म अप्रैल, 1971 के बाद बनाई गई थी, परन्तु दिखाया ऐसा गया कि उपर्युक्त 4 अभियुक्त कम्पनियों की साझीदारी में यह मानों वस्तुत: 1-10-1970 को बनाई गई हो।

इस संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 और 278 के अन्तर्गत, एडिशनल चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, 19वीं कोर्ट, एसप्लेनेड, बम्बई, की अदालत में एक शिकायत दर्ज की गई इस शिकायत में निम्नलिखित अभियुक्त हैं:

(1) श्री राम नाथ गोयनका
(2) श्री आर० एन० गोयनका के पुत्र श्री भगवान दास गोयनका
(3) श्री भगवानदास गोयनका की पत्नी श्रीमती सरोजकुमारी गोयनका
(4) श्री जी० एम० लाड
(5) श्री ए० एन० शिवरामन
(6) श्री अशोक एस० डालमिया
(7) श्री के० एल० शाह
(8) श्री आर० एस० झवेरी
(9) इण्डियन एक्सप्रेस न्युजपेपर (बम्बई) (प्राइवेट) लिमिटेड
(10) एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास
(11) इण्डियन एक्सप्रेस (मदुरै) (प्राइवेट) लिमिटेड, और
(12) आंध्र प्रभा (प्राइवेट) लिमिटेड, विजयवाड़ा।

श्री डी० के० पंडा : विवरण के अनुसार श्री गोंयका जो सबसे बड़े एकाधिकारी गृह के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं के विरुद्ध दो आरोप लगाये गये हैं। इन दो आरोपों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही यह है कि श्री गोंयका के विरुद्ध दो शिकायतें दर्ज की गई थीं यद्यपि उनके विरुद्ध 1965 तथा बहुत पहले से आरोप थे। आरोप धोकाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात, रिकार्ड में हेराफेरी करने तथा कर-अपवंचन के थे। अधिकांश सभी पत्रों में इसका उल्लेख है। जिस को मैं उधृत करता हूं, 'महा गोलमाल आफ महा गोंयका' (महा गोंयका का महागोलमाल)। यह 31 जुलाई, 1976 का है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा किन्तु एक अंश पढ़ने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। उनके अपर एक्सप्रैस समाचारपत्रों के बारे में कम्पनी कार्य के सम्बन्ध में षढ़यंत्र का आरोप लगाया गया था। इस कम्पनी के सम्बन्ध में सरकार ने भी श्री आर०एन० गोंयका को निदेशक मानने से इन्कार कर दिया। तत्पश्चात् श्री गोंयका का मामला अदालत में ले गये फिर हमारी सरकार ने भी इसके विरुद्ध मामला दायर किया। तब सरकार रजामंद हो गई और यह सूचना मिली कि एक पारस्परिक समझौता हो गया है जिसकी घोषणा नहीं की गई।

मेरा तर्क यह है कि 1965 से उनके ऊपर आरोप लगाये गये। यह एक जूट कम्पनी के बारे में थे झूंठे वाउचर (1970), षढ़यंत्र का मामला (मई 1973), पेपर स्टाक का न होना (मार्च, 1976)—श्री भोगेन्द्र झा, इस सभा के एक माननीय सदस्य, ने भी यह प्रश्न उठाया था। इन सब आरोपों के बावजूद जो कि इन महा गोयनका महोदय द्वारा किये गये बहुत ही बुरे तथा आपराधिक कृत्यों के बारे में थे

क्या सरकार केवल दो शिकायतें दायर करके संतुष्ट हो गई है ? मैं उन धाराओं का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिनके अधीन ये शिकायतें दायर की गईं थीं · · ·

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री डी० के० पंडा : मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने जैसा कि एक मामले में यह पूर्व उदाहरण अपनाया है कि एक समझौता किया गया जिसकी घोषणा नहीं की गई, क्या इन शिकायतों में गड़बड़ी करने तथा समाप्त करने में भी वही सिद्धान्त अपनाया जायेगा ? या क्या ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ? क्या सरकार श्री गोयनका के विरुद्ध तत्काल कोई कड़ी कार्यवाही कर रही है । तथा उन्हें जेल में डाल रही है ? दूसरी बात · · ·

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य ने जिस समझौते का उल्लेख किया है मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है । वास्तव में मैंने सभा-पटल पर जो विवरण रखा है उसमें आरोपों सहित विस्तृत उत्तर दिया है । आय कर की ओर से दो शिकायतें मद्रास और बम्बई में दायर की गईं । उनमें हमने जांच पूरी कर दी है । स्वाभवतः इस प्रकार के मामले व्यापक होते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और कम्पनी कार्य विभाग भी इससे सम्बद्ध हैं और वे अपने मामले अलग-अलग ला रहे हैं। जहां तक आय कर का सम्बन्ध है हमने शिकायतें दायर की हैं और उनके विरुद्ध हम कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें कोई गड़बड़ी और समझौते का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षिप्त रूप में कहिए।

श्री डी० के० पंडा : सम्भवतः तथ्यों तथा विवरणों का जो मैंने उल्लेख किया है वे मंत्री महोदय के ध्यान में नहीं आये हैं। अतः उन्होंने · · ·

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न पूछिये ।

श्री डी० के० पंडा : मेरा सीधा प्रश्न यह है कि श्री गोंयका द्वारा कई वर्षों तक आपराधिक कृत्य करने के बावजूद क्या सरकार उन्हें तत्काल जेल में डालने जा रही है और उनके एकाधिकारी गृह को अपने हाथ में ले रही है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक आय कर का सम्बन्ध है मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि लोगों को जेल में डाला जाये।

श्री एस० ए० शमीम : आप उस अधिकार को भी चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद श्री मुरुगनन्तम् यहां नहीं है।

श्री गोस्वामी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय के उत्तरों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अन्यत्र भी मामले ढूंढ़ रही है और वह पहिले ही आयकर के बारे में आरोपों का उत्तर दे रहे हैं और इस संबंध में भी शिकायतें की गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ अनियमितताओं के बारे में श्री आर० एन० गोंयका के विरुद्ध कुछ मामले दायर किये जा चुके हैं और यदि हां तो ये मामले किस स्तर पर निलम्बित हैं और कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों ने स्टे आदेश दे दिये हैं और यदि हां तो उन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक आयकर के दो मामलों का सम्बन्ध है, एक मद्रास के प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में है और दूसरा बम्बई के महानगर मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में है। मद्रास

में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी एक मामला दायर किया और अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में विशेषरूप से इण्डियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। दूसरे मामले में कम्पनी कार्य विभाग जांच कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण में मुझे नेश्नल जूट मिल कम्पनी के मामलों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्या यह सही है कि 1965 में कच्चे जूट की खरीदी गई बड़ी मात्रा के लिए बड़ी रकम की अदायगी वाउचरों में दिखाई गई है जबकि कम्पनी ने काफी कम रकम की अदायगी की है और इससे कर अपवंचन किया गया। इस विशेष मामले में कर अपवंचन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं दिखांई देती हैं।

दूसरी बात यह है कि उसी कम्पनी ने अपने जूट के स्टाक को गिरवी रख कर स्टेट बैंक से बड़ी रकम का ऋण लिया और बाद में यह मालूम हुआ कि वह स्टाक उनके पास नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की कोई जाँच चल रही है। इस प्रकार कई साल बीत रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक नेश्नल जूट मिल का सम्बन्ध है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो उस मामले में जांच कर रही है . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी भी जांच कर रही है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : और उन्होंने अभी पूरी नहीं की है और परिणामस्वरूप कराधान की दृष्टि से कोई भी मामला नहीं दायर किया गया है।

श्री के० मायातेवर : क्या मंत्री महोदय के उत्तर का अर्थ यह है कि भारतीय दण्ड संहिता के अधीन श्री गोयंका और उनकी कम्पनियां सभी प्रकार के अपराध कर सकती हैं और आयकर के सम्बन्ध में भी अधिकांश उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है और इस प्रकार सभी तरह के अपराध किये जा रहे हैं। यहां तक कि तमिलनाडु में उनके समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रैस और दिनामानि तथा दिनामानि कादिर पत्रिका आज भी 20 सूत्री कार्यक्रम के विरुद्ध लिख रहे हैं। क्या इन समाचार पत्रों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा श्री गोयंका और उनकी कम्पनियों के विरुद्ध आंसुका का प्रयोग करने का कोई कार्यक्रम है ? वे 20-सूत्रीय कार्यक्रम के भी विरुद्ध लिख रहे हैं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक समाचार पत्रों के समाचारों का सम्बन्ध है मुझे कराधान् की दृष्टि से कुछ नहीं करना है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री लालजीभाई अनुपस्थित

श्री गंगादेव—भी उपस्थित नहीं हैं।

श्री भोगेन्द्रझा : अध्यक्ष महोदय मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पांच प्रश्नों की अनुमती दी है और सभी प्रश्न सुझाव के रूप में हैं और अभी मंत्री महोदय आगे उत्तर नहीं दे रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कई बार आपका ध्यान आकर्षित करने उठा किन्तु आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में बाहर जाता हूं।

(तत्पश्चात सदस्य श्री भोगेन्द्र झा सभा से उठकर बाहर चले गये)

श्री एस० ए० शामीम : इसे सभा से उठकर बाहर जाना दर्ज किया जाये। आपात कालीन स्थिति के बाद यह पहला सभा से उठकर बाहर जाना है।

यह अकेले सदस्य का अकेले सभा से उठ कर बाहर जाना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। अगला प्रश्न।

बिहार सरकार की ओर बकाया ऋण

*151. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार की ओर राहत अग्रिम धन का कुल कितना ऋण बकाया है; और

(ख) बिहार सरकार ने इस मद के लिये 1974-75 और 1975-76 के दौरान केन्द्रीय सरकार को कितना ब्याज अदा किया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1973-74 के अन्त में राज्य सरकारों पर बकाया उधारों की सारी रकम को एक में मिला कर एक कर दिया गया है। राज्य सरकारें इस रकम के ब्याज की अदायगी और मूलधन की वापसी कर रही है। इस रकम में राज्य सरकारों को दैवी विपत्ति के लिए 31 मार्च 1974 से पहले दिए गए उधार को छोड़ दिया गया है।

चूंकि पहली अप्रैल, 1974 से, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार देवी विपत्ति के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की नीति में परिवर्तन हो गया है, इस लिए अब दैवी विपत्ति का खर्च पूरा करने के लिये राज्यों को केन्द्र से आयोजनाभिन्न सहायता नहीं दी जाती। जहां आवश्यक समझा जाता है, राज्यों को आयोजना कार्यक्रम के नाम को तेज करने के लिए अग्रिम आयोजना सहायता उपलब्ध की जाती हैं, लेकिन ऐसी अग्रिम सहायता का समायोजन राज्यों को पांचवीं आयोजना अवधि में कुल मिलाकर दी गई केन्द्रीय सहायता में कर दिया जाता है।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उसे देखते हुए 1974-75 और 1975-76 के दौरान दैवी विपत्ति के लिए केन्द्रीय उधारों पर बिहार सरकार द्वारा अदा की गई ब्याज की रकम अलग से बताना सम्भव नहीं है।

श्री एन० ई० होरो : विवरण के अनुसार चूंकि नीति में परिवर्तन हो गया है और अब सभी बकाया ऋण समेकित है, इसलिए सरकार इस बारे में अलग से आंकड़े नहीं दे सकती कि बिहार सरकार पर सहायता ऋण कितना बकाया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि विभिन्न ऋणों के समेकित होने के समय कितना ऋण था। और मूलधन तथा ब्याज के रूप में कितना अब तक वापस मिल गया है तथा कितना बकाया है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह सत्य है कि ऋण समेकित किये जा रहे थे और समेकित किये जाने के समय कितना ऋण था, इस बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं : 1973-74 के अंत में बिहार के मामले में समेकित धनराशि 42.79 करोड़ रुपये थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सहायता के लिये थी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह दैवी विपत्तियों के लिये कुल समेकित राशि है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सहायता अग्रिम धनराशि के बारे में है। क्या आपके पास अलग अलग आंकड़े हैं अथवा वे सब इसके साथ समेकित हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : दैवी विपत्तियों के लिये यह समेकित धनराशि है।

श्री एन० ई० होरो : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सहायता अग्रिम राशि अलग है या यह दैवी विपत्तियों की धनराशि में भी शामिल है। क्या आप इसमें अन्तर करते हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दैवी विपत्तियों की सभी अग्रिम धनराशि एक में शामिल कर दी गयी है। 1973-74 के अंत तक की धनराशि मैंने बता दी है।

श्री एन० ई० होरो : बिहार पर मूलधन और ब्याज के रूप में कितनी धनराशि बकाया है ? वह लगभग 42 करोड़ रुपये बतलाती हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं समझती हूं कि कुछ गड़बड़ है। प्रश्न मुख्य रूप से सहायता अग्रिम राशी के रूप में बिहार सरकार पर कुल बकाया ऋण के बारे में है जैसा कि मैंने बताया है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण सहायता ढांचे में परिवर्तन के बाद सहायता के लिये विशेष रूप से ऐसा कोई ऋण नहीं है। यह तो समूची राशि का एक अंश है। हम देखते हैं कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संसाधनों से खर्च पूरा करें और उसकी सीमा भी होती है। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें केन्द्रीय योजना सहायता मिलती है। अतः हम देखते हैं कि विशेष सहायता ऋण जैसी कोई चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको बिहार सरकार पर कुल केन्द्रीय ऋण कितना है उसकी जानकारी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : गत दो वर्षों से बिहार सरकार पर दैवी विपत्तियों की बकाया धनराशि और योजना सहायता...

अध्यक्ष महोदय : वह योजना, सहायता के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। आप प्रति वर्ष राज्य सरकारों को ऋण देते हैं। कुछ 10 वर्षीय और कुछ 20 वर्षीय ऋण होते हैं। प्रति वर्ष कुछ राशि बकाया रह जाती होगी। यदि आपके पास बकाया राशि के आंकड़े हों तो आप बता दीजिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : 1973-74 के अंत में बिहार पर बकाया धनराशि 42.79 करोड़ रुपये थी।

अध्यक्ष महोदय: आपने ये आंकड़े दैवी विपत्तियों के बारे में दिये हैं ! मुझे आशंका है कि जो जानकारी वह चाहते हैं। वह आपके पास नहीं है।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Mr. Speaker, the Question is different, statement made by Government is different and the reply given to by the honourable Minister is also different. I would like to request him to read the question again. In part (b) of the question it has been stated as to how much interest Bihar Government have paid to the Central Government during 1974-75 and 1975-76 on this account ? In reply to this question it has been stated in the statement that in view of what has been stated above, it is not possible to isolate the amount of interest paid by the Bihar Government on central loans for natural calamities during 1974-75 and 1975-76. So you can not isolate the amount of interest. Would you kindly tell us as to how much amount has been given to Bihar Government in 1974-75 as relief ? Because devastating floods occurred in Patna

last year. So I would like to know about the amount given for natural calamity or for relief and may I know whether you have received a statement of expenditure and whether Bihar Government have further asked for some amount for the purpose which government propose to give them?

SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI : I have tried to collect figures and I have some figures. In the case of Bihar as the end of 1973-74 the outstanding amount stood at Rs. 42·79 crores for natural calamity. 1973-74 के अंत में बिहार पर कुल बकाया धनराशि लगभग 700 करोड़ रुपये थी।

Thirdly, there is no separate provision therefor but it is in the form of advance plan assistance so that if forms part of the programme for development. So a provision of Rs. 4 crores has been made in Bihar in 1974-75 and there is a provision of Rs. 975 Lakhs in 1975-76.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अपने विवरण के दूसरे पैरा में मंत्री महोदया ने बताया है :

"अब दैवी विपत्ति का खर्च पूरा करने के लिये राज्यों को केन्द्र से आयोजना भिंन सहायता नहीं दी जाती।"

क्या हम यह मान लें कि चाहे जैसी विपत्ति हो केन्द्र राज्यों को कोई सहायता नहीं देती है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : गैर-योजना खर्च के लिये केन्द्र कोई पैसा नहीं देती है। आशा है कि राज्य सरकार इसकी अपने संसाधन से ही पूर्ति कर सकती है। यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय योजना सहायता के माध्यम से इस की व्यवस्था करती है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि वित्त आयोग की नीति में परिवर्तन के कारण आर्थिक हानि से पिछड़े एंव दैवी विपत्तियों के शिकार राज्य इन विपत्तियों पर होने वाले खर्च को पूरा करने में कठिनाइयां अनुभव करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी राज्यों के बारे में सामान्य प्रश्न नहीं कर सकते। यह प्रश्न बिहार से संबंधित है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि बिहार जैसे राज्यों में विकास कार्यक्रमों पर इस नीति का प्रभाव पड़ेगा। यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते समय इन पर सर्वसम्मति थी। बाद में कुछ राज्यों ने आपत्ति की और सरकार ने इस पर पुर्नविचार, किया। इसलिए यह यह सूत्र आज भी लागू है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

उत्पादन शुल्क में राहत

*152. **श्री के० एम० मधुकर** / **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 43 वस्तुओं पर उत्पादनशुल्क में राहत देने की अपनी योजना की हाल ही में घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके परिणामस्वरूप उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :
(क) से (घ) सदन-पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है।

उत्पादन शुल्क में राहत

*152 **श्री के० एम० मधुकर**
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : विवरण में यह बताया गया है कि योजना 31 मार्च, 1979 तक लागू रहेगी। क्यों ? दूसरे, अधिक उत्पादन की माता बताना संभव क्यों नहीं है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जैसा कि मैंने पहले बताया है, योजना अभी ही लागु हुई है। इसलिय यह बताना संभव नहीं है कि किस हद तक अधिक उत्पादन होगा। 1979 तक की अवधि के सम्बन्ध म वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है। वह देखेंगे कि योजना में किस तरह से कार्य होता है यदि कार्य अच्छा होगा, तो इसका विस्तार किया जा सकता है।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : क्या सरकार उन मामलों में उत्पादशुल्क का पुनरीक्षण करेगी जिनमें वसूली खर्च वास्तविक राजस्व आय से अधिक है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह तो एक काल्पनिक प्रश्न है। मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं ?

तस्करी तथा आर्थिक अपराध रोकने के उपाय

*153 **श्रीमती सावित्री श्याम**
श्री एम० कतामुतु : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तस्करी और आर्थिक अपराध रोकने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से एक नई योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यद्यपि सरकार ने इस प्रकार की कोई नई योजना तैयार नहीं की है, परन्तु तस्करी और अन्य आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए जिम्मेदार केन्द्र तथा राज्यों के विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ट अधिकारियों के बीच परामर्श की व्यवस्था की गयी है।

SHRIMATI SAVITRI SHYAM: Mr. Speaker, Sir, the Honourable Minister has not stated any specific thing in reply to my question. I would, therefore, like to know from him whether it has come to his notice that the State Governments are releasing those economic offenders and smugglers on the information supplied by local intelligence and local authorities after reveiwing thier cases after every fourth month, who should not be released and some of them are being involved. May I know whether the central Government depend entirely on the State Governments or they have their own machinery to supply factual information?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : तस्करी विरोधी कार्यों की जिम्मेदारी भारत सरकार के राजस्व विभाग की है। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत स्पष्ट मार्गदर्शन सिद्धांत दिये हुए हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही नजरबन्द करने वाले प्राधिकारी हैं। जब कभी कोई जानकारी उपलब्ध होती है, तब राजस्व आसूचना निदेशक, प्रवर्तन निदेशक, सीमा शुल्क आसूचना, सीमाशुल्क अधिकारियों, राज्यों के गृह मंत्रालयों और पुलिस अधिकारियों जैसे विभिन्न अधिकारियों के साथ परामर्श करके एक

संयुक्त निर्णय लिया जाता है । जहां तक नजरबंदियों को छोड़ जाने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को स्वतः किसी को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है । हमने मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर दिये हैं और इन्हें उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्यवाही करनी है । हमें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ मामलों में उन्होंने थोड़े समय के लिये कुछ नजरबंदियों को पैरोल पर छोड़ दिया है, जिसके लिये राज्य सरकारों का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और पैरोल पर छोड़ने के ये गलत मामले हैं । ऐसा दो या तीन मामलों में ही हुआ है अधिक में नहीं । हमने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया है ।

SHRIMATI SAVITRI SHYAM : My Second question is this that smuggling is based on craze for foreign articles. So I would like to know as to what measures are being taken by Government to check it permanently ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास तस्करी रोकने के लिए कोई स्थायी हल है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : कल ही मैंने विधेयक पर लम्बी चर्चा की है ।

श्री एम० कताम्तु : तस्करी की समस्या इतनी व्यापक है कि सरकार अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकती । अतः इसके लिए जन-सहयोग आवश्यक है । अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनता की समितियाँ बनाने तथा उन्हें कुछ अधिकार तथा निर्देश देने और उनका सहयोग प्राप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं आर्थिक अपराधों जिसमें तस्करी भी शामिल है के विरुद्ध सशक्त जनमत बनाने सम्बन्धी माननीय सदस्य के सुझावों का स्वागत करता हूं किन्तु मेरे विचार से इस प्रकार की समितियों से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी ।

SHRI NARSINGH NARAYAN PANDEY : In view of the fact that the entire smuggling being indulged in national and international level, cannot be done without the co-operation of the Government officials, whether the honourable Minister will make arrangements to keep a check on the activities of these officials and to find out the real culprits indulging in such activities ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : अधिकारियों की साठगांठ के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं और अब चर्चा का उत्तर देते हुये मैंने कहा था कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी नियन्त्रण अधिनियम न केवल तस्करों पर लागू किया जा रहा है बल्कि कुछ सरकारी अधिकारियों पर भी लागू किया जा रहा है । इन मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध हमने समय से पहले सेवा निवृत्ति, निलम्बन तथा सेवामुक्ति जैसी कार्यवाही की है और मैंने अनेक प्रश्नों के उत्तर में आंकड़े भी दिये हैं ।

रोके गये महंगाई भत्ते की पहली किस्त की अदायगी

*157. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** }
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों और श्रमिकों को अनिवार्य जमा योजना के अधीन रोके गये महंगाई भत्ते की पहली किश्त अदा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि अदा की गई है; और

(ग) रोके गये महंगाई भत्ते की कुल राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अतिरक्त उपलब्धि (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा जमा किए गए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की पहली किस्त की वापसी, जो 6 जुलाई, 1976 को देय हुई थी, शुरू कर दी गई है।

(ख) 6 अगस्त, 1976 तक 13.11 करोड़ रुपए की रकम की वापसी कर दी गई है।

(ग) 6 अगस्त, 1976 तक जमा की गई अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की कुल रकम 1047.34 करोड़ रुपए बैठती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जो माननीय मन्त्री ने नहीं बताया है वह उनके द्वारा बताई गई सूचना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

जब इस सम्बन्ध में अधिनियम बनाया जा रहा था तभी सन्देह व्यक्त किया गया था कि बड़ी बड़ी कम्पनियाँ श्रमिकों की धनराशि जमा नहीं करायेंगी। मैं आज माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह डर सच नहीं निकला और क्या बड़ी बड़ी कम्पनियों के मामले हैं जिन्होंने श्रमिकों से धनराशि लेकर सरकार के पास जमा नहीं कराई है। वास्तव में मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि इन श्रमिकों का क्या होगा। क्या आपने उन मामलों में श्रमिकों को पहली किस्त की अदायगी कर दी है जहां कम्पनियों ने धनराशि सरकार के पास जमा नहीं कराई है ? क्या इन श्रमिकों को वह पैसा वापिस मिलेगा जो उन्होंने दे रखा है। मैं उन कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाली बकाया धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं कि वह कितनी है, क्या सरकार के पास इसका कोई लेखा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया था और सरकार के ध्यान में कुछ मामले आये थे। हमने पाया है कि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त उनमें से कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में है। हमें पता चला है कि कोल (इण्डिया) लिमिटेड तथा इसके सहायक संस्थान भी इसमें शामिल है। इन एककों के बारे में ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया है और यह निर्देश दिये गये हैं कि इन मामलों में अविलम्ब कार्यवाही की जाये। हमें यह भी पता चला है कि कुछ एककों के विरुद्ध मामले चलाये जा रहे है और इन में से 69 एककों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने का अधिकार भी दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में भूराजस्व की बकाया राशि वसूल करने की तरह जिला कलक्टर द्वारा कार्यवाही की जा सकती है अथवा उनके विरुद्ध आपराधिक मामले चलाये जा सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विलम्ब अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य बात न तो सहन की जायेगी और न ही उसकी अनुमति दी जायेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आश्वासन अच्छा है। किन्तु इस आश्वासन देने से पहले कुछ बातें हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर कलकत्ता में जुलाई मास में सरकार को श्रमिक को 185 लाख रुपये वापिस कर देने चाहिये किन्तु केवल 5.4 लाख रुपये ही वापस किये गये हैं। यह वेतन के लिये है। मंहगाई भत्ते के लिये सरकार को 14.1 करोड़ रुपये वापस करने थे और उस पर 6 करोड़ रुपया व्याज की राशि है केवल 40 लाख रुपये की एक छोटी सी धनराशि दी गई है।

इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा ? स्वाभाविक है कि जिन श्रमिकों ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई की थी और उन्हें कम्पनियों को दिया था, उन पर प्रभाव पड़ेगा। अब कुछ बड़ी बड़ी कम्पनियों रूपी मछलियों ने उससे लाभ कमाया है । मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जिन कम्पनियों ने धनराशि जमा नहीं कराई है क्या उसके लिये भी श्रमिकों को पैसे दे देगी और तत्पश्चात अथवा शीघ्र ही उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । इसके लिये श्रमिकों को न भुगतना पड़े । क्या सरकार इस सदन में यह आश्वासन देगी कि वह ऐसा करने जा रहे हैं और जहां धनराशि जमा नहीं कराई गई है उन मामलों में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि बड़ी अथवा छोटी किसी भी कम्पनी को इस धनराशि पर लाभ नहीं कमाने दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त श्रमिक हितों को भी हानि नहीं होने दी जायेगी। जहां तक इस इस धनराशि पर व्याज का सम्बन्ध है अगर उन्हें इस महीने के अन्दर पैसे नहीं मिलते तो उनका व्याज उन्हें अवश्य मिलेगा । अन्तिम मास तक उनको व्याज दिया जायेगा। इस बीच, सरकार इस पैसे को वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं लेती । वास्तव में यह उत्तरदायित्व उन कम्पनियों का है । अतः इस दिशा में हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है । वास्तव में विभिन्न मन्त्रालय की एक बैठक हो चुकी है । निर्देश जारी किये गये हैं ठीक इस सम्बन्ध में कार्य को शीघ्र निपटाया जाये । इस बीच कम्पनियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम में दण्डात्यक व्याज दर की व्यवस्था की जा रही है। यह सभी बातें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार के कहने से ही श्रमिकों ने अपने पैसे दिये । अब माननीय मन्त्री आती हैं और कहती है कि पैसे देने के लिये उनका उत्तरायित्व नहीं है । इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? कौन उत्तरदायित्व लेगा इसका ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने श्रमिकों का धन लिया है । अब आप कम्पनियों को उस धन देने के लिये उत्तरदायी ठहरा रही हैं । यह सडांध भरा कांड है । सरकार को शर्म आनी चाहिये । आप श्रमिक के लिये रोज रोज मगर मच्छी आसूं बहाते हो।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? सरकार पर है।··· **(व्यवधान)**

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार इस सम्बन्ध में हमेशा सचेत है । जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि श्रमिकों को कोई हानि नहीं होगी······

अध्यक्ष महोदय : क्या श्रमिकों को धन देने की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है । इसमें समय पक्ष का बड़ा महत्व है । हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बात पर विचार करना चाहिये.....**(व्यवधान)**

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या मैं इस बात को पूरा कर दूं । यह धनराशि बहुत अधिक है । इसमें कोई घुटाला नहीं है ...... (**व्यवधान**) । हमें इस सम्बन्ध में कोई गलत धारणा नहीं बनने देनी चाहिये । हमने यह धनराशि ली है और यह देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में दिया गया था । इसमें कोई गोलमाल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह है कि पहले माननीय मन्त्री सभी आंकड़े इकट्ठा करें और उन्हें सदन के सभापटल पर रखें कि यह वह कौन सी कम्पनियां हैं जिन्होंने धनराशि वापिस नहीं की है तथा उसके बाद एक कम से कम अवधि नियत कर दे जिसके अन्दर-अन्दर सारी धनराशि वापस कर देनी हो ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस सदन में दिये गये माननीय मन्त्री के व्यक्तव्य से यह स्पष्ट है कि जो धनराशि ली गई है और जो जमा नहीं की गई है उसके लिये सरकार उत्तरदायी नहीं है । अगर यह बात श्रमिकों तक पहुंचती है तो आप स्वयं समझ सकती हैं कि इस पर श्रमिकों की क्या प्रतिक्रिया होगी । मैं उस प्रश्न को दोहराता हूं जो अध्यक्ष महोदय ने आपसे पूछा है कि समय सीमा क्या है । इस महीने की 6 तारीख को यह धनराशि श्रमिकों को वासप होनी थी । उन्हें वापस करने की समय सीमा क्या है ? यदि यह कम्पनी अथवा प्रबन्धकों अथवा सरकार द्वारा नहीं दी जाती है तो श्रमिकों का क्या होगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उन्हें इस बात को आगे बढाने की आवश्कता नहीं है । सरकार इस मामले में बचनबद्ध है और कम से कम समय में हम यह देंखेगे कि उन्हें पैसे मिल जाएं । इसमें कोई कांड की बात नहीं है और ऐसा कहना भी एक अन्याय की बात कहना होगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : चूंकि यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है .... (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस विषय पर लिखें, हम इस पर विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Carpets and Durries

*142. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government export carpets and durries;

(b) if so, the names of the countries with which we have our export trade for these items;

(c) the amount of foreign exchange earned by Government during the last three years, separately; and

(d) the action taken by Government to promote this trade ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) The export of carpets and durries is undertaken by the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd., a subsidiary of the State Trading Corporation of India Ltd.

(b) Handicrafts and Handlooms Exports Corporation's export trade in these items is mainly with West Germany, Switzerland, Austria, Netherlands, the United Kingdom, Italy, France, the United States of America and Japan.

(c) Handicrafts and Handlooms Exports Corporation's export of these items for the last three years were as under :—

(Rs. in Lakhs)

Year	Carpets and Durries
1973-74	174
1974-75	330
1975-76	668

(d) Handicrafts and Handlooms Exports Corporation is the single largest exporter of hand-knotted woolen carpets from the country for the last two years. The Corporation maintains a Carpet Warehousing Depot in the free-port of Hamburg. The services of the Depot are available to the entire carpet exporting community of India.

The Corporation undertakes development of new designs and colour schemes. It is consistently engaged in market intelligence and research so that the demand for Indian carpets is maintained and expanded. Product development is an integral part of the Corporation's activities. The Corporation also renders technical advice to the manufacturers.

The Corporation has been asked by the Government to set up 23 carpet weaving training centres in Jammu and Kashmir State. Out of this, 16 centres have already been set up. The remaining centres would be opened during the course of the current financial year. These training centres will develop into production centres, in due course.

In so far as durries are concerned, the Corporation obtains colour schemes and gets the design plates made to develop non-traditional designs in consultation with its design consultants.

For the Corporation as for private exporters, the usual package of incentives are available from Government. The production based is being strengthened by a massive training programme under which 30,000 weavers are expected to be trained in the next three years.

देहातों में बैंकों का काम अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव देने हेतु कार्य स्थल अध्ययन दल

*144. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देहातों में बैंकों का काम अधिक प्रभावी बनाने के लिये सुझाव देने हेतु कार्य-स्थल अध्ययन दल बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ; और

(ग) क्या देहाती क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं जानने के काम में प्राथमिक ऋण समितियों का सहयोग लिया जायेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां । प्रत्यक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तीन से पांच सदस्यों का एक अग्रणी दल बनाकर, इसे कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । ये दल किसान सेवा समितियों का आरम्भ करने के लिए विकास क्षमता वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे और विचारार्थ बैंकग्राहय परियोजनायें तैयार करेंगे ।

(ग) प्राथमिक सहकारी समितियों को यदि उचित ढंग से सुदृढ़ किया जाए और उन्हें अर्थक्षम बहूद्देशीय सहकारी समितियों अथवा किसान सेवा समितियों में के रूप में पुनर्गठित

किया जाए तो आशा है कि वे ग्रामीण क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमुख अभिकरण बन सकती है। उनका वित्त पोषण या तो सहकारी बैंकों द्वारा अथवा वाणिज्यिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा सकता है।

व्यापारान्तर

*147. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारिया } क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारान्तर की अद्यतन स्थिति क्या है ; और

(ख) गत एक वर्ष में यदि कोई सुधार हुआ है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारत के व्यापार शेष में घाटा 1975-76 में कुछ बढ़ कर 1216 करोड़ रु० हो गया जबकि 1974-75 में यह 1190 करोड़ रु० था। तथापित 1976-77 की पहली तिमाही में (अप्रैल-जून) में 88.5 करोड़ रु० का अधिशेष था जबकि गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान 311.4 करोड़ रु० का प्रतिकूल व्यापार शेष था।

Export of Wool from Rajasthan

*149. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state the quantity of wool exported from Rajasthan to foreign countries during the last three year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : Statistics of wool exports are not maintained State-wise or areaswise but on all India basis.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मैनेजरों के विवेकाधीन अधिकारों के बारे में बैंक आयोग की सिफारिश की क्रियान्विति

*150. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के मैनेजरों को विवेकाधीन अधिकार देने के बारे में बैंक आयोग की सिफारिश लागू की गई है ; और

(ख) बैंकों में प्रशासन की कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रशासन की शिथिलताओं को दूर करने के लिए कई उपाय किये हैं। उन में से प्रमुख उपाया ये हैं :—

(1) निर्णय करने के प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण और शक्तियों का प्रभावकारी प्रत्योयोजन, ऋण-मूल्यांकन का उन्नत तंत्र और बकाया कार्य के निपटान के विशेष अभियानों के द्वारा कार्य निपटाने की गति को तेज करना ;

(2) समय की पाबन्दी, सफाई और अनुशासन को सुनिश्चित करना, सतर्कताप्रक्रिया को सक्रिय करना, कर्मचारियों से अच्छे सम्बन्ध रखना और ओवर टाइम में कमी करना ; और

(3) ग्राहक सेवा की स्वरूप और किस्म में स्पष्ट सुधार को सुनिश्चित करना।

तस्करी की गतिविधियों से चीनी जहाज का संबंध पाया जाना

*154. **श्री के० मालन्ना** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने एक चीनी जहाज 'वागलन आइलैंड' का तस्करी की गतिविधियों से संबद्ध पाये जाने के कारण कोचीन में जब्त कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी के दोषी पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) मेसर्स होंगकोंग आइलेंड शिपिंग कम्पनी हांगकांग के एम० वी० वागलन आइलेंड नामक जलयान को, उसके तस्करी गतिविधियों में लगे होने के कारण कोचीन सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा 21-5-1975 को पकड़ लिया गया था।

(ख) अब तक वागलन आइलेंड जलयान के मास्टर श्री ली० ची० विंग को और श्री स्जे वान चेंग, सेकण्ड बोसम-कम-स्टीवर्ड को तस्करी का अपराधी पाया गया। अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनके बारे में तस्करी में ग्रस्त होने का संदेह है, कार्यवाही विचाराधीन है।

काफी का निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यवाही

*155. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय काफी क अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिश्वनाथ प्रताप सिंह) : भारतीय काफी के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाय गये कदमों में ये शामिल हैं :—

(1) भारतीय काफी को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों में व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(2) विश्व के काफी की पर्याप्त खपत करने वाले देशों में भारतीय काफी के बारे में विदेश व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना।

(3) काफी बोर्ड द्वारा परम्परागत एवं गैर-परम्परागत दोनों बाजारों में काफी के अधिक सीधे निर्यात।

(4) तुरत काफी की शक्ल में काफी का निर्यात।

Inflow of Gold

*156. SHRI BIBHUTI MISTRA : Will the MINISTER OF REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether any steps have taken recently to curb inflow of gold into the country; and

(b) whether Government are preparing any scheme to reduce the people's natural attraction for gold ?

MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) Preventive checks have been intensified all along the sea coast and land borders to curb the inflow of smuggled goods including gold. The preventive and intelligence staff on the Indo-Pak border have been particularly alerted and the check at the international airports intensified against the possible inflow of gold into the country.

(b) Under the Gold Control Act possession of primary gold by any persons is completely banned. Gold articles including coins can not be possessed beyond the prescribed limit of 50 gms. without filing a declaration. These restrictions together with raids by Income Tax authorities act as a factor discouraging people to keep black money in the form of gold.

सोने के जेवरों की अधिकतम सीमा

*158. **श्री बसन्त साठे** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यक्ति/परिवार द्वारा रखे जाने वाले सोने के जेवरों पर अधिकतम सीमा लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की मुख्य बात क्या हैं ; और

(ग) सोना रखने के लोभ को समाप्त करने के लिये क्या अन्य कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति द्वारा शुद्ध सोना रखने पर पूरी रोक लगी हुई है । स्वर्ण की वस्तुएं और स्वर्ण मुद्राएं, बिना घोषणा-पत्र दाखिल किये, 50 ग्राम की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं रखी जा सकती । इन पाबन्दियों और साथ ही आयकर प्राधिकारियों के छापों का यह प्रभाव पड़ता है कि लोग स्वर्ण के रूप में काले धन को रखने के लिए निरुत्साहित होते हैं । मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण पा लिया गया है और बैंकों द्वारा जमाकर्त्ताओं को अदा किये जाने वाले व्याज की दरें हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ गयी हैं ।

देश में पर्यटन

*159. **श्री भाऊसाहेब धामनकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आन्तरिक पर्यटन के संवर्धन के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है :

(ख) लोक संस्कृति और कला द्वारा राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिए देश में पर्यटन का आधार विस्तृत बानने हेतु क्या प्रस्ताव है ;

(ग) किन राज्यों में कितने स्थानों और काम्प्लेक्सों को छुट्टी सैरगाह और पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) अपने देश के पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जायेंगी ताकि निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग भी पर्यटन की ओर आकर्षित हो सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) : पर्यटन विषयक पांचवीं योजना प्रारूप के प्रलेख में दिए गए उत्तरदायित्वों के मोटे तौर पर विभाजन के अनुसार, यह व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र उन प्रायोजनाओं में पूंजी लगाएगा जिनका उद्देश्य मुख्यत : विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना है, तथा राज्य सरकारें अपना ध्यान अंतर्देशीय पर्यटन से संबंधित सुविधाओं का विकास करने पर केन्द्रित करेंगी । अतः अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने तथा देश में अन्य सम्बद्ध सुविधाओं का विकास करने का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है । तथापि, मध्य तथा निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, पर्यटन विभाग देश में पर्यटन महत्व के बहुत से स्थानों पर युवा होस्टलों, पर्यटक बंगलों, वन-लाजों तथा शिविर स्थलों के रूप में, जिनका अंतर्देशीय पर्यटकों द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, अनुपूरक आवास की व्यवस्था कर रहा है ।

भारत पर्यटन विकास निगम की जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, पाचवीं पंच-वर्षीय योजना में भी मध्यम आय वर्गीय पर्यटकों के लिए आधारभूत उपादानों का विस्तार करने पर बल दिया गया है ।

निजी क्षेत्र को भी और अधिक होटल स्थापित करने के लिए,, जिनमें मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिये 3 स्टार वर्ग तथा निम्न वर्ग के होटल भी सम्मिलित हैं, प्रोत्साहित किया जाता है जिनके लिये उन्हें इस प्रकार के विभिन्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं जैसे माली राहतें, संस्थागत ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, जरूरी आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार इत्यादि ।

तस्करी की गतिविधियां

*160. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी की गतिविधियां पश्चिमी तट के बजाय पूर्वी तट पर होने लगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) तस्करी क्रियाकलापों के पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर हटने का अभी तक कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है । लेकिन, पश्चिमी तट पर प्रखर निवारक उपायों के परिणामस्वरूप स्थानपरिवर्तन के प्रयास किये जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता । इसलिए किसी भी संभव दिशापरिवर्तन पर निगरानी रखने के लिए पूर्वी तट पर निवारक और गुप्तचर्या गतिविधियों को तेज कर दिया गया है।

Inter-States Movement of Tourist Vehicles

1062. SHRI MOHAN SWARUP : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether with the exception of Jammu & Kashmir, Sikkim and Dadara Nagar Haveli, all the States have agreed to adopt the Central scheme under which free inter-State movement of tourist vehicles would be allowed and taxes would have to be paid at one place only; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme and the reasons for the disagreement of the aforesaid States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) and (b) The scheme of all India Movement of tourist vehicles on a single point taxation basis has been accepted by all the States except Jammu & Kashmir and Sikkim. The scheme provides for the unhindered movement of tourist vechicles on a single point taxation basis without the need for countersignature of permits and other formalities by the other State Governments.

We are in correspondence with the Government of Jammu & Kashmir in regard to their reasons for their not accepting this scheme. As regards Sikkim, the matter will be taken up after the Motor Vehicles Act, 1939 is extended to that State.

Bank Loans Given to Backward Classes in M.P.

1063. SHRI G. C. DIXIT : Will the MINISTER OF REVENUE & BANKING be pleased to state the names of districts in Madhya Pradesh where nationalised banks have so far advanced loans to the people of backward classes under the 20-Point Economic Programme and the nature of loans given?

MINISTER OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKERJEE) : District-wise information on advances made by the public sector banks under the 20-Point Economic Programme is not being maintained. The banks have, however, been advised to carry out qualitative assessment of the work done in implementing the 20-Point Economic Programme.

The banks have evolved schemes for providing loans to landless labourers, particularly those released from bondage, allottees of surplus land for undertaking land development, for minor irrigation, for construction of houses to those allotted house sites by State Governments and also for under-taking activities allied to agriculture like dairy development, poultry farming, piggery, etc.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का पुनर्गठन

1064. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री **(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Rise in the price of Cotton Yarn

1065. SHRI RAM HEDAOO : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the price of cotton yarn increased by 50 to 60 per cent during the past three months;

(b) if so, the facts in this regard as also the reasons therefore;

(c) whether it has adversely affected Handloom Industry; and

(d) if so, the steps being taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) No., Sir.

(b) & (c) Some increase in the price of yarn has taken place but no significant impact on the handloom industry is noticeable.

(d) Does not arise.

क्रेप कपड़े का उत्पादन

1066. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रेप कपड़े का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिये आरक्षित करने के प्रश्न पर सरकार फिर से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) क्रेप कपड़े का उत्पादन पूर्णतः हथकरघा क्षेत्र के लिये आरक्षित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है तथा आशा है कि जैसे ही मामले की पूरी तरह से जांच हो जायेगी, निर्णय ले लिया जाएगा।

वित्त पोषक एजेंसियों की ब्याज की दर

1067. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विभिन्न वित्त पोषक एजेंसियां विभिन्न ब्याज दर ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ब्याज दर ढांचे का अध्ययन करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सरकार जानती है कि अलग-अलग वित्तीय अधिकरणों द्वारा ब्याज की अलग अलग दरें वसूल की जाती हैं।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज-दरें, सावधिक ऋण देने वाले संस्थानों की अपेक्षा कम हैं। अधिकतर बैंक कार्यकारी पूंजी के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं, अतः वे अपेक्षया ऊंची दर से ब्याज वसूल करते हैं। अलग-अलग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर भी प्रयोजन, ऋण की राशि, ऋण की अवधि, संसाधनों को जुटाने की लागत, आदि की दृष्टि से अलग-अलग है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Enquiries against Chit Fund Companies in Madhya Pradesh

1067. Shri HUKUM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF REVENUE & BANKING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3499 on the 7th May, 1976 regarding Chit Fund Companies functioning in Madhya Pradesh and state :

(a) the names and addresses of 27 chit fund companies operating in Madhya Pradesh;

(b) the number of registered companies among them and the investment made by each of them at present;

(c) whether the enquiry into the complaints about the closing down of Sunita Chit Fund and Finance Private Limited, Indore and Tripend Chit Fund, Jabalpur has since been completed; and

(d) if so, the outcome thereof and the action taken in this regard and the estimated amount found to be misappropriated?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) & (b) The names and addresses and paid up share capital of the 27 chit fund companies, to the extent they are available with the Department of Company Affairs, operating in the State of Madhya Pradesh are set out in the statement attached. [Placed in the library. See No. L.T.—11162/76.] All these compainies were incorporated under the companies Act, 1956.

(c) & (d) Reserve Bank of India have reported that their investigations into the affairs of Triumphant Chit Fund Pvt. Ltd., Jabalpur and the State Government's investigations into Sunita Chit Fund and Finance Pvt. Ltd., Indore are not yet complete. Reserve Bank have also reported that no estimate of the amount allegedly misappropriated by the above companies is at present available with them.

Import of Flint Stones

1070. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the flint stones used in lighters are being imported by India and if so the names of the countries from which these are being imported and the quantity thereof ;

(b) the names of the places in India where flint stones are manufactured and the quantity thereof and whether there is any scheme to meet the requirement of these stones from indigenous sources ;

(c) whether the import of flint stones has increased or decreased as compared to that of last years and the percentage thereof; and

(d) the reasons for the increase or decrease thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) Yes. The quantity of imports of flints for cigarette lighters (for which separate statistics are available) were as under :—

Years	Country	Quantity
		(Kg.)
1974-75	Federal Republic of Germany	109
1975-76	Do.	22

(Figures for April, 1976 and onwards are not yet available.)

(b) There is only one Unit in the small scale sector in Bhavnagar (Gujarat) which manufactures the flint stones. They have started very recently and necessary assistance has been extended to the Unit to import raw material. The capacity of the Unit is about 30 M/Tonnes of flints per annum.

(c) & (d) Imports of flints for cigarette lighters have decreased in 1974-76 over 1974-75 by 79·82% in quantity.

इण्डियन एयरलाइन्स की त्रिवेन्द्रम-बम्बई उड़ान

1072. श्री वयालार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइन्स की त्रिवेन्द्रम-बम्बई उड़ानों पर यात्रियों की भारी भीड़ के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा बम्बई/गोवा/त्रिवेन्द्रम् सैक्टर पर इस समय प्रदान की गयी बोइंग 737 की धारिता यातायात की मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं । तथापि, कारपोरेशन को इस मार्ग पर बढ़ती हुई मांग की जानकारी है तथा वह दिसम्बर 1976 से लागू की जाने वाली समयावली में एक सीधी बम्बई-त्रिवेन्द्रम-बम्बई उड़ान की योजना बना रही है ।

Withdrawal of duty on cotton imports and viscose Staple fibre and Polynosic Fibre

1073. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Goverment have withdrawn customs duty on cotton imports and also additional customs duty on viscose staple fibre and polynosic staple fibre ;

(b) if so, the import figures thereof for 1974-75;

(c) whether the prices of cloth are expected to come down as a result of the benefits accruing to textile industry as a result of withdrawal of the above duty ; and

(d) the quantum of annual import of these fibres at present ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Imports during 1974-75 cotton season were as under :—

Country	No. of Bales (in 180 Kgs. each)
Sudan	17,313
Pakistan	2,00,000

(c) Duties have been withdrawn to reduce the gap between the imported prices and the domestic prices and as such its impact on prices of cloth is expected to be only marginal.

(d) No. quantum of annual imports has been fixed.

ग्राम कोटाली (गुजरात) के निकट एक नई 'सिक्योरिटी पेपर मिल'

1074. श्री **फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बड़ौदा से 8 किलोमीटर की दूरी पर कोटाली गांव के निकट एक नयी सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित स्थान को बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : जी, हां ।

वनस्पति तेल का आयात

1075. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारत में किसी वनस्पति तेल का आयात किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है तथा उसका आयात किन देशों से किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीविश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक इण्डोनेशिया तथा ब्राजील से लगभग 24,000 मे० टन वनस्पति तेलों का आयात किया गया है।

सरकारी एजेंसी द्वारा जूट की प्राप्ति

1076. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जूट का उत्पादन बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने हेतु कि उसका वसूली मूल्य पुन: निर्धारित किया जाये तथा सरकारी मशीनरी को सक्रिय बनाया जाये सरकार ने यह वांछित समझा है कि समूची फसल सरकारी एजेंसी द्वारा खरीदी जाये और किसान और गैर-सरकारी व्यापारियों को बहुत कम मूल्य पर जूट बेचने के लिये विवश न हो; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिय क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) देहाती बाजारों में असम बाटम किस्म के लिये सरकार द्वारा पटसन मौसम 1976-77 के लिये न्यूनतम कानूनी कीमत 135 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। सरकार ने भारतीय पटसन निगम से अनुरोध किया है कि वह कीमत समर्थन सम्बन्धी कार्यवाही करके यह सुनिश्चित करे कि कीमतें कानूनी स्तर से नीचे न गिरें। भारतीय पटसन निगम के कीमत समर्थन कार्य के सम्बन्ध में इस वर्ष धन की उपलब्धता रुकावट साबित नहीं होगी। पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा गहन पटसन जिला कार्यक्रम शुरू किया गया है।

गैर आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में कम्पनी का बनाया जाना

1077. **श्री रानेन सेन**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 40.60 विदेशी पूंजी फार्मूला के आधार पर गैर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में एक नई कंपनी बनाने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) माननीय सदस्य के ध्यान में जो कम्पनी है उसका नाम जाने बिना निश्चित उत्तर देना कठिन है। किन्तु नई भारतीय कंपनियों में निजी विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति देने के बारे में सरकार की नीति बहुत अधिक चयनात्मक है। गैर-प्राथमिकता प्राप्त खपत की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए स्थापित की जाने वाली नई कंपनियों की सामान्य पूंजी में विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती। यदि प्रस्ताव में निर्यात को पर्याप्त रूप से प्रधानता दी हुई हो तो गुणांवगुण के आधार पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार खपत की गैर अत्यावश्यक

खपत वाली वस्तुओं का कारोबार करने वाली विदेशी कंपनी की शाखा से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने को एक भारतीय कंपनी के रूप में बदल ले जिसमें गैर आवासियों की पूंजी का अनुपात 40 प्रतिशत हो।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी ईक्विटी में कटौती

1078. **श्री भान सिंह भौंरा : श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही ऐसी बहुराष्टीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी ईक्विटी शेयर पूंजी घटा कर 40 प्रतिशत कर दी हैं;

(ख) ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी ऐसा करना; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) से (ग) : 31 जुलाई, 1976 तक 55 विदेशी कम्पनियों ने (जैसाकि अनुबंध "क" में दिखाया गया है) (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11163/76) अपने गैर आवासी पूंजी को 40 प्रतिशत कम कर दिया है। 138 विदेशी कम्पनियों के संबंध में (अनुबंध "ख") (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-11163/76)। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें इस शर्त पर अपने क्रियाकलाप जारी रखने की अनुमति दी है कि ये कम्पनियां अपनी पूंजी को 40 प्रतिशत कम कर देंगी। इसके अलावा अनेक मामलों में विदेशी कंपनियों को आशय पत्र भेज दिये गये हैं जिनमें उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे एक निर्धारित अवधि में अपनी गैर आवासी पूंजी में 40 प्रतिशत कमी करें। इसलिए इस अवस्था में कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का सवाल पैदा नहीं होता।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

1079. **श्री राजदेव** सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी, अमरीका तथा ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपतियों, बैंक संचालकों और व्यापारियों का यह विश्वास है कि आपात स्थिति द्वारा उत्पन्न स्थायित्व, एकीय अनुशासन तथा प्रेरणा से भारत न केवल मजबूत बन सकता है अपितु विश्व में आर्थिक रूप से एक सुदृढ़ राष्ट्र बन सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे पारस्परिक लाभ के आधार पर भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने को तैयार तथा उत्सुक हैं; और

(ग) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) आपात कालीन स्थिति के बाद देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विदेशों के व्यापारिक क्षेत्रों में जो अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है और उनके द्वारा जो सराहना की गई है वह सरकार के ध्यान में है। इसलिए जब कभी भी पूंजी लगाने के प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर विदेशी पूंजी लगाने की मौजूदा नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

दिल्ली में शुष्क पत्तन

1080. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या सरकर ने दिल्ली में शुष्क पत्तन स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उसके स्थल के बारे में निर्णय ले लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) शुष्क पत्तन स्थापित करने के बारे में सिद्धान्त रूप में निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) शुष्क पतन के स्थान के वारे में अभी निर्णय किया जाना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कनाडा से आर्थिक सहायता का पुनः आरम्भ होना

1081. **श्री एस० ए० मुग्गनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या कनाडा सरकार भारत को आर्थिक सहायता देना पुनः आरम्भ करेगी जो कि दो वर्ष पूर्व रोक दी गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : 18 मई, 1974 को भारत के शान्तिमय न्यूक्लीय प्रयोग के बाद कनाडा सरकार ने भारत को न्यक्लीय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी है लेकिन बाकी ऐसे क्षेत्रों के संबंध में सहायता जारी रखी है जिनके संबंध में करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तब से कनाडा की नई सहायता खाद्य, रासायनिक खाद और कृषि क्षेत्रों तक ही सीमित रही है । सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें कनाडा द्वारा अन्य क्षेत्रों में सहायता के फिर से दिए जाने का संकेत दिया गया हो ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटल

1082. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों के राज्य वार नाम क्या हैं ; और

(ख) गत दो वर्षों में किन होटलों को लाभ हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) नई दिल्ली स्थित अशोक होटल, अकबर होटल, जनपथ होटल, लोदी होटल तथा कुतब होटल सभी ने 1974-75 तथा 1975-76 के दोनों ही वर्षों में लाभ कमाया । इनके अतिरिक्त, अशोक होटल, बंगलौर ने 1974-75 के दौरान लाभ कमाया तथा रणजीत होटल, नई दिल्ली ने 1975-76 के दौरान लाभ कमाया ।

4—683LSS/76

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों की राज्य वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	होटल का नाम
दिल्ली	अशोक होटल, नई दिल्ली
दिल्ली	अकबर होटल, नई दिल्ली
दिल्ली	होटल जनपथ, नई दिल्ली
दिल्ली	लोधी होटल, नई दिल्ली
दिल्ली	होटल रणजीत, नई दिल्ली
दिल्ली	कुतब होटल, नई दिल्ली
कर्नाटक	होटल अशोक, बंगलौर
कर्नाटक	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर
महाराष्ट्र	औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद
मध्य प्रदेश	खजुराहो होटल, खजुराहो
राजस्थान	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर
उत्तर प्रदेश	वाराणसी होटल, वाराणसी
पश्चिम बंगाल	एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता
केरल	कोवालम होटल, कोवालम
बिहार	होटल पाटलिपुत्र, पटना

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विकास कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन

1083. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **राजस्व** और **बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपने औद्योगिक वित्त तथा विकास कार्यक्रमों पर पुनर्विचार कर रहा है ;

(ख) क्या उक्त बैंक ने इस सन्दर्भ में अनेक नई योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) देश के औद्योगिक विकास के ऐसे क्षेत्रों के लिए और ऐसे तरीकों की सक्रियता से तलाश कर रहा है जो देश के तीव्रगामी औद्योगिक विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। इस सम्बंध में किये गये उपायों में से कुछ संक्षेप में नीचे दिये जा रहे हैं :--

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त योजना को राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले प्रचालकों और पांच लाख नौकरियों की योजना (हाफ ए मिलियन जाब स्कीम) के अधीन प्रायोजित परियोजनाओं के बारे में उदार कर दिया गया है और उसमें जहां कहीं आवश्यक हो, उद्यमकर्त्ता के अंशदान की शर्त हटाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

(2) छोटे पैमाने के उद्योग में गुण के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उन छोटे पैमाने के एककों को, जो भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) का चिह्न प्राप्त करलें, ब्याज दर में 1/2 प्रतिशत की छूट देने का, और परीक्षण एवं किस्म नियंत्रण उपस्करों की खरीद के लिए शत-प्रतिशत पुनर्वित्त देने का निर्णय किया है।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सीमेंट, चीनी और अन्य कुछ इंजीनियरी उद्योगों के लिए रियायती दर पर ऋण देने की एक योजना घोषित की है। सूती कपड़े और जूट उद्योग के विषय में भी अलग से एक योजना की घोषणा-की जाएगी। आशा है बैंक की यह योजना इन उद्योगों के आधुनिकीकरण/प्रति-स्थापन की आवश्यकताओं को आसान शर्तों पर पूरा कर सकेगी।

(4) उद्यमकर्त्ता से सामान्यतया अपेक्षित और उसके द्वारा वास्तव में जुटाये गये अंशदान के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए, साम्या (इक्वीटी) अथवा उदार ऋण के द्वारा, अपनी सहायता के अंश की विशेष क्षेणी में से मूल पूंजी सहायता देने के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सभी राज्य वित्तीय निगमों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये हैं।

(5) पहली जुलाई, 1976 से हुंडी पुनर्भुगतान योजना (बिल्स रेडीस्काउंडिंग स्कीम) के अधीन सहायता की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये कर दी गई है।

कच्चे काजू के आयात के लिए विदेशों के साथ समझौता

1084. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काजू निगम ने अफ्रीकी तथा अन्य देशों के साथ कच्चे काजू के आयात के लिये किन्हीं नये समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) बातचीत में शीघ्रता लाने और समझौते शीघ्र करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। तंजानिया तथा मोजाम्बिक में कम फसल तथा इन देशों द्वारा मांगी गई कीमतों तथा भारतीय काजू निगम द्वारा किफायती समझी गई कीमतों में व्यापक असमानता से उत्पन्न हुई प्रारम्भिक कठिनाइयों के बाद तंजानिया तथा मौजाम्बिक दोनों के साथ पिछली फसल में से आयात करने के लिये अब करार सम्पन्न हो चुके हैं। तंजानिया के साथ, जो कि मुख्य संभरक है, इस सम्बन्ध में हुए समझौते को देखते हुए इस वर्ष 1976-77 फसल की सप्लाई समय पर होने की आशा है।

भारत पोलैंड विमान समझौता

1085. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत-पोलैण्ड विमान समझौत पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। किए गए करार के अनुसार, एयर इंडिया को पोलैंड में वारसा अथा गिडास्क के लिए/से होते हुए सप्ताह में दो सेवाएं परिचालित करने का अधिकार होगा। इसी प्रकार, पौलैंड एयरलाइन 'लाट' को भारत के लिए/से होते हुए सप्ताह में दो सेवाएं परिचालित करने का अधिकार होगा, जिनमें से कम से कम एक सेवा कलकत्ता के लिए/से होते हुए परिचालित की जाएगी, तथा दूसरी बम्बई अथवा दिल्ली के लिए/से होते हुए परिचालित की जाएगी।

तमिलनाडू के लिये हाथकरघा उद्योग योजना

1086. **श्री सरोज मुखर्जी**
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के लिये केन्द्रीय सरकार की छह करोड़ रुपये की हथकरधा उद्योग योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) एरोड तथा कांचीपुरम, (तमिलनाडु) स्थित निर्यात-प्रधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और ये परियोजनाएं काम कब आरम्भ करेंगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं में कितने बुनकरों को नियुक्त किया जायेगा और जब योजना की क्रियान्विति आरम्भ हो जायेगी तब उन्हें क्या लाभ होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) हथकरघा के विकास के लिये विशेष केन्द्रीय योजना की स्कीमों के भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार ने एक गहन विकास परियोजना और एक निर्यात उत्पादन परियोजना का अनुमोदन किया है जिनकी स्थापना तमिलनाडु में की जायेगी। गहन विकास परियोजना एरोड तथा कांचीपुरम में हैं और निर्यात उत्पादन परियोजना करूर में है। इन परियोजनाओं पर संस्थागत वित सहित कुल परिव्यय पांच वर्षों की अवधि में 6 करोड़ रु० होने का अनुमान है—गहन विकास परियोजना पर 5 करोड़ रु० और निर्यात उत्पादन परियोजना पर 1 करोड़ रु०। इन परियोजनाओं के बारे में काम आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) गहन विकास परियोजना में 10,000 करधे शामिल किये जायेंगे और निर्यात उत्पादन परियोजना में 1,000 करधे शामिल किये जायेंगे। आशा है कि बुनकरों को रोजगार का बराबर मिलते रहना सुनिश्चित किया जायेगा और परियोजना अवधि के समाप्ति तक उनकी आय 25 प्रतिशत बढ़ जाने की सम्भावना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

1087. **श्री आर० के० सिन्हा**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण बैंकों की अब तक कुल कितनी शाखाएं खोली गई हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली/स्थित हैं ;

(ख) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में बैंकों के उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ताकि वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकें ;

(ग) ग्रामीण बैंकों का लाभ अधिकतम लोगों को देने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(घ) बैंकों के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रतस्ताव है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जब उन्हें अधिक वेतन दिया जाता है, काम करने से संकोच करते हैं अथवा इंकार करते हैं ?

राजस्व और बैंकिंग प्रभारी विभाग के राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखार्जी) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) की ग्रामीण शाखाओं की मार्च, 1976 के अन्त की (ताजा उपलब्ध) संख्या 7,416 थी। इनके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने जुलाई, 1976 तक 111 शाखाएं खोली हैं। स्थानों के नाम दिये नहीं जा रहे क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और उनका देना उससे प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समति की सिफारिशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किये गये तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम में, जहां तक इन बैंकों का सम्बन्ध है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है।

(ग) कम से कम समयावधि में अधिक से अधिक निर्धन ग्रामीणों की ऋण आवश्यकताएं पूरा करने के उद्देश्य से यह तय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इन लोगों को प्रत्यक्ष ऋण देने के अतिरिक्त बहूद्देशीय ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों के माध्यम से भी ऋण प्रदान किया जाय। यह सुनिश्चित करने के लिये कि अधिक से अधिक ग्रामीण व्यक्ति इन समितियों के सदस्य हों, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे वैधानिक कार्रवाही द्वारा सार्वभौम सदस्यता का कानून लागू करें।

(घ) प्रारम्भ में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी और कार्मचारी, प्रायोजक बैंक से लिये जाते हैं, और प्रश्न में उल्लिखित प्रकार की हिचकिचाहट या अस्वीकृति के किसी मामले की कोई सूचना नहीं मिली है ।

पर्यटकों को बेटला नैशनल पार्क के प्रति आकर्षित करने की योजना

1088. श्री हरि किशोर सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेटला नेशनल पार्क और टाइगर प्रोजेक्ट (बाघ परियोजना) को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों, विशेषकर विदेशों के पर्यटकों, के लिए लोकप्रिय बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) बेटला नेशनल पार्क को वहां और अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए लोकप्रिय बनाने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जहां तक बाघ परियोजना का सम्बन्ध है, यह बाघों तथा अन्य वन्य जीवों की जीव संख्या में हो रही कमी तथा उनके निवासक्षेत्रों की क्षुब्ध परिस्थितियों को पुन: सुधारने के लिये एक संरक्षण योजन है। बेटला नेशनल पार्क को, जोकि 'टाइगर रिज़र्व पाला माऊ' का भाग है, बाघों की निवास-क्षेत्र परिस्थितियों में सुधार किये जाने तथा बाघों की प्राणिसंख्या में पर्याप्त वृद्धि होने के पश्चात ही लोकप्रिय बनाया जा सकेगा।

पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान की स्थापना

1089. **श्री वरके जार्ज :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, हां। एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) संस्थान की योजना इस प्रकार बनायी गयी है कि प्रारंभ में यह पर्यटन उद्योग में विभिन्न प्रबन्धक स्तरों पर पहले से नियुक्त कर्मचारियों के लिये सेवाकालीन 'प्रशासी विकास कार्यक्रम प्रस्तुत' करेगा; यह परामर्शदात्री एवं अनुसंधान सुविधाएं भी प्रस्तुत करेगा; तथा एक 'डाक्यूमेंटेशन सैंटर' भी तैयार करेगा संस्थान पर्यटन उद्योग के विभिन्न अंगों की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों संबंधी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगा।

(ग) सेवाकालीन 'प्रशासी विकास' कार्यक्रमों को उक्त योजना को आवश्यक अनुमति प्राप्त होते ही तथा निधियों के उपलब्ध होने की स्थिति में चालू किया जाएगा।

तैयार चमड़े का निर्यात

1090. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में तयार चमड़े के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार चमड़ा कितनी मात्रा में निर्यात किया गया एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्नाथ प्रताप सिंह) (क) जी हां।

(ख) 1975-76 के दौरान तैयार चमड़े का निर्यात 54.83 करोड़ रु० का हुआ जबकि 1974-75 के दौरान 30.56 करोड़ रु० का था। चालू वित्तीय वर्ष के लिये 100 करोड़ रु० का अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नियंत्रित कपड़ा योजना के कार्यकरण के बारे में किये गये अध्ययन के निष्कर्ष :

1091. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित कपड़ा योजना के कार्यकरण और उसकी वितरण पद्धति के बारे में कोई अध्ययन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या कपड़ा मिलों के मालिकों ने नियंत्रित कपड़े के वितरण की योजना को जान-बूझ कर विफल किया है; और

(घ) क्या कपड़ा आयुक्त के कार्यालय ने नियंत्रित कपड़े के उत्पादन तथा वितरण के बारे में कोई जांच की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) कन्ट्रोल के कपड़े की योजना के कार्यान्वयन पर उत्पादन एवं वितरण दोनों पहलुओं की ृष्टि से निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता रहा है। जहां भी आवश्यक होता है, किस्म उत्पादन दायित्वों तथा वितरण के परीकों में परिवर्तन किये जाते हैं। वस्त्र आयुक्त द्वारा आकस्मिक एवं गहन जांच की जाती है जिससे कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन की क्वालिटी तथा निर्बाध एवं उद्देश्यपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके।

कर्नाटक में धन का स्वैच्छिक प्रकटन

1092. श्री एस० बी० पाटिल : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक में कितने व्यक्तियों ने स्वैच्छिक धन प्रकटन योजना के अन्तर्गत स्वेच्छा से अपना धन बताया है और उनसे कितना धन-कर वसूल हुआ है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक के आयकर आयुक्तों, के अधिकार क्षेत्रों में स्वैच्छिक आय तथा धन प्रकटन अधिनियम, 1976 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत स्वेच्छा से धन प्रकट करने के सम्बन्ध में 583 घोषणायें की गई थीं; 31 जुलाई, 1976 तक 25 लाख रुपये से अधिक का धनकर वसूल किया गया था।

केन्द्रीय उड्डयन स्कूल की स्थापना

1093. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक केन्द्रीय उडड्यन स्कूल की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

तस्करों को पकड़ने के लिये सीमाशुल्क विभाग द्वारा मारे गये छापे

1094. श्री एम० आर० दामाणी : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग ने 1975-76 के दौरान तस्करों को पकड़ने के लिए कुल कितने छापे मारे ;

(ख) पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा वे कुल कितने मूल्य की थीं ; और

(ग) उनका निपटान किस प्रकार किया गया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) तस्करी के माल अथवा अपराध आरोपणीय दस्तावेजों को बरामद करने तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों को पकड़ने के लिये सीमाशुल्क विभाग द्वारा वर्ष 1975-76 में 29,656 छापे मारे गये थे। इन छापों में कलाई घड़ियां, वस्त्र तथा विलासिता की अन्य विविध वस्तुएं पकड़ी गयी जिनका मूल्य 3.47 करोड़ रुपया है।

पकड़े गये माल को जब्त करने के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमान कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

1095. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू-दिल्ली विमान-सेवा पर नियुक्त इंडियन एयरलाइन्स के विमान कर्मचारियों को हाल ही में ईंधन की कमी के लिए आरोप पत्र दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त-विमान कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) 7 जनवरी, 1976 को काठमांडू/दिल्ली सैक्टर पर दो विमान कार्मिकों को अर्थात् विमान पर ड्यूटी पर तैनात एयर क्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियर तथा आई० सी० 414 ए० की उड़ान के कमांडर को चार्ज-शीट किया गया था। एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियर के विरुद्ध जांच अधिकारी की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के विचाराधीन है। कमांडर के विरुद्ध जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

कोका कोला निर्यात निगम का निर्यात

1096. श्री भालजी भाई
श्री रावजी भाई पमार } : **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कोका कोला निर्यात निगम के निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे इस निगम के निर्यातों में गिरावट के कारण का पता चलता हो।

लागत लेखा तथा मानिटरिंग संगठन

1097. श्री सुबोध हंसदा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नकद सहायता और निर्यातकों द्वारा आयात की क्षतिपूर्ति के दावों की छानबीन करने हेतु उनके मंत्रालय का कोई लागत लेखा तथा मानिटरिंग संगठन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : निर्यातक नकद सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति लेने के लिये दावे मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात के कार्यालय के पतन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को भेजते है। ये दावे सरकार द्वारा अधिसूचित पूर्व-निर्धारित दरों पर आधारित होते हैं। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये निर्यातकों को निम्नोक्त कागजात पेश करने पड़ते हैं :—

(क) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित शिपिंग बिल ;

(ख) बैंकों द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित बीजक; और

(ग) बिक्री की रकम की वसूली/बातचीत के समर्थन में बैंक प्रमाणपत्र।

निर्यातकों के दावों को स्वीकार करने से पूर्व उनकी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से यथोचित जांच की जाती है। वे प्राधिकारी इस प्रकार के काम के लिये पर्याप्त रूप से साधन-सम्पन्न तथा अनुभवी होते हैं। दावा निपटाये जाने के पश्चात् लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा भी प्रतिशत जांच परख की जाती है।

कोचीन हवाई अड्डा

1098. श्री ए० के० गोपालन
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे के लिए स्थान का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) एक नए सिविल विमानक्षेत्र के संभावित निर्माण के लिए डाकट्टुवयाल, पुथोट्टा, माईथेड़ा तथा पेरम्बलम् के चार स्थानों पर विचार किया गया था। पहले दो स्थानों के संबंध में, वहां परकटाई, भराई तथा वहां पर खड़ी बाधाओं और संचरचनाओं को हटाने में बहुत अधिक खर्च आयेगा। अतः अब तो माइथेड़ा तथा पेरम्बलम् में से ही एक स्थान का चुनाव करना रहता है। कोचीन के निकट एक नये सिविल विमान क्षेत्र के निर्याण के प्रश्न को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान नौसैनिक विमानक्षेत्र का उसे बोइंग 737 परिचालनों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए विकास किया जा रहा है।

विदेशी कम्पनियों के विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर निर्णय

1099. **श्री भाल जी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 और 29 के अन्तर्गत मैसर्स कोका कोला कारपोरेशन और अन्य विदेशी कम्पनियों के लम्बित आवेदनपत्रों पर निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यण) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत भारत में मौजूदा कार्यकलाप को जारी रखने के लिए प्राप्त 860 आवेदन पत्रों में से भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के पालन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 572 आवेदन पत्रों का निबटारा कर दिया है।

धारा 28 के अन्तर्गत प्राप्त 1,521 आवेदन पत्रों में से भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक 456 आवेदन-पत्रों का निबटान किया है।

काफी आवेदन पत्रों पर जिनमें कोका कोला, निर्यात निगम का आवेदन पत्र भी शामिल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को उपभोग ऋण के बारे में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

1100. **श्री वसन्त साठे**
श्री राम भगत पासवान } : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को उपभोग ऋण के बारे में विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 16 जून, 1976 को हुई बैठक में और बातों के साथ साथ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के वित्तीय प्रभावों और देश में सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत बनाने के लिये किये गये उपयों पर विचार-विमर्श किया। केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से भी उन सिफारिशों पर सलाह ली जो उससे संबंधित हैं। समिति की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा विधिवत् निर्णय किये जाने तक, सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने ग्रामीण निर्धनों को उपभोग ऋण देने के लिये योजनायें तैयार कर ली हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी ग्रामीण निर्धनों की चिकित्सा और शिक्षा

संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादन ऋण के एक अंश के रूप में उपभोग-ऋण प्रदान करने की अनुमति दे दी गयी है।

विशेषज्ञ समिति की उपभोग ऋण विषयक महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार प्रदर्शित करने वाला विवरण

यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ग्रामीण समाज का वह निर्धनतम वर्ग जिसके पास बिल्कुल भूमि नहीं है या 0.01 से 0.50 एकड़ तक की जोत है, से उत्पादन ऋणों से अलग शुद्ध उपभोग ऋणों की भी आवश्यकता होगी। ग्रामीण जनसंख्या का इससे ऊपरी हिस्सा अर्थात जिनकी जोत 0.50 एकड़ से तो अधिक है लेकिन 5 एकड़ से कम है उसे भी उपभोग-ऋण की जरुरत पड़ेगी लेकिन वह अपनी इन उपभोग-ऋण-आवश्यकताओं को उन उत्पादन-ऋणों में से पूरा कर सकेगा जो उसे सहकारी ढांचे से और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से उपलब्ध होगा।

2. इस समिति ने यह महसूस किया कि सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत बनाकर, और क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के दृढ़ निश्चय से, इस दूसरे वर्ग की उपभोग ऋण आवश्यकताओं का बहुत बड़ा भाग मौजूदा प्रचलित उत्पादन ऋण प्रणाली द्वारा पूरा हो जाना चाहिये। इस भूमिका को निभाने के लिये, इस समिति ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदस्यता की सार्वभौमिकता सहित सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत कर बनाने के लिये निर्धारित किये गये उपायों को बिना और विलम्ब किये, लागू किया जाना चाहिए।

3. 'शून्य' जोत वाले और 0.50 एकड़ तक जोत वाले लोगों के वर्गों के ऋण लेने के स्तर विषयक सामान्य अनुभव के आधार पर, इस समिति ने निम्नलिखित उन प्रभोजनों के लिए सिफारिश की है जिनके लिये उत्पादक ऋणों से भिन्न शुद्ध उपभोग ऋण दिये जाने चाहिये और उनकी ऊपरी सीमा भी तय की गई है :—

ऋण की किस्म	ऊपरी सीमा जो निर्धारित की गई है
(क) ऋणकर्त्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के लिये चिकित्सा संबंधी व्यय	250/- रुपये
(ख) स्कूल के लिए शिक्षा व्यय	100/- रुपये
(ग) विवाह के लिए व्यय	250/- रुपये
(घ) मृत्यु संबंधी रस्मों और जन्मोत्सवों के लिए व्यय	75/-रुपये
(ड़) उन परम्परागत धार्मिक उत्सवों के लिए व्यय जो समाज के कुछ वर्गों के लिये अपरिहार्य समझे जाते हैं।	75/-रुपये

4. इस समिति ने 'शून्य' जोत वाले या 0.01 से 0.50 एकड़ तक की जोत वाले ग्रामीण वर्ग के लिये प्रथम वर्ष के वास्ते उनकी शुद्ध उपभोग ऋणों की कुल आवश्यकताओं का हिसाब लगाया और उसे 170 करोड़ रुपये आंका।

5. इस समिति का यह दृढ़ विचार है कि अर्थक्षम एककों में स्थापित प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, कृषक सेवा समितियां, जन जातीय क्षेत्रों की बड़े आकार की बहुद्देशीय समितियां ग्रामीण

समाज के विभिन्न वर्गों के वास्ते उपभोग ऋणों का प्रबंध करने के कार्य को बखूबी निभा सकती हैं ।

6. 170 करोड़ रुपये में से, 70 करोड़ रुपये की उपभोग ऋण आवश्यकतायें सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जायेंगी। यह सिफारिश इस आधार पर की गई है कि उपभोग ऋण प्रदान करने की जिम्मेदारी केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सौंपी जाये, जिनमें पूर्णकालिक वैतनिक सचिव हों ।

7. हालांकि वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जाने वाली राशि का कोई विशिष्ट निर्धारण नहीं किया गया है, परन्तु फिर भी इस समिति ने सिफारिश की है कि इन बैंकों को अपने-अपने ग्राहकों को उपभोग ऋण उसी आधार पर प्रदान करना चाहिए जो सहकारी समितियों के लिये बताया गया है। बैंकों को सहकारी समितियों के प्रयासों में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से कृषक सेवा समितियों अथवा अर्थक्षम बहुद्देशीय समितियों के गठन विषयक अपने कार्यक्रम को भी जारी रखना चाहिए।

8. देश के उन शेष बचे ('ग्रे') क्षेत्रों को जिन्हें बाकी के 100 करोड़ रुपयों से पूरा किया जायेगा, राज्य सरकारों के बजट संसाधनों से पूरा करने की सिफारिश की गई है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकारों को यह राशि जुटाने में कठिनाई पड़ सकती है इसलिए इस समिति ने यह सिफारिश की है कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार इस बारे में शीघ्र ही परस्पर बातचीत करें।

9. आदिवासी क्षेत्रों के लिये समिति ने यह सिफारिश की कि राज्य सरकारों को अपने वन विभाग और अन्य सम्बद्ध विभागों के माध्यम से उन क्षेत्रों में सीधे ही सस्ते मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए जहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं और जहां बड़े आकार की बहुद्देशीय समितियां जल्दी ही नहीं बनाई जा सकती ।

10. क्योंकि उल्लिखित प्रकार के लोगों के वर्गों को शुद्ध उपभोग ऋण देने में काफी खतरा है, इसलिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को उपभोग प्रयोजनों के वास्ते दिये गये ऋणों की कुल राशि के 10 प्रतिशत तक की जोखिम-सीमा-सहायता (रि मार्जिन एसिस्टेंस) दी जानी चाहिए। जोखिम कोष की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर बराबर-बराबर होनी चाहिए ।

11. रोजगार का प्रबंध करना एवं उपभोग ऋणों की वसूली की संयुक्त-समस्या को सुलझाने के लिय, इस समिति ने यह सिफारिश की है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई योजना को आदर्श मानते हुए, अन्य राज्य सरकारों को भी इन कार्यक्रमों में काम करने वाले ऋणकर्ताओं की मजदूरी में से उपभोग ऋणों की वसूली की योजना बनानी चाहिये ।

विदेशी औषध कंपनियों द्वारा कच्चे माल का आयात तथा निर्यात

1101. श्री नानु भाई एन० पटेल
श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
: क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी औषध कंपनियां कच्चे माल के आयात तथा निर्यात के मामले में अधिक राशि के तथा कम राशि के बीजक बनाने का कार्य कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मखर्जी) : (क) और (ख) विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा आयात और निर्यात के न्यून-बीजकांकन अथवा अधिबीजकांकन के विशिष्ट मामलों का जब कभी पता चलता है तो उसकी पूर्ण रूप से जांच-पड़ताल की जाती है और उन पर कानून के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

सिंगापुर में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

1102. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का विकास करने के लिये सिंगापुर को सभी सम्भव सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : **(क) तथा (ख)** सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने हाल के अपने सिंगापुर दौरे के दौरान सिंगापुर के प्राधिकारियों के साथ अपनी बैठक में अधिक घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार विमर्श किया था तथा भारतीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना की सम्भावना का उल्लेख भी किया गया था, जिनमें जटिल प्रौद्योगिकी वाले उद्योग भी शामिल हैं।

भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना सुस्थापित नीति एवं सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार होगा ।

बन्द जूट मिलों को नियंत्रण में लेना

1103. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा 14 जुलाई, 1976 को दिये गय उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया हैं जिसमें उन्होंने बन्द तथा संकट ग्रस्त जूट मिलों को नियंत्रण में लेने तथा उन्हें चलाने के लिए एक राष्ट्रीय जूट निगम की स्थापना का सुझाव दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल राष्ट्रीय पटसन निगम स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

Consumer Loans

1104. SHRI RAM HEDAOO : Will the MINISTER OF REVENUE & BANKING be pleased to state :

(a) the arrangements made for disbursement of consumer loans in villages under the 20-Point Economic Programme, and

(b) the amount of consumer loans disbursed so far in rural areas ?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) The public sector banks have formulated/are formulating schemes to meet a part of the consumption needs of the poorer sections of the village community by linking consumption credit to production credit. The Regional Rural Banks have also been permitted to extend consumption loans linked to labourers, rural artisans, etc., for meeting their medical and educational needs. The primary agricultural credit societies have been permitted by the Reserve Bank of India to advance, from the co-operative's own resources, consumption loans to a non-defaulting member upto 10% of his short-term loan subject to an overall limit of Rs. 250/-.

(b) A part of the short-term loan, known as 'A' component given in cash to meet the labour costs, etc. takes care of a part of the consumption needs of the farmers. However, no separate figures are maintained to show what portion of this 'A' component is actually utilised for meeting the consumption needs. The Regional Rural Banks have recently been instructed to keep separately data relating to the quantum of loan extended as consumption credit to their rural clientele.

रबड़ का निर्यात

1105. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्टेट कोआपरेटिव रबड़ मार्कीटिंग फेडरेशन ने केन्द्रीय सरकार से उत्पादकों द्वारा रबड़ का सीधा निर्यात किये जाने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से यह अनुरोध किया था कि इन्हें सीधे प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने की अनुमति दी जाए और जब राज्य व्यापार निगम रबड़ का निर्यात करे तो ऐसे निर्यातों पर होने वाला लाभ राज्य व्यापार निगम द्वारा उचित कमीशन लेकर उत्पादकों को दिया जाना चाहिए।

सरकार ने रबड़ उत्पादकों को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 3,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने की अनुमति दी थी, और निगम को उस पर नाम मात्र का सेवा प्रभार लेना था। चूंकि वे प्राकृतिक रबड़ का केवल सीमित मात्रा में निर्यात कर सके थे, अतः राज्य व्यापार निगम को अनुमति दी गई कि वह 3,000 मे० टन की समग्र मात्रा के भीतर उपजकर्ताओं को जितनी मात्रा का निर्यात करने की अनुमति है, उसके अलावा अपनी ओर से भी निर्यात कर सकता है।

कच्चे काजू का आयात

1106. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के आयात और उद्योग की आवश्यकताओं की तुलना में इस वर्ष कच्चे काजू का प्रत्याशित आयात बहुत कम होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तंजानिया तथा मोज़ाम्बिक में कम फसल और साथ ही अपने निर्यात योग्य कच्चे काजू के अधिशेषों के लिए वैकल्पिक क्रेताओं को ढूंढने की उनकी नीति की वजह से 1976-77 के दौरान आयात के लिए माल की उपलब्धता में तीव्र कमी हुई है।

दिल्ली में सम्पत्ति का कम मूल्य निर्धारण करने के मामले

1107. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या राजस्व और बैंकिग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पत्ति के अनियमित और कम मूल्य निर्धारण के मामलों का पता लगाने के लिये आयकर अधिकारियों ने हाल में राजधानी में बड़ी इमारतों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) राजधानी में आलीशान इलाकों की वड़ी बड़ी इमारतों का सर्वेक्षण इस वर्ष 28 जून, को शुरु किया गया है। 31 जुलाई, तक जिन इमारतों का सर्वेक्षण किया गया है उन में से जिन मामलों की जांच अब तक की गयी है उन से लगभग 60 लाख रु० के अघोषित निवेश/न्यून मूल्यांकन का अनुमान लगाया गया है।

Consumption and Demand of Cotton

1108. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) the percentage increase in the consumption of cotton as also the demand of mills therefor after the proclamation of emergency;

(b) whether a decision has been taken to import cotton in view of its consumption and demand and the countries from which cotton is proposed to be imported;

(c) whether any scheme is contemplated to make the country self sufficient in cotton in future; and

(d) the countries from which cotton is imported at present indicating the quantum of cotton imported from each country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) After the proclamation of emergency, the consumption of cotton by mills has increased by about 5·7% as compared to the corresponding period in the preceding year.

(b) The Govt. has decided to import 2 lakh bales of cotton this year to improve the availability position. The cotton is proposed to be imported from America, Tanzania, Mexico, Afghaganistan, Turkey, Iran, Greece, U.S.S.R. etc.

(c) In order to make the country self-sufficient in cotton, a comprehensive scheme of Intensive Cotton District Programme is already in operation.

(d) The quantity of cotton actually imported so far during the current cotton season and the name of countries is as under :—

Country	No. of bales imported
Sudan	37,000
Egypt	9,746

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलना

1109. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में ग्रामों को बैंक राष्ट्रीयकरण का लाभ नहीं मिला है तथा अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात राज्य में खोली गई शाखाओं की संख्या बहुत कम है; और

(ख) राज्य में अधिक शाखाएं खोलने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में वाणिज्यिक बैंकों ने, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, कम बैंक वाले क्षेत्रों में और ग्रामीण स्थानों में अधिक संख्या में कार्यालय खोलने के काफी प्रयास किये हैं। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में, विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी शाखाओं का काफी विस्तार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है जो नीचे दिये जा रहे हैं :—

	19-7-69 की स्थिति	30-6-76 की स्थिति	19-7-1976 से 30-6-1976 के बीच कार्यालयों की वृद्धि	
			संख्या	प्रतिशत
वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या	758	1711	953	126
जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालयों की संख्या	233	651	418	179

गुजरात गें प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या का जो औसत राष्ट्रीयकरण से पहिले 34,000 था वह घटकर 30 जून, 1976 को 16,000 हो गया जबकि प्रति बैंक कार्यालय का राष्ट्रीय औसत 26,000 है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जून, 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात में नये कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से पास 132 आबंटन पत्र/लाइसेंस निष्पादन के लिए शेष थे।

Branches of Nationalised Banks Functioning in Foreign Countries

1110. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF REVENUE AND BANKING be pleased to state:—

(a) the names of places abroad where branches of nationalised banks are located and the level at which each branch is functioning from commercial point of view;

(b) since when the London branch of the Punjab Nationl Bank has been functioning there and what are broad particulars of its activities; and

(c) whether some branches of nationalised banks abroad are not able to meet their own expenditure?

THE MINISTER OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKERJEE) : (a) A statement showing the branches and representative offices of Indian banks abroad as on 31st July, 1976 is attached as Annexure. [Placed in in the Library. See No. L.T.-11164/76]

(b) Punjab National Bank has opened a branch in Lodon on 19th July, 1976. This branch has been authorised by the Bank of England to handle all types of banking transactions in Resident Sterling.

(c) All the Foreign Branches have, generally, been able to meet their expenditure, excepting a few.

प्राकृतिक रबड़ फोम कारखानों का बन्द हो जाना

1111. **श्री बयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनो में बड़े और छोटे क्षेत्र दोनों में बन्द हुए प्राकृतिक रबड़ फोम कारखानों की कुल संख्या कितनी है और उनके वन्द हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि प्राकृतिक रबड़ की खपत में परिणामित हानि का केरल में रबड़ उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोलियूराथीन फोम के लिये कच्चे माल का आयात

1112. **श्री बयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पोलियूराथीन फोम तैयार करने के लिये कच्चे माल के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस आयातित कच्चे माल के स्थान पर देशी कच्चे माल, का, अर्थात प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स का प्रयोग किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो पोलियूराथीन फोम के लिये कच्चे माल का आयात करने हेतु कर सम्बन्धी रियायतें और आयात शुल्क में छूट दिये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पोलियूराथीन फोम तैयार करने के लिय कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस केवल रुपया भुगतान क्षेत्र आयात से करने के लिये दिये जाते हैं। जारी किये गये लाइसेंसों का विवरण "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) पोलियूराथीन फोम तैयार करने के लिए प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Import of Polyster and Polynosic Fibres and Ethylene Glycol

1113. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to : (a) whether Government propose to import larger quantity of polyster fibre, polynosic fibre and ethylene glycol during the current year; and

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon in terms of foreign exchange?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTARY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) A decision has been taken to allow imports of polyester fibre, polynosic fibre and viscose fibre to improve the availability of fibres during the current year

(b) It is not possible to estimate the expenditure unless the imports are completed.

Advances by rural agricultural banks in M.P.

1114. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by the rural agricultural banks in Madhya Pradesh during 1975-76;

(b) whether farmers are facing difficulties at present due to the terms and conditions of loans and surety and other provisions; and

(c) whether Government propose to liberalise the terms and conditions of loans and surety provisions?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKERJEE) : (a) The amount outstanding in respect of agricultural advances made by the public sector banks, in Madhya Pradesh as at the end of December, 1975 (latest available) was Rs. 40·07 crores (provisional). Besides, a Regional Rural Bank has also advanced Rs. 10·13 lakhs upto July, 1976.

(b) & (c) Detailed guidelines have been issued by the Reserve Bank to the Banks for financing of agriculture where emphasis has been laid upon the banks moving away from security-oriented lending to purposive, productive and incremental-oriented lending. The basic considerations weighing with the banks are, therefore, the technical feasibility and economic viability of the loan proposal and the consequent repaying capacity of the borrowers. The norms of security and margin have also been significantly relaxed and are determined on the merit of each case. In case of rate of interest, it is charged on the basis of the size of the loan and the land holdings; extending credit at a concessional rate of interest to very small and marginal farmers and agricultural labour.

मिलों द्वारा रुई के जमा स्टाक का बाहर निकालना

1115. श्री वंसत साठे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिलों द्वारा रूई के जमा स्टाक को बाहर निकालने के लिये प्रभावकारी उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस वर्ष कितनी और कितने मूल्य की रूई बाहर निकली ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

(क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) आदेशों के उल्लघंन की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे सरकार द्वारा रूई का वास्तविक अधिग्रहण किया जाना जरूरी होता ।

विवरण

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) 21-4-76 से प्रभावी इंडियन काटन्स के लिए विहित सीमाओं के भीतर भारतीय रूई की लम्बे स्टेपल वाली किस्मों को शामिल किया जाना ।

(2) सहकारी कताई मिलों को छोड़कर सभी मिलों के लिए अनुज्ञेय स्टाक सीमा में एक मास की कमी करना और सहकारी कताई मिलों के सम्बन्ध में डेढ़ मास की कमी करना जो 8-7-1976 से प्रभावी है ।

(3) जिन मिलों के पास अनुज्ञेय सीमाओं से ज्यादा स्टाक पड़े हैं उन्हें यह निदेश दिया गया है कि जब तक भविष्य में खपत करके उनके स्टाक निर्धारित सीमा से कम नहीं हो जाते तब तक वे नई खरीद न करें ।

(4) मिलों तथा व्यापारियों के मामले में रूई के लिए ऋण प्राप्यता का मार्जिन बढ़ाया जाना जो 8-7-1976 से प्रभावी है ।

(5) वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मिलों तथा व्यापारियों के पास स्टाक की गहन जांच ।

(6) 'ए' श्रेणी तथा 'बी' श्रेणी के व्यापारियों को जून, 1976 के अन्त के अपने जमा स्टाक को कम करके 21-8-1976 तक 50 प्रतिशत कर देने का निदेश ।

(7) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे व्यापारियों के पास रूई के स्टाक को निकालने के लिए तत्काल कदम उठाए ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

1116. **श्री विभूति मिश्र : क्या राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1976 के एक स्थानीय दैनिक में "स्ट्रिक्ट वाच आन नेपाल बार्डर फार स्मगलर्स" (नेपाल सीमा पर तस्करी के लिये कड़ी निगरानी) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो और किस प्रकार की सतर्कता बरतने का विचार है ; और

(ग) तस्करी किस हद तक रुक पायेगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत-नेपाल सीमा पर निवारक व्यवस्था को पटना स्थित सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) के एकीकृत नियंत्रण के अधीन कर दिया है। निवारक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती पर विचार किया जा रहा है। सीमा पर गश्त लगाने और निवारक जांच-पड़ताल करने के लिए अधिक गाड़ियों तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। गुप्तचर्या तंत्र को सुदृढ़ बना दिय गया है। सीम शुल्क और राज्य सरकारों के अधिकारियों जैसी विभिन्न प्रवर्तन ऐजेंसियों के बीच अपेक्षाकृत अधिक समन्वय स्थापित करने दिया गया है। सीम पर तस्करी के अवसरों पर रोक लगाने के लिए नेपाल में उचित उपाय करने के निमित्त नेपाल के महा महिम की सरकार के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न उपायों पर बातचीत की जा रही है। तस्करी में लगे संगठित गिरोहों का पता लगाने के लिए गुप्त सूचना को इकठ्ठा करने, उसका विकास करने और उस पर कार्य करने के अतिरिक्त तस्करों की निवारक नजरबंदी भी जोरों से की जा रही है। गुप्तसूचना के आधार पर, सीमावर्ती क्षेत्रों और सीमा के निकट खपत के केन्द्रों, दोनों में छापे मारने और तलाशियां लेने का कार्य तेज कर दिया गया है। यह आशा है कि इन उपायों से भारत-नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी पर प्रभावशाली ढंग से रोक लग जायेगी।

मूंगफली के तेल का निर्यात

1117. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारिया } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के तेल का निर्यात किया जा रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 और 1975-76 में मूंगफली के कितने तेल का निर्यात किया गया ; और

(ग) इसका किन देशों को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : देश में खाद्य तेलों की स्थिति को देखते हुए मूगफली के तेल के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, मार्च 1976 में सरकार ने राज्य व्यापार निगम को कीमत समर्थन उपाय के रूप में 5000 मे० टन मूंगफली का तेल खरीदने का निदेश दिया था। यह मात्रा अप्रैल, 1976 में ब्रिटेन तथा नीदरलैंड को निर्यात की गई थी।

इसके अलावा 1974-75 तथा 1975-76 में क्रमश: 102 तथा 48 मे० टन की थोड़ी-सी मात्रा पड़ौसी देशों अधिकांशत: नेपाल को निर्यात की गई थी।

काफी सम्पदाओं की गणना

1118. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने भारत में काफी सम्पदाओं की गणना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस गणना से क्या मुख्य निष्कर्ष निकले; और

(ग) इससे काफी के उत्पादन का प्रभावकारी ढंग से अनुमान लगाने तथा इसके उपयुक्त विपणन में बोर्ड को क्या सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) (1) लगभग 35,000 काफी बागान अपंजीकृत हैं ।

(2) कर्नाटक तथा तमिलनाडु के दो राज्यों में 1950-51 से 1.58 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र में अधिक उपज वाली रोग प्रतिरोधी नस्ल के पौधों का रोपण किया गया है।

(3) काफी के अन्तर्गत 4.24 लाख एकड़ के कुल क्षेत्र में से लगभग 2.99 लाख एकड़ के बागान सामान्य उत्पादन आयु वर्ग में अर्थात् 5-50 वर्षों के बीच हैं ।

(4) तीन परम्परागत काफी राज्यों में वर्तमान काफी जोतों में काफी की खेती का आगे विस्तार करने हेतु लगभग 1.20 लाख एकड़ क्षेत्र उपलब्ध होने का अनुमान है ।

(ग) गणना से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी से लघु तथा दीर्घावधि उत्पादन आयोजन और काफी के निर्यातों तथा आंतरिक खपत के लिए विपणन नीति बनाने हेतु सांख्यिकीय सामग्री उपलब्ध हुई हैं ।

Sick Jute Mills

1119. SHRI RAMAVATAR SHASTRI
SHRI N.K. SANGHI } : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the number of sick jute mills has been increasing;

(b) whether Government have prepared any scheme for reviving them; and

(c) if so, the salient features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) The Jute in dustry as a whole is not in its best of health now.

(b) & (c) Government have taken, among others, the following measures to improve the viability of the jute industry:

(i) abolition of export duty on all items of jute manufactures,

(ii) grant of liberal assistance for research and development efforts for promoting new uses and reducing cost of production; and

(iii) levy of cess on jute manufactures to finance research and development activities through a Development Council.

रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में तीसरे स्तर का संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे० सी० एम०) परिषद् का गठन

1120. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों में तीसरे स्तर की संयुक्त सलाहकार तन्त्र परिषद् के गठन के नियम क्या हैं ;

(ख) क्या गत कई वर्षों से रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय म वहां बहुमत वाली एसोसिएशन के साथ तीसरे स्तर की संयुक्त सलाहकार तन्त्र परिषद् गठित नहीं की गई ;

(ग) क्या प्रशासन ने 1971 के पश्चात् सेवा एसोसियेशनों के मामले में प्रशासनिक दखल दिया है तथा ग्राल इण्डिया डिफेंस एकाउण्ट्स एम्पलाई एसोसियेशन, पटना शाखा के पदाधिकारियों को किसी न किसी रूप में परेशान किया है;

(घ) क्या कर्मचारियों के वास्तविक हित का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है; ग्रौर

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) संयुक्त सलाहकार तन्त्र योजना के ग्रन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिये परिषदें किसी नियम के ग्रन्तर्गत नहीं बनाई जाती हैं परन्तु संयुक्त परामर्श द्वारा ग्रथवा ग्रनिवार्य विवाचन द्वारा सभी मामलों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक योजना के ग्रन्तर्गत बनाई जाती हैं। कार्यालय परिषदें (तीसरे स्तर) केवल स्थानीय मामलों में ही कार्यवाही करती हैं ग्रौर व्यक्तिगत मामलों में नहीं।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्। विधिवत् नियत परिषद् ने पहली जून, 1975 तक पटना में कार्य किया। विभाग की दो मान्य प्राप्त एसोंशिएशनों से ग्रभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने सभी कार्यालय परिषदों में स्थानों के बटवारे का निर्णय कर लिया है। तद्नुसार पटना की कार्यालय परिषद् का भी पुनर्गठन किया जायगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) जी नहीं, श्रीमन्।

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा लेखा विभाग के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्षेत्रवार स्थानान्तरण

1121. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा महा नियंत्रक रक्षा लेखा विभाग के तृतीय श्रेणी ग्रौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का क्षेत्र-वार स्थानान्तरण करने के लिए एक नीति बना रहे हैं;

(ख) क्या रक्षा लेखा कार्यालयों के विभिन्न नियंत्रकों से सरकारी व्यय पर या ग्रपने व्यय पर ग्रपने-ग्रपने राज्यों की स्थानान्तरण करने के लिए ग्रनेक कर्मचारियों ने स्वेच्छा से कहा है;

(ग) क्या क्षेत्रीय स्थानान्तरण नीति से सरकारी व्यय में काफी कमी होगी; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो ऐसे तृतीय श्रेणी ग्रौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने इसके लिये स्वेच्छा व्यक्त की ग्रौर स्थानान्तरण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों का ग्रखिल भारतीय सेवा दायित्व है ग्रौर भारत के किसी भी स्थान पर उन्हें स्थानान्तरित किया जा सकता है। तथापि, रक्षा लेखा नियंत्रकों को, जिनकी ग्रखिल भारतीय ग्रधिकारिता है यह सुनिश्चित करने हेतु ग्रनुदेश दे दिये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो, तृतीय श्रेणी ग्रौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का क्षेत्र-वार स्थानान्तरण किया जाए।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्। विभाग के कुल कर्मचारियों की तुलना में संख्या अधिक नहीं है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

रक्षा लेखा नियंत्रकों के कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण

1122. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा लेखा नियंत्रकों के कुछ कार्यालयों पर उप-कार्यालयों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करती रही है ;

(ख) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय के कुछ भाग को पटना स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय या उसके कुछ भाग को कलकत्ता पर किसी अन्य स्थान को स्थानान्तरित किया जाना है ; और

(घ) क्या ऐसे प्रस्ताव के क्रियान्वयन में भारी व्यय होने की सम्भावना है और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय को कलकत्ता अथवा अन्य किसी स्थान को स्थानान्तरित नाकरने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम के कुछ भाग, को जो इस समय रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में होता है, कलकत्ता स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है ।

(घ) जी नहीं , श्रीमान् ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम का संशोधन

1123. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कर अपवंचन रोकने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)

(क) और (ख) केरल सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में संशोधन करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं। उन पर, अन्य सभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर के विचार किया जा रहा है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार करार

1124. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ अभी हाल में कोई व्यापारिक करार या समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत तथा सोवियत संघ के बीच 1976-80 तक की अवधि के लिए 15 अप्रैल, 1976 को नई दिल्ली में एक संलेख पर हस्ताक्षर किए गए। संलेख में यह लक्ष्य रखा गया है कि दोनों देशों के बीच सन् 1976 में 830 करोड़ रु० का व्यापार होगा जो 1980 में बढ़कर 930 करोड़ रु० तक पहुंच जायेगा। संलेख के अनुसार भारत सोवियत संघ को चाय, काफी, मसाले, पटसन माल, काजू गिरी, तम्बाकू आदि जैसी परम्परागत वस्तुओं के अलावा गैराज उपस्कर, मोटर गाड़ी सहसाधन एल्यूमिनियम पावर केबल्स, स्टौरेज बैटरियां, ढुलाई कन्टेनर, लकड़ी के विनियर, औषध और भेषज तथा रासायनिक उत्पाद जैसी अपरम्परागत वस्तुओं का भी निर्यात करेगा।

सोवियत संघ भारत को सोवियत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए मशीनों और उपस्कर तथा फालतू पुर्जों तथा संघटकों के अलावा पैट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक गंधक, अलौह धातुएं, जैसे जस्ता, निकल, प्लैटिनम तथा पैलेडियम, अखबारी कागज, एस्बेस्टास, रुई, सूरजमुखी के बीज का तेल सप्लाई करेगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्यात एककों को ऋण

1125. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विचार निर्यात एककों को 300 करोड़ रुपये की राशि का ऋण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास, निर्यात एककों को 300 करोड़ रुपये का ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फसल बीमा

1126. **श्री डी० डी० देसाई**
बसन्त साठे } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम फसल बीमें की कोई योजना तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) इस समय सामान्य बीमा निगम फसल के बीमें की एक स्कीम की जांच कर रही है जो इंडियन स्कूल आफ पोलिटिक्ल इकोनोमी, लोनावाला ने तैयार की है।

(ख) इंडियन स्कूल आफ पोलिटिकल इकोनोमी द्वारा सुझायी गई स्कीम की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :--

(1) फसल बीमा को कृषि ऋण से जोड़ा जाना चाहिए और फसलों के लिए दिए जाने वाले सभी उधार का बीमा होना चाहिए। प्रीमियम फसल के लिए दिए गए उधारों में से काटा जाना चाहिए और बीमा कंपनियों द्वारा चुकाई गई क्षतिपूर्ति की राशियों का समायोजन वसूली में किया जाना चाहिए।

(2) यह किसी भी वर्ष में सभी फसलों के लिए एक संयुक्त स्कीम होगी।

(3) इस स्कीम में व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बजाएं इस अर्थ में क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में उपज औसत से कम हो तो उस क्षेत्र के सभी बीमाशुद्धा कृषकों को एक ही दर से मुआवजा मिलेगा चाहे किसी व्यक्ति की हानि कितनी भी हुई हो।

(4) यह स्कीम उन्हीं क्षेत्रों और फसलों पर लागू होगी जहां पूर्ववर्ती दस वर्षों में फसलें काटी गई हों।

(5) चुने गये प्रत्येक क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती दस वर्षों के फसल कटाई के पिछले आंकड़ों पर आधारित सांख्यिकी प्रणालियों के जरिए गारन्टी शुदा उपज और प्रीमियम की दर, जो उत्पादन के सूचक अंकों की घटा बढ़ी पर निर्भर करती है, का हिसाब लगाया जाएगा।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के लिए एक ही प्रबन्ध बोर्ड

1127. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया के लिए एक ही प्रबन्ध बोर्ड की व्यवस्था करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या इससे संचालन में मितव्ययिता होने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के लिए एक ही प्रबन्धक मंडल (मैनेजमैंट बोर्ड) बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, ऐसे क्षेत्र निर्धारित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जहां समग्र राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए दोनों कारपोरेशनों के बीच और अधिक समन्वयन हो सके।

Tourists' Cottage in Trivandrum

1128. SHRI M.C. DAGA : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Department of Tourism has constructed a cottage for tourists at sea beach in Trivandrum, Kerala;

(b) if so, when and the total expenditure incurred thereon; and

(c) the expenditure incurred on maintenance and administration thereof during 1974-75 and 1975-76 and the revenue earned therefrom ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b) The India Tourism Development Corporation (ITDC) has constructed 40 cottages at Kovalam beach near Trivandrum which were commissioned on 17th December, 1972. This complex is known as the Kovalam Grove.

The total expenditure incurred on the above complex was Rs. 44 lakhs which includes cost of construction and provision of all services like kitchen, dining room, swimming pool, etc.

(c) The expenditure incurred on maintenance and administration and the revenue earned by Kovalam Grove during 1974-75 and 1975-76 are as under:—

(Rs. in lakhs)

Particulars	1974-75	1975-76*
Maintenance.	1·09	1·29
Administration	0·88	1·00
Revenue	14·32	13·11

(*) Provisional and subject to audit.

Expenditure on Tours of Officers of I.T.D.C.

129. SHRI M. C. DAGA : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the names of the countries toured by the officers of India Tourism Development Corporation in 1973-74 and the purpose of these tours as also the achievements made by the Department thereby; and

(b) the expenditure incurred on these tours during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION : (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) During 1973-74 , India Tourism Development Corporation officers visited the United States of America, European Countries, Mexico, Indonesia, Thailand, Singapore, Malasia, Tahiti, Fiji and Hong Kong for participating in Conventions, Conferences and Seminars organised by the Pacific Area Travel Association, American Society of Travel Agents and Australian Federation of Travel Agents, and also for training courses and study-cum-familiarisation tours. In addition to successfully representing India Tourism Development Corporation at the trade functions, the visits have enabled the officers to familrarise themselves with the tourist industry and facilities abroad and also to give publicity to the various India Tourism Development Corporation services. The officers deputed for the training courses have been benefited by the training programmes.

(b) The expenditure incurred on these tours during the last three years is as under :—

Year	Expendiure (Rs. in lakhs)
1973-74	1·27
1974-75	1·37
1975-76	0·99

Inadequate airports for fast rising Traffic

1130. SHRI M.C. DAGA :
SARDAR MOHINDER SINGH GILL : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that airports in the country are inadequate for fast rising traffic and if so, the action being taken by Government in the matter; and

(b) whether Government propose to undertake a scheme to solve these problems and if so by what time and the sources from which the requirements thereof are proposed to be met as also the estimated expenditure involved therein?

THE MINISTER OF TOURISM AND A CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BHADUR) : (a) and (b) The international airports and the domestic aerodromes where scheduled air services are being operated have necessary passenger handling facilities and amenities. Improvement/modernisation of airports to cater to rising traffic is a continuous process and efforts are constantly made to provide and improve facilities consistent with operational requirements and availability of resources.

In so far as development of international airports is concerned, an outlay of Rs. 27·67 crores has been provided in the Fifth Five Year Plan. Construction of new international passenger and cargo terminal complex at Bombay airport at a total cost of Rs. 11 crores has already been sanctioned and work started.

In regard to the development of domestic aerodromes a sum of Rs. 63·29 crores has been provided in the Fifth Five Year Plan. The development works include extension and strengthening of runways to make them suitable for bigger and heavier air craft, improvement of terminal facilities and modernisation of navigational and communication aids.

पटसन उद्योग सम्बन्धी बोस मलिक समिति का प्रतिवेदन

1131. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री रानेन सेन
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग की समस्याओं आ अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई बोस मलिक समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व समिति की सिफारिशों को बताना लोक हित में नहीं होगा ।

'ज्वायंट स्टाक' चीनी फर्मों के लिए ऋण

1132. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वायंट स्टाक चीनी फर्मों को सर्वाधिक ऋण देने के लिए सरकार ने कोई नयी नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, चीनी उद्योग सहित कुछ उद्योगों को उनकी मशीनों और उपकरणों के आधुनीकरण के वास्ते आसान शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध करायेगा ताकि वे उद्योग अपनी उत्पादन-क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि कर सकें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में इच्छुक ऋणकर्ताओं से आवेदन पत्र पर आमंत्रित किये हैं। और जो आवेदन पत्र 15 सितम्बर 1976 तक प्राप्त हो जायेंगे उन पर पहले चरण में विचार किया जायेगा। इस योजना के अधीन चीनी उद्योगों की दी जाने वाली सहायता की पात्रता मानदण्ड के अंतर्गत मोटे तौर पर ये शामिल हैं : धारिता का आर्थिक आकार तक फैलाव, गन्ना विकास में निवेश, थर्मल क्षमता में सुधार और संयत्र का अद्‌र्ध-विद्युतीकरण एवं कारखाने की उन्नति के लिये अथवा वाइलर गृह की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से वर्तमान संयंत्र को बदलना तथा चीनी की किस्म में सुधार।

Bank loans to backward and weaker sections in Rajasthan

1133. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF REVENUE AND BANKIKG pleased to state the names of banks in Rajsathan which have provided financial help to the people belonging to backward and weaker sections since the proclamation of emergency to get her with the break-up of financial assistance provided by each bank?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : Data in respect of advances to backward and weaker sections of the community are not being maintained separate. Usually such persons are covered under the priority sector categories of lending and differentialy rate of interest scheme. The available bank-wise data in respect of these categories in Rajasthan for the period ending June, 1975 and December, 1975 have been set out in the annexure. [Placed in the Library *Sec No.* L.T.-11165/76]

मानसून के उद्‌गम-स्थल और व्यवहार के बारे में अध्ययन

1134. श्री पी० गंगादेव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून का अध्ययन करने के लिये सोवियत जहाज भारतीय जहाजों के साथ शरीक होंगे;

(ख) क्या दोनों अध्ययनों में भारतीय मानसून के उद्‌गमस्थल और व्यवहार के बारे में कुछ जानकारी मिल सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : 1979 में होने वाले विश्व वायुमण्डल अनुसंधान कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक तैयारी के रूप में, जिसके कि अन्तर्गत मौनसून का विस्तृत अध्ययन किया जाना है, यू० एस० एस० आर० के 4 अनुसंधान जहाज तथा भारत के 2 जहाज मई-अगस्त 1977 की अवधि के दौरान अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में मौसम विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान संबंधी प्रेक्षण लेंगे। इसके

अलावा, इस अवधि के दौरान, कतिपय स्थलीय स्टेशनों आदि पर भी प्रेक्षणात्मक कार्यक्रमों को मज़बूत किया जाएगा।

इन अध्ययनों से विश्वसनीय तथा व्यापक आधार पर विशेषतः समुद्री क्षेत्रों पर आंकड़े एकत्रित करना संभव हो सकेगा ताकि मौनसून के संबंध में और आगे अनुसंधान किया जा सके।

अनुसन्धान प्रयोजनों के लिए उपकरण और कच्चे माल के बारे में आयात नीति को उदार बनाया जाना

1135. **श्री पी० गंगादेव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान प्रयोजनों के लिए उपकरण और कच्चे माल के बारे में आयात नीति को चालू वर्ष के दौरान और अधिक उदार बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उदारीकृत आयात-नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(1) सभी अनुसंधान तथा विकास संस्थाएं चाहे वे सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में हों, तथा वे अनुसंधान तथा विकास एकक, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त हैं, केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी अनुसंधान संस्थाएं, विश्व-विद्यालय, आई० आई० टी०, जिनमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदें, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और भारतीय खान विद्यालय, धनबाद और केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की वैज्ञानिक एजेन्सियों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़ कर) अनुसंधान और/अथवा प्रशिक्षण संस्थानों की अनुसंधान प्रयोगशालाएं/संस्थाएं शामिल हैं, बिना आयात लाइसेंस एक लाख रु० मूल्य के प्रति-वर्ष कच्चे माल, संघटक तथा फालतू पुर्जे, वैज्ञानिक यंत्र, उपस्कर, अप्लायंस आदि का आयात कर सकते हैं बशर्ते कच्चे माल, संघटक तथा फालतू पुर्जे, वैज्ञानिक यंत्र आदि की अनुसंधान तथा विकास प्रयोजनों के लिए ज़रूरत हो और कस्टम के ज़रिए माल की निकासी के समय आयातक अनुसंधान तथा विकास एककों द्वारा उस आशय की घोषणा प्रस्तुत की गई हो जिसमें उसी वर्ष के दौरान पहले किए जा चुके आयातों की लागत बीमा भाड़ा कीमत का उल्लेख किया गया हो। ये सुविधाएं कालेजों तथा अन्य संस्थाओं पर लागू नहीं होंगी।

(2) अनुसंधान प्रयोजनों के लिए केवल 1.00 लाख रु० से अधिक मूल्य के संबंध में ही एककों/संस्थानों को आयात लाइसेंस के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से, यदि वे इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एकक हैं, तथा दूसरों के संबंध में प्रायोजित प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन-पत्र भेजना होता है।

(3) जो तकनीकी एवं अनुसंधान, संस्थान विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाएं, जिनमें कालेज तथा संस्थान भी शामिल हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं हैं तथा उपरोक्त पैरा-1 में उल्लिखित उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते वे अपने स्वयं के प्रयोग के लिए वैज्ञानिक संयंत्र, उपस्कर तथा उपकरण आदि आयात कर सकते हैं बशर्ते कि किसी एक ही

समय आयात किये गये ऐसे माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य 5,000 रु० अथवा प्रतिवर्ष एक लाट में 25,000 रु० से अधिक न हो।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा बाजारों पर विशेष ध्यान दिया जाना

1136. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बाजारों पर विशेष ध्यान देने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक पश्चिम एशिया का सम्बन्ध है व्यापार विकास प्राधिकरण की इस क्षेत्र में देशगत अध्ययन करने की योजना है। इस का विचार है कि चुनिन्दा उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यात संभाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए दल भेजे जाएं और इस क्षेत्र से खरीदारों के कतिपय मिशनों को भी आमंत्रित किया जाए।

व्यापार विकास प्राधिकरण अफ्रीकी देशों को निर्यात की संभाव्यता का विश्लेषण करने में भी लगा हुआ है ताकि अल्पावधि और दीर्घावधि नीतियां तैयार की जा सकें। इसका अफ्रीका में चुनिन्दा बाजारों में देशगत अध्ययन शुरू करने का भी विचार है।

तीसरे देशों को होने वाले निर्यात व्यापार के लिए बीमा सुरक्षा

1137. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण और गारंटी निगम का विचार तीसरे देशों को होने वाले निर्यात व्यापार के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) तीसरे देशों में स्थापित की जाने वाली भारतीय 'टर्न की' परियोजनाओं के लिए विदेशों के साथ सह-बीमा योजनाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जो निर्यात अन्य देश के साथ मिलकर तीसरे देशों को किये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में ही सह-बीमा योजनाओं की आवश्यकता होती है। तीसरे देशों को होने वाले निर्यातों के सम्बन्ध में ऐसी संयुक्त निर्यात परियोजनाओं के बीमों की योजनाएं तैयार करने के बारे में निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिये जाने के बाद ही सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए नई योजना

1138. श्री **के० एम० मधुकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित कपड़े के उपयुक्त वितरण के लिये नई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए ऐसी कोई नई योजना नहीं तैयार की गई है। तथापि, वितरण प्रणाली तथा व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया जाता रहता है और जो परिवर्तन आवश्यक तथा संभव समझे जाते हैं, वे किये जाते हैं।

हथकरघा क्षेत्र में निर्यात उत्पादन केन्द्र

1139. श्री के० मालन्ना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाने के लिए स्वीकृत हथकरघा क्षेत्र में सघन विकास परियोजनाओं और निर्यात उत्पादन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 17 गहन विकास परियोजनाएं तथा 19 निर्यात उत्पादन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें गहन विकास तथा निर्यात उत्पादन परियोजनाओं के स्थान दर्शाये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11166/76]** संस्थागत वित्त को छोड़कर पांच वर्ष की अवधि में गहन उत्पादन परियोजना पर 1.85 करोड़ रु० तथा निर्यात उत्पादन परियोजना पर 40 लाख रु० परिव्यय रखा गया है। गहन विकास परियोजनाओं के लिए सहायता के ढांचे के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना पर होने वाले कुल खर्च का 75 प्रतिशत तथा बाकी दो वर्षों के दौरान होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत वित्त पोषण करेगी। निर्यात उत्पादन परियोजना पर 40 लाख रु० का संपूर्ण परिव्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

ग्रामीण बैंकों की सफलता

1140. श्री के० लकप्पा : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण बैंकों को कितनी सफलता मिली है; और

(ख) कितने ग्रामीण बैंक 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं तथा उसके लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अभी तक देश के विभिन्न भागों में 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जा चुके हैं। 1 जून, 1976 की स्थिति के अनुसार तब तक स्थापित 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 125.85 लाख रुपये जमाओं के रूप में जुटाये थे तथा 160.15 लाख रुपये वितरित किये थे। 1 जून, 1976 के बाद खोले गये बैंकों के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इन सभी बैंकों को आदेश दे दिये गये हैं कि अपने से सम्बद्ध 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की बातों को कार्यान्वित करें।

कर्नाटक में दुर्बल वर्गों को बैंक ऋण

1141. श्री के० लकप्पा : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बहुत से बैंक किसानों, शिल्पियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा बेरोजगार युवकों जैसे समाज के दुर्बल वर्गों को इनकी ओर से ज़मानती न मिलने के कारण ऋण मंजूर नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का लाभ उपलब्ध कराने के लिए समाज के इन वर्गों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि कर्नाटक राज्य में बैंक जनता के कमज़ोर वर्गों को ऋण मंजूर नहीं करते हैं क्योंकि उनकी ओर से कोई प्रतिभूति की व्यवस्था नहीं हो पाती है। राष्ट्रीयकरण के बाद से वाणिज्यिक बैंकों ने प्रतिभूति के आधार पर ऋण देने की प्रथा को छोड़ किया है और प्रयोजन के आधार पर, विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों को, ऋण देना आरम्भ कर दिया है। यदि बैंक किसी योजना के गुणावगुणों के विषय में अन्यथा संतुष्ट हो जाएं तो किसी अर्थक्षम योजना के लिए प्रतिभूति अथवा गारण्टी न होने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जाता। जब कभी, किसी व्यक्ति से बैंक ऋण अस्वीकार किये जाने की कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है तो उस मामले के बारे में संबंधित बैंक को लिखा जाता है और आवश्यक होने पर बैंक को उचित सलाह भी दी जाती है।

कर्नाटक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिम, विभेदी ब्याज दर योजना और पांच लाख नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि के दिसम्बर, 1975 के अनन्तिम आंकड़े क्रमशः 191.45 करोड़ रुपये 2.18 करोड़ रुपये और 7.79 करोड़ रुपये थे। किन्तु 20-सूत्री कार्यक्रम के आरम्भ के बाद, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को उदार और रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की विभिन्न योजनाएं बनाई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास

1142. श्री वसन्त साठे : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का आगे विकास करने की योजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका कितना वित्तीय परिव्यय है और प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए पृथक्-पृथक् अन्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के विकास के लिये 27.67 करोड़

रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित मुख्य योजनाओं/प्रायोजनाओं में बम्बई विमान-क्षेत्र पर 11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये अंतर्राष्ट्रीय यात्री व कार्गो टर्मिनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शामिल है। दिल्ली विमान क्षेत्र पर एक नये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स की योजना बनायी जा रही है तथा कार्गो कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है। मद्रास विमानक्षेत्र पर वर्तमान यात्रियों के निपटान सम्बन्धी सुविधाओं में 22 लाख रुपये की लागत से पहले ही सुधार कर दिया गया है तथा लगभग 20 लाख रुपये की लागत से एक नया कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। कलकत्ता विमान क्षेत्र के मुख्य धावन-पथ को 62.97 लाख रुपये की लागत से चौड़ी-बॉड़ी वाले विमानों के परिचालन के योग्य बनाने के लिये मज़बूत कर दिया गया है।

चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 10 करोड़ रुपये की लागत से संचार एवं दिक्चालन-उपकरणों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिय क्रैश फायर टेंडरों की खरीद के लिये 2.10 करोड़ रुपये तथा श्रेणी-II की प्रकाश व्यवस्था के लिए 1.42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

जीवन बीमा निगम द्वारा बट्टे-खाते डाली गई बकाया जमा राशियां

1143. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा बट्टे-खात डाली गई बकाया जमा राशि और बेदावेदार जमा राशि तथा अन्य लेखों के अन्तर्गत राशि 1974-75 में बहुत अधिक हो गई ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन राशि थी ;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम यह महसूस करता है कि इसका कारण अधिक संख्या में फील्ड में ऐजेंटों का कार्य करना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जैसा कि पिछले पांच वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है, जीवन बीमा निगम ने बकाया और गैर दावे की जमा और दावे और दूसरे अन्य खातों की जितनी रकम राजस्व खाते में 1974-75 में वापस डाली वह 1971-72 की अपेक्षा कम थी लेकिन वह उस वर्ष से पिछले दो वर्षों की अपेक्षा कुछ अधिक थी :

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1971-72	4.09
1972-73	2.76
1973-74	2.15
1974-75	2.96
1975-76	2.80

(ग) जीवन बीमा निगम की प्रक्रिया के अनुसार यदि नियमित रूप नियमि खोज करने के बाद भी दावेदार का पता नहीं चलता तो निर्धारित अवधि के बाद, जो दावे के स्वरूप पर

निर्भर करती है, दावे की रकम को राजस्व खाते में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार प्रीमियमों के लिए जमा की गई ऐसी रकमों को, जिनका समायोजन न हुआ हो, 5 वर्ष बाद राजस्व खाते में जमा कर दिया जाता है और अन्य गैर दावे की रकमों को (पालिसी के दावों को छोड़कर), जब पालिसीधारियों से कोई जवाब नहीं मिलता, 4 वर्षों में राजस्व खाते में जमा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रस्ताव

1144. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय करने का विचार है ;

(ख) क्या जुलाई, 1976 में इस बारे में नई दिल्ली में दो दिवसीय विचारगोष्ठी हुई थी ; और

(ग) इसमें क्या सुझाव दिये गये थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग द्वारा किसी विचार-गोष्ठी का आयोजन नहीं किया गया। परन्तु, एक यात्रा पत्रिका द्वारा 19 तथा 20 जुलाई को पर्यटन के संबंध में एक दो-दिवसीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया था। विचार-गोष्ठी की सिफारिशें, यदि कोई थीं, पर्यटन विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार पांचवीं योजना में तैयार किए गए विकास कार्यों के ढांचे के आधार पर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। ऐसे स्थान, जहां केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है, ये हैं : गुलमर्ग, कोवालम, गोवा, आगरा, जयपुर, वाराणसी, मनाली, अमृतसर, औरंगाबाद, एलिफेंटा, चुने हुए बौद्ध केन्द्र, वन्य जीव शरण-स्थल तथा पुरातात्विक महत्व के स्थान।

II. पर्यटन विभाग के अभिवृद्धिपरक कार्यक्रम लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इस संबंध में किये गए मुख्य-मुख्य उपाय निम्न प्रकार हैं :—

1. विदेशों में स्थित 16 कार्यालयों के माध्यम से चलाए गए वृहत् विज्ञापन प्रचार कार्य तथा जन सम्पर्क अभियान।
2. अरबी तथा फारसी सहित विदेशी भाषाओं में पर्यटन प्रचार साहित्य का और अधिक उत्पादन तथा पर्यटन संबंधी रंगीन डाक्युमेंट्री फिल्मों का निर्माण।

3. इंडियन एयरलाइंस द्वारा चालू की गई भारत दर्शन (डिस्कवर इंडिया) टिकटें तथा रेलवे द्वारा चालू की गई 'जहां चाहो घूमो' (ट्रैवल एज़ यू लाइक) टिकटें।

4. प्रवेश करने संबंधी औपचारिकताओं में ढील, जैसे आगमन पर 28 दिन के लिए वैध नाना प्रविष्टियों वाला अवतरण परमिट जारी करना।

5. महत्वपूर्ण पर्यटक-स्रोत मार्किटों के लिए यात्रा उद्योग के अभिवृद्धिपरक दलों की यात्रा, जिनमें पर्यटन विभाग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, भारतीय यात्रा अभिकर्ता संघ, अखिल भारतीय होटल तथा रेस्टोरैंट संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

6. नए होटलों के निर्माण तथा पर्यटक परिवहन बेड़ों में अभिवृद्धि करने के लिए ऋण।

7. निम्न आय वर्गीय पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों तथा शिविर स्थलों का निर्माण।

8. पश्चिम एशिया से पर्यटक यातायात को बढ़ावा देने के लिए कुवैत में एक नया पर्यटक कार्यालय खोलना।

विदेशी सहयोग से स्थापित औद्योगिक संस्थानों द्वारा धन स्वदेश भेजा जाना

1145. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशेषकर पश्चिमी देशों की सहायता से स्थापित औद्योगिक संस्थानों ने स्वदेशों को धन भेज कर भारत की विदेशी मुद्रा रिज़र्व से भारी राशि निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जैसा कि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है, औद्योगिक सहयोग के कारण कुल देनदारी में पश्चिमी देशों को भेजी गई राशियों का अंश काफी अधिक है।

(ग) विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की चयनात्मक नीति जारी है। जिन क्षेत्रों के संबंध में उपयुक्त प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध है, उनमें विदेशी सहयोग की अनुमति आमतौर से नहीं दी जाती और यह अनुमति वहीं दी जाती है जहां ऐसे सहयोग का लक्ष्य निर्यात में संवर्धन करना हो।

विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी कंपनियों द्वारा भेजी गई राशियों के बारे में जो सूचना संकलित की है उसके अनुसार 1973-74 की अवधि के अन्त तक लाभों लाभांशों, तकनीकी सलाह की फीसों और रायल्टियों के रूप में विदेशी सहयोगियों को सीधे ही देय रकम के

श्रांकड़े जो इस समय उपलब्ध हैं नीचे दिए गए हैं। इस विवरण में सभी देशों के साथ-साथ पश्चिमी देशों को देय रकम भी दिखाई गई हैं :—

(करोड़ रुपए)

	सभी देश	पश्चिमी देश
1971-72 .	63.5	56.4
1972-73	68.6	62.3
1973-74 . . .	74.6	65.2

पटसन मिलों में छंटनी के कारण प्रभावित हुए पटसन श्रमिक

1146. **श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के उत्पादन में कमी के कारण 1975 और 1976 में अब तक पटसन मिलों के ज़बरन छुट्टी देने, मिल बन्द करने तथा छंटनी करने से कितने पटसन श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 28 जून, 1976 को उससे ए०आई०टी०यू०सी० और आई०एन०टी०यू०सी० का प्रतिनिधि मण्डल मिला था; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार 1975 में पटसन उद्योग में कोई छंटनी नहीं की गई थी। इस अवधि के दौरान विभिन्न कारणों की वजह से भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए 23 एककों में ज़बरन छुट्टियां की गई थीं। कमी की आशंका तथा इसके परिणाम-स्वरूप बढ़िया किस्मों के कच्चे पटसन को बचाकर रखने की आवश्यकता को देखते हुए जून, 1976 से दो महीनों के लिए उत्पादन का सीमित विनियम लागू किया गया। कालीन अस्तर तथा हैसियन के सम्बन्ध में उत्पादन विनियम 14 जुलाई 1976 से हटा लिया गया। ऐसा पता चला है कि उत्पादन के इस विनियम से पटसन उद्योग में कोई स्थायी अथवा अर्धस्थायी कर्मचारी प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैल्शियम कार्बाइड का निर्यात

1147. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 तक कैल्शियम कार्बाइड का आयात करने वाला देश भारत अब इसका निर्यात करने वाला देश हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैल्शियम कार्बाइड के आयात तथा निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :—

मात्रा : लाख किग्रा में
मूल्य : लाख रु० में

	आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1975-76	—	—	2.6	6.5
1974-75	38.5	119.0	0.1	0.5
1973-74	20.0	24.8	0.2	0.7

रेशम की वस्तुओं का निर्यात

1148. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 में रेशम की वस्तुओं का अब तक सबसे अधिक निर्यात हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह हाल ही के वर्षों का सबसे उच्चतम रिकार्ड है ; और

(ग) वर्ष 1974-75 की तुलना म वर्ष 1975-76 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 38 प्रतिशत।

बहराइच जिले में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन गिरफ्तारियां

1149. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में जुलाई, 1976 में, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारियां की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बहराइच (उत्तर प्रदेश) स्थित शाखा में नकली सोना जमा करने का मामला

1150. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बहराइच (उत्तर प्रदेश) स्थित शाखा द्वारा सोना जमा करने पर कोई ऋण दिया गया था, जो कि बाद में नकली निकला ;

(ख) कितनी धनराशि का ऋण दिया गया था ; और

(ग) क्या धोखेधड़ी के इस मामले में कुछ कर्मचारियों का भी हाथ था ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी बहराइच शाखा द्वारा सोने के ऐसे जेवरात रेहन रखकर कोई ऋण नहीं दिया गया जोकि बाद में नकली पाये गये हों।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सिलिगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) में चाय नीलामी केन्द्र

1151. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में उत्पादित चाय के लगभग 50 प्रतिशत भाग की बिक्री इस समय संकटग्रस्त, उत्पादकों द्वारा नीलामी मार्किट में न लाकर कम मूल्यों पर सीधे की जा रही है ;

(ख) क्या वर्तमान प्रणाली के परिणाम स्वरूप उत्पादकों को भारी हानि हो रही है ; और

(ग) क्या उक्त उत्पादकों ने केन्द्रीय सरकार से सिलिगुड़ी में एक नीलाम केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1975 के दौरान पश्चिम बंगाल की चाय का लगभग 40 प्रतिशत भाग नीलामी के लिए भेजे बिना ही बागानों पर ही बेच दिया गया। बागानों पर हुई इस प्रकार की बिक्री की कीमतों के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उत्पादक अपनी चाय भारत में खपत के लिए अथवा निर्यात हेतु बिक्री के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। बागानों पर बिक्री करने की मुख्य वजह यह है कि नीलामियों के माध्यम से बिक्री में लगने वाले समय की तुलना में बागानों पर बिक्री करने से माल जल्दी बिक जाता है तथा बिक्री की रकम की वसूली थोड़े समय में ही हो जाती है।

(ग) कुछ उत्पादकों ने सिलीगुड़ी में एक नीलामी केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है ताकि चाय की बिक्री के लिए एक अन्य माध्यम की व्यवस्था की जा सके और इस प्रकार बिक्री तथा बिक्री की रकम की वसूली में होने वाले बिलम्ब को कम किया जा सके। भारत में चाय की नीलामी संबंधित चाय व्यापारी एसोसिएशनों, जिनके सदस्य विक्रेता, क्रेता तथा दलाल होते हैं, के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत की जाती है। आवश्यक

अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, किसी उचित स्थान पर नये नीलामी केन्द्र की स्थापना के बारे में फैसला करना उत्पादकों तथा व्यापारियों का काम है।

पश्चिम बंगाल में चाय बागान

1152. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस समय 9 चाय बागान बन्द पड़े हैं तथा सात रुग्ण अवस्था में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उनको अपने अधिकार में लेना अथवा राज्य सरकार को सहायता देना वांछनीय समझती है जिनसे उन्हें पुनः चालू लिया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1975 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार प० बंगाल में करीब 26 संकटग्रस्त/बन्द पड़े चाय बागान हैं। जिन चाय बागानों के संबंध में जांच-पड़ताल/अधिग्रहण के विषय में विचार किया जा सकता है, उनको अभिज्ञात करने और उनके बारे में जानकारी एकत्र करने का काम आरम्भ कर दिया गया है।

बिहार को 1976-77 में केन्द्रीय सहायता

1153. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी**
श्री चन्द्र शेखर सिंह } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 में केन्द्र द्वारा बिहार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बहुत कम है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने अधिक वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार बिहार को अधिक धन आवंटित कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चालू वर्ष में बिहार की 242.04 करोड़ रुपए की स्वीकृत राज्य आयोजना के खर्च के लिए 77.55 करोड़ रुपए की कद्रीय सहायता निर्धारित की गई है।

(ख) और (ग) 1976-77 की वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, बिहार सरकार ने योजना आयोग से स्वीकृत आयोजना परिव्यय में 37 करोड़ रुपए की वृद्धि कर देने का अनुरोध किया था। आयोजना परिव्यय को जारी रखने के लिए उपलब्ध साधनों को देखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है ।

केरल में कृषि उद्योगों के लिए बैंकों से ऋण

1154. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत दो वर्षों में केरल में कृषि उद्देश्यों के लिये ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी ; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिय राज्य में ऋण मंजूर किये गय हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केरल में कृषि के लिए दिय गये अग्रिमों की बकाया राशि नीचे दी जा रही है :—

(लाख रुपय)

	बकाया राशि*
जून, 1974	2094.90
जून, 1975	2682.41
दिसम्बर, 1975	3808.73

*अनन्तिम

(ख) सामान्यतया, प्रत्यक्ष कृषि-ऋण फसलों के उत्पादन, सिंचाई प्रयोजनों, मशीनों और अन्य कृषि-सबंधी औजारों के क्रय, जुताई के काम आने वाले पशुओं, भूमि विकास, गोदामों और शीत-भंडारों के निर्माण, तथा पादपरोपण के लिये विकास ऋणों और डेरी, मुर्गी-पालन, सूअर-पालन, मछली-पालन आदि जैसे कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम, उर्वरकों तथा कृषि कार्य में काम आने वाले अन्य पदार्थों के वितरण, राज्य विद्युत् बोर्डों, सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण, और कृषि विकास कार्य में लगी हुई संस्थाओं तथा कृषि-सेवा केन्द्रों (एग्रो-सर्विस सेंटर्स) की स्थापना करने वाले उद्यमियों आदि को दिये जाते हैं।

केरल में उद्योगों के विकास के लिए बैंकों से ऋण

1155. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत दो वर्षों में उद्योगों के विकास के लिये केरल को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी ; और

(ख) बैंक-वार एवं जिलावार उसके आंकड़े क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्माण उद्योग को दिये जाने वाले अग्रिमों के जिलेवार और बैंकवार उपलब्ध आंकड़े अनुबंध में दिये जा रहे हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—1167/76]

केरल में लघु उद्योगों को बैंकों से ऋण

1156. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के सभी जिलों के लघु उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1975 में कुल कितनी राशि के ऋण दिये गय ; और

(ख) 1 अप्रैल, 1976 को ऋण के लिय कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थ ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) केरल राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया कुल राशि दिसम्बर, 1975 के अन्त में 52.66 करोड़ रुपये थी।

(ख) आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों के पास पड़ अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की संख्या विषयक आंकड़े इकट्ठे करने की व्यवस्था नहीं है।

तस्करी के मामले

1157. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि मई, जून और जुलाई, 1976 में तस्करी के कितने मामले पकड़ गये और उनमें पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य कितना है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मई 1976 में, तस्करी का माल पकड़ने के 6000 मामले हुए जिनमें 199.29 लाख रुपये मूल्य का माल पकड़ा गया। 1976 के जून और जुलाई, महीनों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

फरार कर-अपवंचक

1158. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1976 के पहले छ: महीनों में विभिन्न राज्यों में आय-कर और केन्द्रीय-करों का भुगतान न कर फरार होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी है ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

ईरान को निर्यात

1159. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान की अभूतपूर्व समृद्धता तथा अनेक भारतीय उत्पादों के लिए इसकी आवश्यकता को देखते हुए भारत को अपना निर्यात बढ़ाने का एक अनूठा अवसर मिला है;

(ख) क्या उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने म होने वाला असाधारण विलम्ब निर्यात व्यापार विस्तार में एक बड़ी बाधा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार किन बाधाओं को दूर नहीं कर सकती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। हाल के वर्षों में ईरान को भारत के निर्यातों में वास्तव में काफी सुधार हुआ है ।

(ख) तथा (ग) ईरान के पत्तनों पर भीड़-भाड़ का होना मुख्य रुकावट रही हैं।

इंडियन एयरलाइन्स का कार्य

1160. श्री राजदेव सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की कार्यक्षमता दर उसके "एवरो" तथा अन्य विमानों के दस्तों के सम्बन्ध में 99 प्रतिशत रही है ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने एवरो सम्बन्धी कार्य भारत के बाहर करना आरम्भ किया था और हाल ही में नेपाल एयर लाइन्स का सब मरम्मत कार्य भारत में करने के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ग) क्या हैंदराबाद में एवरो विमान के प्रशिक्षण की अतिरिक्त व्यवस्था बनाई गई हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1976 के पहले छः महीनों के लिए औसत यथासमय कार्य-निष्पादन (तकनीकी दृष्टि से उड़ानों के समय की नियमितता) 99. 11 प्रतिशत बनता है। इसी अवधि के लिए उड़ानों के समस्त प्रकार के विलम्बों/रद्द किये जाने की घटनाओं के आधार पर कुल मिला कर यथासमय कार्य-निष्पादन 72. 35 प्रतिशत बनता है।

(ख) अक्तूबर, 1975 में रायल नेपाल एयर कारपोरेशन के साथ उनके एच० एस० 748 के पुर्जों की इंडियन एयरलाइंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप में मरम्मत व ओवरहॉल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) हैदराबाद में एवरो प्रशिक्षण के लिए वर्तमान इंजीनियरी प्रशिक्षण सुविधाएं देश के अपने तथा बाहर के देशों से आये प्रशिक्षाणार्थियों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये पर्याप्त हैं।

एक चिट फन्ड कम्पनी के पास लेखा बाह्य आस्तियों का पाया जाना

1161. श्री आर० के० सिन्हा : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग मद्रास के आसूचना विंग ने चिट फंड का कार्य कर रही एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की महत्वपूर्ण शाखाओं की जून/जुलाई, 1976 में तलाशी ली थी ;

(ख) क्या तलाशी के परिणामस्वरूप लेखाबाह्य आस्तियां पाई गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जालसाजी और कुप्रबन्ध का पता लगाने के लिए सरकार का विचार देश के विभिन्न अन्य भागों में भी चिट फंड का कार्य कर रही अन्य कम्पनियों के कार्य की जांच करने का है?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) आय-कर विभाग, मद्रास के आसूचना पक्ष ने जून/जुलाई, 1976 में मैसर्स विशालम चिट फण्डस लि० के निम्नलिखित व्यापारिक परिसरों पर तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियां की थी :—

(1) तिरुनेलवेलि में पंजीकृत कार्यालय ;

(2) माउंट रोड, मद्रास में सेंट्रल कार्यालय ;

(3) पल्लातूर में प्रशासनिक कार्यालय

(4) सेलम में शाखा; और

(5) मदुरै में दो शाखायें ;

उपर्युक्त कार्यवाहियों के परिणामतः, बही-खाते और दस्तावेज पकड़े गये हैं। मैसर्स विशालम चिट फण्डस लि० के प्रबन्ध निदेशक के आवास स्थान से लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां/ बिना जवाबदेही वाले व्यय का भी पता चला।

(ग) जहां भी आवश्यक समझा गया है, कानून के अन्तर्गत यथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

रुई का आयात

1162. श्री भान सिंह भौरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1976 में अब तक कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया तथा किन-किन देशों से और कितने-कितने मूल्यों पर किया गया; और

(ख) देश में निर्मित रुई का वर्तमान मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार हैं :—

देश	रूई मौसम		मूल्य (करोड़ रु० में)	
	1974-75	1975-76 (14-8-1976 को)	1974-75	1975-76
	गांठों की संख्या			
1	2	3	4	5
सूडान .	17,313	37,000	4.45	7.29
मिस्र (मिस्र का अरब गणराज्य)	–	9,746	–	4.68
पाकिस्तान	2,00,000	–	25.00	–
योग	2,17,313	46,746	29.45	11.97

(ख) स्वदेशी रुई की कतिपय किस्मों की वर्तमान कीमतें इस प्रकार हैं :—

किस्म	प्रति कैंडी कीमतें रु० में
	(14-8-76 को)
सुविन	9,000
वरालक्ष्मी	6,400
एस० 4	6,250
दिग्विजय	4,900
320—एफ०	4,000

बम्बई में आयकर विभाग द्वारा आलीशान फ्लेटों का सर्वेक्षण

1163. श्री भान सिंह भौरा : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में आयकर अधिकारियों ने आलीशान फ्लैटों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :

(क) तथा (ख) फिलहाल उपलब्ध सूचना के आधार पर, आयकर अधिकारियों द्वारा हाल ही में बम्बई में आलीशान इलाकों के 417 फ्लैटों /बंगलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 186 लाख रु० से अधिक के लेखाबाह्य निवेश का पता चला है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्य-क्षेत्र को पूर्वी जोन तक सीमित करना

1164. श्री भान सिंह भौरा : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के कार्य क्षेत्र को केवल पूर्वी भारत तक सीमित करने तथा देश के अन्य भागों में नई निर्माण एजैन्सिया स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ? ;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मी कलाकारों के आयकर के मामलों के निर्धारण के लिए विशेष मंडल

1165. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने फिल्मी कलाकारों के मामलों के निर्धारण के लिए विशेष/मंडल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ।?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :

(क) और (ख) : केवल फिल्मी सितारों के मामलों को निपटाने के लिये ही कोई विशेष सर्किल नहीं बनाया गया है । समुचित छान-बीन और समन्वित जांच-पड़ताल करने के लिए, बम्बई और कलकत्ता में फिल्म -उद्योग से संबंधित व्यक्तियों और व्यापारिक संस्थानों के मामले, पृथक सर्किलों को सौंपे गए हैं। इन सर्किलों में कई आयकर अधिकारी तैनात हैं। बम्बई और कलकत्ता में ये सर्किल क्रमशः फिल्म सर्किल और सिनेमा सर्किल के नामों से जाने जाते हैं। मद्रास में ऐसे व्यक्तियों के मामले दो आयकर अधिकारियों के सुपुर्द किये गये हैं ।

जिन फिल्मी-सितारों के मामलों में बहुत अधिक माता में करापवंचन का संदेह होता है अथवा जिनमें विस्तृत जांच पड़ताल अपेक्षित हों, उनको सेंट्रल सर्किलों को सौंप दिया जाता है । बम्बई में, एक निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त भी, कुछेक चोटी के फिल्मी सितारों के मामलों पर कार्यवाही कर रहा है ।

ग्रामीण ऋण की आवश्यकताएं

1166. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण ऋणों की 66 प्रतिशत आवश्यकताएं पूरी करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 के दौरान और वर्ष 1977 में अब तक राज्यवार कितना आबंटन किया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक म अनधिकृत विद्युत चालित करघ

1167. **श्री एस० बी० पाटिल : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कार्यारत अनधिकृत विद्युत्तचालित करघों के वारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या गरीबों के रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अनधिकृत विद्युत्त-चालित करघों के मालिकों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनधिकृत विद्युत्तचालित करघों के बारे में नीति विचाराधीन है।

बागान सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति

1168. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति ने रुग्ण एवं बन्द हो चुके चाय बागानों की समस्या का अध्ययन करने के लिये एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस उप-समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) यह उप समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां। बागान सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति ने 18 जून, 1976 को हुई अपनी बैठक में एक स्थाई समिति का गठन किया है जिसमें नियोजकों तथा कर्मचारियों में से प्रत्येक के निम्नलिखित प्रतिनिधि लिए गयें हैं। जैसे ही और जब भी समिति इस स्थायी समिति को इस उद्योग के बागानों के बंद होने, उनके बंद होने की आंशका, छंटनी, जबरी छुट्टी आदि के मामले भेजेगी, तब वह उनके बारे में कार्यवाही करेगी।

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

1. श्री चिनमय घोष (ए० आई० टी० यू० सी०)
2. श्री जी० सी० शर्मा (आई० एन० टी० यू० सी०)
3. श्री भवानी पाल (आई० एन० टी० यू० सी०)

नियोजकों के प्रतिनिधि

1. श्री वी० आई० चाको
2. श्री एस० एन० बसु
3. श्री के० एन० सरकार

(ग) उप समिति राष्ट्रीय औद्योगिक समिति को अपनी रिपोर्ट, उसके द्वारा उसे भेजे गये मामलों की जांच पूरी करने के बाद प्रस्तुत करेगी।

तस्करी के सामान का बेचा जाना

1169. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गये तस्करी के सामान की बिक्री से वर्ष-वार कितनी राशि वसूल हुई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) पिछले तीन वर्षों में तस्करी के माल की बिक्री के जरिये वसूल की गयी रकम नीचे दी गई है :—

वर्ष	लाख रुपयों में (लगभग)
1973	1,130
1974	2,979
1975	2,973

तस्करी का छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्योगों पर प्रभाव

1170. श्री **एस० आर० दामाणी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकड़े गये तस्करी के माल की बिक्री करने संबंधी वर्तमान नीति से देशीय उद्योग पर विशेषतया लघु क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या इस आशय का कोई अध्ययन किया गया है कि किन मदों पर उत्पादशुल्क में फेरबदल करके उनकी तस्करी को कम किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :(क) से (ग): इस दृष्टि से कि जब्तशुदा माल की बिक्री का देश में उत्पादित माल पर प्रभाव न पड़े, जब्तशुदा माल का विक्रय-मूल्य नियत करते समय देश में उत्पादित माल के मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है । बेचे गये जब्तशुदा माल की मात्रा बहुत अधिक नहीं है इसलिए ऐसे माल की बिक्री से देश के उद्योग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

जहां तक ऐसे अध्ययन-कार्य का प्रश्न है जिससे उन वस्तुओं का पता लगाया जा सके जिन पर उत्पादनशुल्क में घट-बढ़ करके उनकी तस्करी कम की जा सकती है, यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि इस विषय में कोई नियमित अध्ययन नहीं किया गया है तथापि भिन्न-भिन्न उत्पादों पर लगने वाले उत्पादनशुल्क में घटबढ़ करते समय तस्करी को रोकने की बात को आमतौर पर ध्यान में रखा जाता है । ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण प्रधानतया लघु-उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है और जिनके लिए उसी प्रकार के माल का भारत में तस्कर-आयात किया जा रहा था। अच्छी क्वालिटी की और अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन वस्तुओं के उत्पादन को बहुत बढ़ाने के प्रयास किए गये हैं ताकि विदेशी वस्तुओं की तस्करी और उनके साथ प्रतियोगिता समाप्त की जा सके । इन उपायों तथा तस्करी को रोकने के लिए उठाए गये अन्य कदमों का देश के उद्योग पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है ।

सामान की तस्करी कम करने के लिए अध्ययन

1171. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत माध्यम से निर्यात की अनुमति देकर अथवा निर्यात शुल्क में समायोजन कर तस्करी की गतिविधियां कम करने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : निर्यात व्यापार नियंत्रण नीति में सामान्यतया ऐसे निर्यातों की व्यवस्था की गई है जहां उनसे देश की सम्पदा अथवा देश में अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो । इस संबंध में नीति और निर्यात शुल्कों की सतत समीक्षा की जाती है ताकि विदेशी मुद्रा की अधिकतम आय प्राप्त की जा सके । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि चूंकि विदेशी मुद्रा को अवैध रूप से अर्जित करने के लिए विदेशों को अवैध रूप से निर्यात करने के प्रयास किये जाते हैं, इसलिये निर्यात शुल्कों में कमी करने का तस्करी गतिविधियों पर सीमित प्रभाव होगा ।

विजया बैंक लिमिटेड में कथित कुप्रबन्ध

1172. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजया बैंक लिमिटेड में कुप्रबन्ध की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उपरोक्त बैंक के 1975 के संतुलन पत्र में हेरफेर किया गया था जिसके बारे में अंशधारियों ने आम सभा की बैठक में जानकारी दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क से (ग) : सरकार को विजया बैंक लिमिटेड के विरुद्ध "विजया बैंक एम्प्लायीज यूनियन" से शिकायत मिली है कि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ/जन संघ संगठनों से सम्बद्ध अपने कर्मचारियों के संघ को कई तरह से सहायता देता है और शेयर धारियों की शिकायत में अन्य बातों के साथ यह आरोप लगाया गया है कि बैंक ने वर्ष 1975 का अपना तुलनपत्र फर्जी बनाया है ।

इन आरोपों की भारतीय रिजर्व बैंक जांच कर रहा है ।

मालाबार क्षेत्र में पर्यटन विकास

1173. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल में मालावर क्षेत्र एक आकर्षक पर्यटन स्थल है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : भारत में आकर्षक स्थलों की बड़ी बहुतायत है और केरल का, मालाबार क्षेत्र भी निस्संदेह उनमें से एक है । परंतु, निधियों की तंगी के परिणामस्वरूप, जिसके कि कारण पर्यटन संबंधी योजना कार्य में एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है, केन्द्रीय क्षेत्र में उन केन्द्रों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास पर बल दिया जाता है, जो या तो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में लोकप्रिय हैं या जिनमें उन्हें आकर्षित करने की संभावित क्षमता है । इन बातों को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र में केरल में कोवालम, त्रिवेन्द्रम तथा पेरियार वन्य जीव शरण-स्थल पर पर्यटन सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

केरल में पर्यटन स्थलों का विकास

1174. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पर्यटन के लिये केरल के रमणीय स्थलों का विकास करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : क्योंकि केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसे पर्यटन केन्द्रों का विकास करने पर बल दिया जाता है जो या तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में पहले से ही लोकप्रिय हैं या जिनमें उन्हें आकर्षित करने की संभावित क्षमता है, अतः कोवालम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समुद्रतटीय विहार-स्थल के रूप में विकास करने का कार्य केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लिया गया है । त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल का भी निर्माण चालू है, तथा पेरियार वन्य जीव शरण-स्थल पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव है । इन 3 परियोजनाओं के अतिरिक्त, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में अन्य पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नारियल जटा के निर्यात के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार

1175. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल जटा के निर्यात के बारे में योरोपीय आर्थिक समुदाय से कोई नया करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच कयर उत्पादों के व्यापार के संबंध में करार हुआ है।

(ख) करार की मुख्य विशेषताओं में निम्नोक्त शामिल होंगी :—

(1) कयर उत्पादों पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सामान्य सीमा प्रशुल्क 1-7-76 से 80 प्रतिशत हटा दिया गया है और 1-1-1978 से 100 प्रतिशत हटा

दिया जायेगा । तथापि ब्रिटेन तथा डेनमार्क में आयात अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के ढांचे के भीतर शुल्क-मुक्त होता रहेगा ।

(2) समुदाय भारत से इन उत्पादों के आयातों पर नये मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं लगायेगा । इस पर सहमति हुई कि मौजूदा मात्रा संबधी प्रतिबन्धों से उत्पन्न आयात संभावनाओं के पूरे पूरे उपयोग को सुकर बनाने के लिए समुचित कदम उठाये जायें ।

(3) इस करार के कार्यान्वियन से संबंधित किसी समस्या पर विचार करने के लिए तथा साथ ही कयर के अन्तिम उपयोगों को बढ़ाने के उद्देश्य से मौजूदा उत्पादन पद्धतियों, गवेषणा तथा कयर तैयार करने एवं प्रौसेस करने और कयर माल तैयार करने की नई तकनीकों के विकास के संबंध में सहयोग के बारे में सुझाव तैयार करने के लिए एक संयुक्त सहयोग समिति स्थापित की जायेगी जिसमें भारत सरकार के तथा यूरोपीय समुदाय के प्रतिनिधि होंगे और जिनकी बैठक वर्ष में एक बार होगी। इस समिति के कार्यों में आपसी संबंधों का विकास करना तथा भारत एवं समुदाय दोनों के कयर व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा परस्पर सहमत संयुक्त परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुकर बनाना भी शामिल है ।

(4) करार 31 दिसम्बर, 1979 तक वैध होगा ।

लाख के निर्यात में कमी

1176. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात कर्त्ताओं द्वारा लाख के मूल्यों में अन्धाधुंध वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप यूरोपीय क्रयकर्ताओं द्वारा उसके स्थान पर, सिन्थैटिक' विकल्पों का उपयोग आरम्भ कर दिये जाने के कारण लाख के निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : जी नहीं । चमड़े कर निर्यात, जिसमें लाख दाना भी शामिल है, सरकार की उस नीति पर आधारित है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उचित कीमत मिले तथा चमड़े के लिए उसके मूल्य के अनुपात में कीमत मिल सके । इसे हासिल करने के लिए सरकार ने राज्य व्यापार निगम से कहा है कि वह कीमत समर्थन देने के उपाय के तौर पर समीकरण भंडार बनाने का कार्य हाथ में लें । लाख दाने तथा चमड़े के निर्यात का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकरण उस नीति के अन्तर्गत किया गया है जिसके अन्तर्गत प्राइवेट व्यापारियों को भी नियंत्रित निर्यात करने की अनुमति है।

रूई निगम द्वारा रूई का आयात

1177. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई निगम ने विभिन्न देशों से रुई का त्वरित आयात करने के लिए अपने संगठन को सक्षम बना लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : भारतीय रुई निगम, यथाशीघ्र रुई का आयात करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है। रुई की जो 2 लाख गांठें आयात करने का विचार है उसमें से अधिकांश के लिए पहले ही संविदाएं कर ली गई।

अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के माल मैनेजरों की दिल्ली में बैठक

1178. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के माल (कार्गो) मैनेजरों की हाल ही में दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या उक्त बैठक में दिल्ली तथा अन्य हवाई अड्डों पर जमा माल को उठाने के उपायों के बारे में विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : नागर विमानन के महानिदेशक ने नई दिल्ली में अप्रैल, 1976 में एयर इंडिया सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी जिसका उद्देश्य वस्त्रों के उस 500 टन कथित जमा माल को क्लीयर करने के उपाय ढूंढ निकालना था जोकि दिल्ली में इस कारण जमा हो गया था कि निर्यातकर्ताओं ने फरवरी तथा मार्च, 1976 में एयरलाइंस को क्रमशः अनुमानित 1150 तथा 1200 टन के बजाय क्रमशः 1400 तथा 1700 टन वस्त्रभार के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार एयरलाइंस ने अतिरिक्त कार्गो उड़ानों का परिचालन किया तथा अपनी अनुसूचित एवं अतिरिक्त उड़ानों पर मई, जून तथा जुलाई, 1976 के दौरान वस्त्र निर्यातकर्ता संघ द्वारा पहले अनुमान लगाये गए 3500 टन के वस्त्र-भार के स्थान पर 4695 टन वस्त्र-भार का वहन किया। दिल्ली में समस्त जमा माल पहले ही क्लीयर किया जा चुका है।

इसी प्रकार, किए गए उपायों के परिणामस्वरूप बम्बई में भी एक्सपोर्ट कार्गो का जमा माल क्लीयर कर दिया गया बताया जाता है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (20वां संशोधन) नियम, 1976 तथा अधिसूचना सभा-पटल पर रखे जाने के बारे में विवरण

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के

अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्वर्ण नियन्त्रण (प्रपत्र, फीस तथा प्रकीर्ण मामले) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 30 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सं० आ० 507 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्वर्ण नियन्त्रण (व्यापारियों को लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 30 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 508 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एस० टी० 11154/76]।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (20वां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 1179 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 11155/76]।

(3) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वार दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जीएचएन 48) जीएसटी 1076/एस० 49) (48)-टीएच, जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 में गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जीएचएन 627) जीएसटी 1070/(एस० 49)-टीएच में संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-11156/76]।

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 481 (ङ) से 483 (ङ) जो दिनांक 26 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यामक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 742 (ङ) जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 744 (ङ), जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 11157/76]।

खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम, 1976 संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानंद) :

श्री खदेव प्रसाद की ओर से —

मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० सां० नि० 1164 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गई। देखिए सं० एल० टी० 11158/76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 17 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 अगस्त, 1976 को पास किए गए दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 17 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 अगस्त, 1976 को पास किए गए संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा 19 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 1976 को पास किए गए आन्तरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 1976 को पास किए गए राष्ट्रपति पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक

ADOPTION OF CHILDREN BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

Report of joint Committee

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मैं बाल दत्तक-ग्रहण और तत्सम्बन्धी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

Evidence before joint Committee

श्रीमती मुकुल बनर्जी : मैं बाल दत्तक-ग्रहण और तत्सम्बन्धी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य (खण्ड I, II और III) के रिकार्ड की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि 23 अगस्त, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची में शामिल सरकारी कार्य की किसी शेष मद पर चर्चा।

(2) (क) वर्ष 1976-77 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (तमिलनाडु); और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए, अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पाण्डिचेरी) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) निम्नलिखित पर विचार तथा पास करना :—

(क) बर्न कम्पनी एण्ड इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1976।

(ख) ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधयक, 1976।

(ग) दिल्ली विक्रय-कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण), विधेयक, 1976।

(घ) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन), विधेयक 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में।

(ङ) श्रम भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक, 1976।

(च) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में।

(छ) कारखाना (संशोधन) विधेयक 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए रूप में।

(4) निम्नलिखित को पुरःस्थापित करना, उन पर विचार तथा उन्हें पास करना :—

(क) लक्ष्मीरतन एण्ड अथर्टन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1976।

(ख) मेटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976।

(ग) धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) निरसन विधयक, 1976।

(घ) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1976।

इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार का विचार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों भी आयु सीमा बढ़ाने के लिए भारत के संविधान में और संशोधन करने वाला विधेयक की पुरःस्थापित करने का विचार है। हमारा विचार इसे अगले सप्ताह के आरम्भ में पेश करने और 30 अगस्त को उस पर विचार करने का है।

श्री बी० वी० नायाक (कनारा) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र परिसीमा विधेयक के बारे में क्या स्थिति है?

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
18वां प्रतिवेदन

श्रीमती माया राय (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन से, जो 16 अगस्त, 1976 को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के 18वें प्रतिवेदन से, जो 16 अगस्त, 1976 को सभा-पटल पर रखा गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (NATIONALISATION) BILL

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बर्न कम्पनी और इण्टियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

श्री बी० पी० मौर्य : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

बर्न एण्ड कम्पनी इण्डियन स्टैन्डंड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य
STATEMENT *RE* BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (NATIONALISATION) ORDNANCE, 1976

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11159/76।]

ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1976

BRAITHWAITE AND COMPANY (INDIA) LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL 1976

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी० पी० मौर्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश की आवश्यकताओं के लिए आत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री बी० पी० मौर्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड उपक्रमों का आयोजन और अंतरण अध्यादेश, 1976 के बारे में व्यक्तव्य

STATEMENT RE BRAITHWAITE AND COMPANY (INDIA) LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDNANCE, 1976

श्री बी० पी० मौर्य : मैं ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 11160/76]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1976—जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1976-77—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब वर्ष 1976-77 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर आगे चर्चा करेगी तथा उन पर मतदान होगा। इसके लिए नियत समय में से 1 घंटा 55 मिनट शेष रह गए हैं।

श्री राम० सहाय पाण्डेय अपना भाषण जारी रखेंगे।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : Sir, taking into consideration the responsibilities and the functions of 'Samachar' an amount of Rs. 10 lakhs sanctioned to the agency, is not adequate, whereas the Agency had made a demand for an amount of Rs. 25 lakhs. I would like to thank the Hon'ble Minister for the successful and efficient coordination of the

integrated news agency. The new Samachar agency has to shoulder a great responsibility of discharging its duties to the need of the time. But it is a matter of concern that it does not have adequate means. It has to expand its activities and send its correspondents to all the parts of the world. The formation of a news pool of all the non-aligned Countries has been greatly appreciated at the Colombo Summit. The news pool has to meet the Challanges in the world. The picture of our country which the western press gave to the people of non aligned countries has been fair from reality. Now through this media we have to present such a picture which will be based on reality. For this we will have to make a strong *vis-a-vis* the agencies of America, Britain, France etc. We have, therefore, to increase our press representatives abroad. Smt. Indira Gandhi explained the attitude of these agencies very clearly at Colombo meet by citing some examples and it was appreciated by all the countries.

There is baseless reporting by the western press. I would therefore suggest that we should present the reality to the world so that they may not try to distort the information. It is a good start. It will enable people to get correct information and whatever is in the interest of development, democracy and welfare of the people, will only be reported. I would therefore recommend that a larger amount should be given to the Samachar so that it may overcome its hurdles and proceed further with a national spirit and originality suited to the change of time.

Attention should also be paid to the shortage of teleprinters. It is very essential to have adequate number of teleprinters.

The efficiency of our news agency should be increased so that it may face the challenge in the international field. We should give an opportunity to those working in the villages whom we call as strangers. The work of screening the persons connected with—banned organisations have not yet been done. Government should provide as much provision to the agency as is necessary for increasing its efficiency. If we have to lead the non-aligned countries and play the same role which was played in Delhi, it is necessary to increase the provision for the 'Samachar' agency.so that we may fulfill the needs as a leading country.

The steps taken towards family planning are quite good as a measure of checking the increasing population. I would suggest that this programme should be given priority. The population problem is a difficult problem because the population is fast increasing and the resources are diminishing and if it is not checked we will not be able to control it. It is good that an incentive of Rs. 75, Rs. 100 and Rs. 150 is being given. I think this programme should be given priority and I am sure it will have good impact. This campaign should be speeded up. The provision of Rs. 500 lakh is not sufficient. I suggest that the amount of small savings should be invested in this programme. Moreover we have to awaken the people to the gravity of the population problem otherwise the we will not be able to save the people from its consequences. I would also like to congratulate youth leader, Shri Sanjay Gandhi for this 4-point programme. I hope these programmes will achieve success under his able hardship. I think for the first time such a call has been given. Government should provide adequate funds for ensuring the success of these programmes.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मुझे केवल इस बात पर जोर देना है कि देश प्रति वर्ष आगे बढ़ रहा है। हमें इस समय यह सोचना है कि गत 27 वर्षों में हमने क्या प्राप्त किया है।

कृषि और सिंचाई भारत की प्रगति के प्राण स्वरूप हैं और आज यह संतोष की बात है कि हमारे देश में 170 लाख टन खाद्यान्न स्टाक में है। यदि मौसम ठीक रहा तो रबि फसल के गत वर्ष की अपेक्षा और भी अच्छी होने की संभावना है। यह सच है कि भारत में कृषि के लिये मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही यह भी होता है कि देश में कहीं सूखा होता है तो कहीं बाढ़ आती है। किन्तु स्थिति कुल मिलाकर बहुत अच्छी है।

मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । उड़ीसा एक कृषि प्रधान देश है और भारत के सब राज्यों में निर्धन है। वहां बहुत सी परियोजनाएं आरम्भ की जाती हैं। वहां उत्तरी उड़ीसा में एक सुवर्नरेखा परियोजना है जो गत दस वर्षों से एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को जा रही है । अब सम्भवतः यह परियोजना योजना आयोग में लम्बित है। यह बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीन राज्यों की एक अन्तर्राज्यीय योजना है.। यद्यपि उड़ीसा और बिहार के मुख्य मंत्री सहमत हो गये हैं किन्तु पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की सहमति की प्रतीक्षा है। इस परियोजना के क्रियान्वित होने से न केवल उड़ीसा के 10 लाख लोगों को लाभ होगा किन्तु बिहार के भी काफी बाढ़ पीड़ित लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। इस योजना से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में भी काफी लोग जो पिछले 50 वर्षों से बाढ़ से परेशान हैं लाभान्वित होंगे।

आपातकालीन स्थिति से देश को बहुत लाभ हुआ है क्योंकि पहली बार देश में लोगों में छोटों से लेकर बड़े तक देश के प्रति निष्ठा की भावना आई है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लोगों ने यह समझा कि देश में सर्वत्र खुशहाली होगी । प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भी समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक दशा सुधारना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं भी बैंकों से ऋण प्राप्त होने पर ही आगे बढ़ सकती हैं। किन्तु कुछ बैंकों के प्रबन्धकों की जनता की सेवा की भावना नहीं है और ना आपातकालीन स्थिति के अनुकूल उनकी निष्ठा है । यही कारण है कि बैंक सफल नहीं रहे हैं, तथा लोगों की भी यह धारणा हुई है कि बैंक बिड़ला, डालमिया, जैन, गोयन्का आदि के लिये हैं उनके लिए नहीं हैं। बैंक के कर्मचारी उतनी कुशलता से अब काम नहीं करते हैं जितनी कुशलता से तब काम करते थे जब बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र में थे । बैंकों के अधिकारी अब यह सोचते हैं कि वे बैंकों के नियंत्रक हैं। मैंने कई बार उपमंत्री महोदय को इस बारे में लिखा है। मेरा विचार है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे बैंकों के प्रबन्धक यह महसूस करें कि वे उन लोगों के ही समान हैं जो उनके पास राहत और धन के लिए आते हैं नहीं तो गरीब किसानों को इन बैंकों से लाभ नहीं मिलेगा। मैं स्टेट बैंक की उत्तरी क्षेत्र की समन्वय समिति का सभापित चुना गया। भारतीय स्टेट बैंक में अत्याचार होता है। वहां श्री गोयल, श्री रंगाचारी जैसे व्यक्ति हैं। कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में काम करने पर कोई समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों का रुख अच्छा नहीं है। अतः मंत्री महोदय को कर्मचारियों के कष्टों को जानना चाहिए और यह मालूम करना चाहिए कि क्या कर्मचारियों की कुछ शिकायतें हैं । इसके लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। डिवीजनल प्रबन्धकों तथा शाखा प्रबन्धकों की रिपोर्टों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। किसान और मजदूर हमारे समाज के आधार हैं और प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय कार्यक्रम के दृढ़ समर्थक हैं। उन्होंने आपातकालीन स्थिति के दौरान आर्थिक कार्यक्रमों में अपना पूरा सहयोग दिया है क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी देश के आयोजन और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। किन्तु उन लोगों की सरकार तक पहुंच नहीं है। प्रबन्धकों के हाथ में आपातकालीन स्थिति के दौरान इतनी शक्ति आ गई है कि मजदूरों को वे किसी तरह से भी सता सकते हैं। दक्षिण रेलवे में साधारण कारणों से बीस टिकट कलेक्टर निकाले गये। मुझे इस्पात कारखाने का अनुभव है कि वहां मजदूरों पर इतना अत्याचार होता है कि वे यह महसूस नहीं करते हैं कि वे उस इस्पात कारखाने के हैं। निष्ठावान और ईमानदार कर्मचारियों को निकाला अथवा सेवा निवृत्त किया जा रहा है और उन लोगों को रखा जा रहा है जो चापलूसी करते हैं। राउरकेला, दुर्गापुर तथा सर्वत्र यही हाल है।

जब मैं मंत्री महोदय को कोई शिकायत करता हूं तो उत्तर उसी प्रबन्धक से मिलता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। अतः शिकायत का क्या असर होगा यह सोचने की बात है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा में अपूर्व स्थिति हो रही है। आप उन लोगों के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं हैं और अपनी सफाई नहीं दे सकते हैं। आप विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आप नाम लेकर कह रहें कि अमुक व्यक्ति ने घूस ली है और भ्रष्टाचार किया है। यदि आपको गम्भीर आरोप लगाने हैं तो पहले आप मेरी आज्ञा लीजिए। अतः आपने नाम लेकर जो आरोप लगाए हैं वह कार्यवाही में नहीं जायेगा।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : जैसा कि मैंने कहा है कि स्टेट बैंक बालासोर के प्रबन्धक ने मुझे पत्र में लिखा है कि मैं बैंक का रुपया वसूल करने में मदद करूं। एक संसद् सदस्य यह काम कैसे कर सकता है।

उड़ीसा के 'समाज' पत्र में 8 अगस्त को सम्पादकीय में यह प्रकाशित हुआ कि जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों के ठेकेदार आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों में गरीब स्त्रियों को प्रलोभन देकर उनका शोषण करते हैं। अतः सरकार को चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार प्रलोभन देकर गरीब स्त्रियों का शोषण न करें।

मैं सभा का ध्यान उड़ीसा की कुछ परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। उड़ीसा भारत का सबसे निर्धन राज्य है और प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि उड़ीसा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहां बहुत सी परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना है और लोग उनके प्रति बहुत आशा-वान हैं किन्तु उनकी प्रगति बहुत धीमी है। प्रधान मंत्री ने स्वयं पारादीप में एक उर्वरक कारखाना खोले जाने की घोषणा की थी किन्तु अभी इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है।

उड़ीसा राज्य का काफी भाग दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आता है। यहां रेलवे के विकास की काफी गुंजाइश है।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल उन्हीं विषयों तक सीमित रहना चाहिए जो इसमें शामिल है और अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर ही सीमित रहना चाहिए।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मेरे सामने समस्त तस्बीर है।

हमारे देश में बेरोजगारी की बड़ी-भारी समस्या है। 1976 में देश में बेरोजगारों की संख्या 94,26,000 है जिनमें से लगभग 50 लाख मैट्रिक हैं तथा इंजीनियर डाक्टर जैसे तकनीकी लोगों की संख्या 4 लाख है। इनके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए और गैर-सरकारी क्षेत्र को भी उन्हें रोजगार देने के लिये मजबूर करना चाहिए।

उड़ीसा की बेरोजगारी की समस्या देश में के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही जटिल है। वहां औद्योगिक विकास नहीं है और कृषि की हालत भी अच्छी नहीं है परिणामस्वरूप बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

आज देश में आपातकालीन स्थिति में जो योजनाएं बन रही हैं, 20-सूत्रीय तथा 5-सूत्रीय कार्यक्रम हैं तो यह आवश्यक है कि समन्वित आयोजन हो और जनता के हित में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ समन्वय हो ताकि देश में संतुलित अर्थ-व्यवस्था कायम हो।

SHRI RUDRA PRATAP SINGH (Bara Banki) : Mr. Speaker, Sir, I rise to support the supplementary demands for grants for 1976-77. The leader of our party Shrimati Indira Gandhi deserves to be congratulated for proclaiming emergency in the country for putting down the reactionary and communal forces which had been raising their ugly heads. She has not only declared emergency but she has also given to the country a 20 point economic programme which is now being implemented in all the States. The youth leader of our country Shri Sanjay Gandhi has added another 5-point therein which has been welcomed by the whole country.

I also congratulate the Home Ministry, Irrigation and Family Planning Ministries for the work done by them after proclamation of emergency. The Ministry of Information and Broad casting has also been playing a very important role since then. If It has been trying to present a correct picture of the new social order which is being brought about in the country.

Now, I would like to say a few words about family planning. The efforts being made presently are indeed praise worthy. There is no doubt that growth of population is the biggest problem before the country which will have to be taken up very seriously. If the family planning programme is properly implemented, it will go a long way in solving this problem. The Members of Parliament should also set an example before the people by getting themselves sterilised.

Regarding irrigation, I have to say that on account of rains such situation arises in the country every year in which crores of persons suffer and problems of food, clothes and house are created due to floods. So concrete steps should be taken in this direction.

MR. SPEAKER : There is no item of irrigation therein, you should speak only about those items which are in the supplementary demands.

SHRI RUDRA PRATAP SINGH : Sir, I did not pay attention to it. I shall not say any thing about it.

I would like to say again that a new atmosphere has been created as a result of proclamation of emergency.

With these words, I support all these demands.

श्री रणबहादुर सिंह (सिंधी) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं इस सभा के सामने दो कठिनाइयां पेश करना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह पहाड़ी है और उसमें आदिवासी रहते हैं। इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करना अत्यन्त कठिन कार्य है, विशेषकर उस समय जब कि चोर बाजारी लगभग समाप्त हो गयी है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन आदिवासियों को चीनी, मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा आदि जैसी वस्तुओं की सप्लाई उचित मूल्य पर की जाये। कठिनाई यह है कि चूंकि ये आदिवासी गरीब हैं और उनके लिये कृषि कार्य छोड़कर जिला मुख्यालय में आना, जहां कि आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं कठिन है। अत: इस कठिनाई को दूर करने के लिये सम्बन्धित मंत्रालय को कदम उठाने चाहिए।

इस क्षेत्र में दूसरी समस्या परिवहन की है। हमारा यह क्षेत्र रेलवे लाइन से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में उर्वरक सड़क द्वारा ही भेजा जाता है। उर्वरक पहले जिला मुख्यालय में आता है और वहां से इसका वितरण होता है जिसके परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्रों में उर्वरकों की सदैव कमी रहती है। अत: रेलवे स्टेशन से जिला मुख्यालय तक उर्वरक ले जाने के लिए उर्वरक निगम को भाड़े में सहायता देनी चाहिए, जिससे इन क्षेत्रों में उर्वरक सप्लाई करने वालों को नुकसान न हो।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at six minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : अतिरिक्त मांगों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह राशि और अधिक होनी चाहिए जिससे प्रतिभा पलायन को कारगर ढंग से रोका जा सके।

कम आय और पिछड़े क्षेत्रों का विशेष रूप से पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। छोटा नागपुर के ऊंचे पठार वाले क्षेत्रों तथा नीचे पठार वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक फसल वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए और ग्रामीण बैंकों द्वारा उन्हें अधिकाधिक ऋण दिया जाना चाहिए। ऋण और कृषि में अधिक उत्पादन के बीच तादात्म्य स्थापित करना आवश्यक है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ब्याज की दर बढ़ा दी है। इसके साथ ही 16 किलोमीटर का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इससे अधिक दूर के क्षेत्रों में वे कार्य नहीं करेंगे। जब तक हम इस सम्बन्ध में कोई हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक मुझे आशंका है 20 सूत्री कार्यक्रम कारगर ढंग से कार्यान्वित हो सकेगा।

मेरा सुझाव है कि असन्तुलन दूर करने के प्रयोजन से सरकारी क्षेत्र के निगमों को गांवों को अपनाने की बात सोचनी चाहिए। रांची की एक गैर-सरकारी फर्म ने 50 से अधिक गांवों को अपनाया है। इस तरह से हम गांवों की स्थिति में शीघ्र ही सुधार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये तो आम विचार हैं। क्या इनका मांगों से कोई सम्बन्ध है?

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं, परन्तु तमिलनाडु के लिए अधिक मांगें और पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा के समक्ष केवल अनुपूरक मांगों का उल्लेख कर सकते हैं। आप अधिक मांगें पेश नहीं कर सकते।

श्री के० मायातेवर : उर्वरक के मूल्यों में कमी नहीं हुई है। तमिलनाडु में धान के मूल्य काफी गिर गये हैं। सरकार को उर्वरक के मूल्यों में कमी करने पर विचार करना चाहिए।

ग्रामीण बैंक न केवल किसानों को ऋण दें, अपितु गांव के दस्तकारों और गरीब जनता को भी ऋण दें। निस्सन्देह राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं परन्तु . .

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रामीण तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में अनुपूरक मांग नहीं है।

श्री के० मायातेवर : माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि बैंक केवल पूंजीवादी लोगों को ऋण दे रहे हैं। सरकार का उद्देश्य बुनकरों, पददलित लोगों, धोबियों, बढ़ई, गांव के दस्तकारों और छोटे व्यापारियों को ऋण देना है, परन्तु इन लोगों को कोई ऋण नहीं मिल सकता। बैंक के जो कर्मचारी 20 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य के मुताबिक जनता की मदद नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

गृह मंत्री तमिलनाडु गये थे। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 15 जिलों में से 10 जिले सूखाग्रस्त हैं। सरकार ने $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये कृषि विकास, सूखा की स्थिति और पेय जल के लिये दिये हैं। यह राशि अपर्याप्त है। मेरा निवेदन है कि आप तमिलनाडु में किसानों की स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और पेय जल इत्यादि के लिए अधिक धन प्रदान करें।

राष्ट्रपति ने राज्यपाल के माध्यम से गैर-सरकारी संस्थाओं से ऋण लेने वाले किसानों को ऋण से छूट दी है। जिन लोगों ने सहकारी समितियों, बैंकों या अर्ध सरकारी प्राधिकरणों से ऋण लिया है, उनको ऋण से कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार को सभी ऋणों की अदायगी से छूट देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इन किसानों को ऋण सुविधायें भी प्रदान की जानी चाहिएं। केवल ऋण से छूट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साहूकारों से उन्हें ऋण नहीं मिल सकता है। वे अपने गहने आदि भी रेहन नहीं रख सकते हैं।

आपात स्थिति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के फलस्वरुप गेहूं, धान आदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य घटे हैं। लेकिन हाल ही में इनके मूल्य फिर बढ़ गये हैं। इन वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ने दिये जाने चाहिए।

पिछले एक महीने से तमिलनाडु में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है। इस राज्य में मिट्टी का तेल देने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और अमूल्य सुझाव दिये। मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेदों और नियमों की ओर दिलाना चाहती हूं जिनके अनुसार यह चर्चा चलनी चाहिए। किन्तु अपने निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति से असन्तुष्ठ हो कर उन्होंने अपने अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है परिणामस्वरूप यह चर्चा अनुपूरक मांगों सम्बन्धी नियमों के क्षेत्राधिकार के बाहर चली गई है किन्तु मैं इस बात का आश्वासन देती हूं कि जो भी बातें उठाई गई हैं वे सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों को सूचित कर दी जाएंगी और मुझे विश्वास है कि उन पर कार्यवाही की जायेगी।

अब हमारी अर्थ-व्यवस्था में काफी सुधार आ गया है। परिणामस्वरुप जनता का विश्वास बढ़ गया है। और साथ ही आगे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। कारखानों में

श्रमिकों ने और खेतों में किसानों ने अपने परिश्रम से ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। सरकार की नीतियों के कारण तथा जनता के सहयोग से वातावरण के सुधरने में सहायता मिली है। आज भारत विश्व के उन कुछ देशों में है जिन्होंने मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है। कृषि क्षेत्र में 1,180 लाख टन का अन्न उत्पादन एक रिकार्ड उत्पादन है। मौनसून में आने में देरी हो गई तो कुछ तत्वों ने स्थिति से लाभ उठाना चाहा किन्तु सरकार की सतर्कता के कारण मूल्य वृद्धि को रोक दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 1974-75 का 2.5 प्रतिशत उत्पादन 1975-76 में 5.7 प्रतिशत हो गया और खेतों और कारखानों में अनुशासन और दृढ़ संकल्प से इस वर्ष 10 से 12 प्रतिशत औद्योगिक दर होने की संभावना है। देश के लिये यह बड़े अच्छे संकेत हैं। करों के राजस्व में वृद्धि हुई है तो बचत राशि भी अधिक हो गई है। मुझे विश्वास है यह प्रगति जारी रहेगी। यह इसलिये संभव हो सका क्योंकि सरकार की नीतियों में जनता का पूर्ण सहयोग मिला। आर्थिक परिवर्तन लाने में जनता ने सरकार के साथ मिल कर कार्य किया।

यह प्रश्न उठाया गया है कि अनुपूरक मांगों से अर्थ-व्यवस्था में अधिक धन का प्रसार हुआ है और क्या इससे मूल्य वृद्धि नहीं होगी। यही कारण है कि ऋण पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। मुद्रा सम्बन्धी और भी उपाय किये गये हैं सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये प्रतिबन्ध स्थायी बनें।

जहां तक रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का सम्बन्ध है इनमें से 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। और 40 करोड़ रुपये का पहले ही प्रावधान किया गया था लेकिन यह राशि उपयोग में नहीं लाई गई। किन्तु यह राशि उपयोग में नहीं लाई गई। अब इस राशि को अनुपूरक मांगों के माध्यम से निकाला जा रहा है। वे रुग्ण मिलें घाटे में चल रही थीं। श्रमिकों के सहयोग से सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप आज स्थिति कहीं बेहतर है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या अब यह मिलें घाटे में नहीं चल रही हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अप्रैल 1975 में घाटे की राशि 7.6 करोड़ रुपये थी किन्तु जुलाई 1976 तक यह राशि 1.25 करोड़ रुपये है। अन्ततः यह घाटा पूरा हो जायेगा और इनमें लाभ होने लगेगा। मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिये वर्तमान समय और भविष्य के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार की गई हैं। बहुत से कपड़ा मिल अब विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं तथा कुछ समय बाद निर्यात काफी मात्रा तक बढ़ जायेगा। दो मिलें, लक्ष्मी रतन मिल्स और एथर्टन बैस्ट मिल्स का हाल में राष्ट्रीयकरण किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय का यह प्रस्ताव है कि इन मिलों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब 5.90 करोड़ में से 2.74 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस राशि की मंजूरी जारी कर दी गई है और हम चाहते हैं कि यह मिल चलते रहें।

यह कहा गया है कि उर्वरकों के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता अमीर निर्माताओं को दी जाती है। यह सच नहीं है। यह आर्थिक सहायता निर्माताओं के माध्यम से किसानों को ही दी जाएगी। इससे बडे बड़े किसानों को सहायता नहीं मिलेगी बल्कि उन छोटे किसानों को ही दी जाएगी जिन्हें इनकी वास्तव में आवश्यकता है। मूल्य में कमी के फलस्वरूप जिसके लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी थी उर्वरकों का अधिक उठान हुआ है

और इनकी खपत में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। समेकित ग्रामीण विकास हेतु वित्त मंत्रालय को बजट पेश करने के समय 15 करोड़ रुपया दिया जाना था किन्तु तत्पश्चात् यह निर्णय किया गया कि यह राशि वित्त मंत्रालय को न देकर अपितु ग्रामीण विकास विभाग को दी जाए। पिछली बार यह कहा गया था कि चूंकि धन एक विभाग से दूसरे विभाग को अन्तरित नहीं किया जा सका, इसलिए वह बेकार पड़ा रहा इसलिए अब ग्रामीण विकास शीर्षक के अन्तर्गत अनुपूरक मांगों के लिए राशि मांगी गई है।

जहां तक केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की छटी किश्त के भुगतान का सम्बन्ध है अन्तिम निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से अवश्य परामर्श किया जाएगा।

सामान्य रूप से यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार जारी है, कोई अनुशासन नहीं है और सरकारी कर्मचारी अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकारी अधिकारियों की प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने हेतु समय समय पर उनके कार्य की समीक्षा की जाती है। देश की प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

रोजगार समाचार का उल्लेख किया गया है कि इस में केवल उच्च पदों के सम्बन्ध में ही विज्ञापन होते हैं। जबकि तथ्य यह है कि इसमें प्रशिक्षुओं के पदों के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं, जहां तक निम्न ग्रेडों के पदों का सम्बन्ध है आम तौर पर इन पर नियुक्तियां सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं अतः इन पदों के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं दिए जाते। सामान्यतयः इसमें उन पदों के विज्ञापन दिए जाते हैं जिनका वेतन 500 अथवा इससे अधिक होता है।

यह भी कहा गया है कि शिक्षा के लिए कोई मांग नहीं रखी गई है। यह कोई मुख्य बजट नहीं है बल्कि अनुपूरक मांगें हैं। फिर यह कोई आलोचना की बात नहीं बल्कि सन्तोष की बात है कि शिक्षा मंत्रालय ने आवंटित किए गए पैसे में ही गुजारा कर लिया है और उसने अनुपूरक मांगें नहीं रखी हैं।

परिवार नियोजन कार्य को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि वे देश के कोने कोने में जा कर परिवार नियोजन का संदेश फैलायें। मुझे बताया गया है कि जितनी देर में मनुष्य की नाड़ी धड़कती है तीन शिशु जन्म ले लेते हैं। देश की समृद्धि की दृष्टि से इतना अधिक जन्म दर नहीं रहनी चाहिए।

हम वर्गहीन समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो जीवन की मूल आवश्यकताएं तो सभी को प्राप्त होनी ही चाहिए। अतः भविष्य में हमारे सभी कार्यक्रमों को परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रमुखता मिलनी चाहिए। इसके लिए हमें एक सशक्त जनमत तैयार करना होगा। यह कहा जाता है कि तीन प्रकार के तेज संचार साधन होते हैं। एक टेलीफोन, दूसरा तार और तीसरा महिला तो फिर क्यों न इस तीसरे साधन का सदपयोग किया जाए। महिलाओं को बताईये और समझाइये और इस प्रकार परिवार नियोजन का कार्यक्रम घर घर पहुंच सकता है। महिला मां, पत्नी और बहिन की भूमिका निभाती हैं और इस देश में 50 प्रतिशत आबादी उन्हीं की है इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी भी है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इस कार्यक्रम को एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। आबादी पर नियन्त्रण करने के लिए

ही यह कार्यक्रम अपनाया गया था। अतः जहां तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वह आबादी नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो प्रतिनिधित्व राज्यों को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में दिया गया है वह वर्ष 2001 तक जारी रहेगा अतः यह भय कि इससे राज्य विधान सभाओं अथवा लोक सभा में दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व में कमी होगी निराधार है।

अनेक सदस्यों ने हाथकरघा उद्योग के लिए भी प्रश्न उठाया है। कृषि के बाद यह सब से बड़ा उद्योग है। हाथकरघा उद्योग से हम अच्छी खासी मुद्रा कमा रहे हैं। इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि इस से सम्बद्ध लोगों से रोजगार प्राप्त हो। हमारे देश में हाथकरघा उत्पाद अन्य देश की तुलना में अच्छे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में 17 गहन विकास परियोजनाएं तथा 20 निर्यात प्रधान परियोजनाएं को स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है और राज्य सरकार इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करेंगी। इस उद्देश्य हेतु उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करनी होगी ताकि इन योजनाओं को अविलम्ब चालू किया जा सके।

त्रिपुरा, मनिपुर और आसाम में बाढ़ों से हुई हानि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसके लिए कुछ व्यवस्था की गई है। छटे वित्त आयोग के अनुसार राहत कार्यों पर सम्बद्ध राज्यों को ही धन व्यय करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो वह केन्द्र से इस उद्देश्य के लिए अग्रिम राशि के रूप में सहायता ले सकते हैं।

"समाचार" का भी उल्लेख किया गया है। इस वर्ष सरकार ने इसके लिए 25 लाख में से 10 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है और बाकी अनुदान इस सम्बन्ध में स्थापित की गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

श्री निंबालकर (कोल्हापुर) : माननीय मंत्री ने अत्यन्त महत्वपूर्ण बात का उत्तर नहीं दिया कि जो धनराशि बाजार में आएगी क्या उससे देश में मुद्रास्फीति को बल नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अधिक धनराशि नहीं है यह केवल 130 करोड़ रुपए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1976–77 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Supplementary demands for grants(General) for the year 1976-77 were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1.	कृषि विभाग	20,85,000	
2.	कृषि	60,00,00,000	. .

8—683LSS/76

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
7.	ग्रामीण और विकास विभाग	15,00,00,000	
	वाणिज्य मंत्रालय		
14.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,000	40,68,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
25.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		15,00,000
	ऊर्जा मंत्रालय		
29.	ऊर्जा मंत्रालय	3,78,000	..
30.	विद्युत् विभाग		32,00,02,000
	विदेश मंत्रालय		
32.	विदेश मंत्रालय	2,50,00,000	
	वित्त मंत्रालय		
38.	राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	9,40,73,000	..
39.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय		58,56,60,000
	राजस्व और बैंकिंग विभाग		
41.	राजस्व और बैंकिंग विभाग .	3,45,000	
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय		
48.	परिवार नियोजन .	5,00,00,000	
	गृह मंत्रालय		
51.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,000	
	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
61.	उद्योग . .		1,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . .		
65.	सूचना और प्रचार . . .	1,00,00,000	
	योजना मंत्रालय		
76.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,00,000	
	इस्पात और खान मंत्रालय		
83.	इस्पात विभाग	5,50,000	7,28,79,000
84.	खान विभाग . . .	6,00,000	..

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
85.	खानें और खनिज	1,23,00,000	1,98,00,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
88.	पुनर्वास विभाग		46,00,000
	परमाणु उर्जा विभाग		
99.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं . .	..	1,000

विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976

Appropriation (No 5) Bill, 1976

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।
महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

चर्म-खाल आदि के निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTIONS *RE* : INCREASE IN EXPORT DUTY ON HIDES, SKINS ETC.

(1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के बारे में

Regarding Customs Tariff Act, 1975

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्पों पर चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री प्रणव कुमार मुखर्जी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : श्रीमान् मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व प्रभाग) को निम्नलिखित अधिसूचनाओं का प्रत्येक की तारीख से अनुमोदन करती है, अर्थात् :—

(क) दिनांक 2 अगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 741 (ङ) जिसके द्वारा चर्म, खाल और साधित और असाधित सभी प्रकार के चमड़े, किन्तु जिसमें चमड़े से विनिर्मित वस्तुएं नहीं आतीं, पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है;

(ख) दिनांक 2 अगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 743(ङ) जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में नये शीर्ष संख्या 21 के अन्तर्गत पशुआहार पर 125 रुपये प्रति टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है;

(ग) दिनांक 2 अगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 745 (ङ) जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शीर्ष संख्या 8 में 'अभ्रक' प्रविष्टि के स्थान पर 'अभ्रक, विर्निमित अभ्रक सहित' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है।"

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 को 2 अगस्त, 1976 से प्रभावी किया गया है तथा इसके द्वारा भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 प्रतिस्थापित किया गया है। अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 741 (ङ), दिनांक 2 अगस्त, 1976 में शुल्क दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की व्यवस्था है जिससे कि पूर्वस्थिति बनी रहे।

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 743 (ङ), दिनांक 2 अगस्त, 1976 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में एक पृथक शीर्षक 21 जोड़ा गया है। इसमें पशुओं के चारे पर 125 रु० प्रति मीटरी टन के हिसाब से निर्यात शुल्क लगाने की व्यवस्था है।

अधिसूचना संख्या 745 (ङ), दिनांक 2 अगस्त, 1976 में नये अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के शीर्षक 8 में दिए गए ब्यौरे को संशोधित करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रस्तावित संशोधन द्वारा ऐसे अभ्रक के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है जिस पर निर्यात शुल्क लगता है, मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इन अधिसूचनाओं द्वारा निर्यात शुल्क के रूप में किसी प्रकार का अधिक बोझ नहीं डाला गया है। निर्यात शुल्क का स्तर वही रहेगा जो 2 अगस्त से पहले था। अतः मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इन अधिसूचनाओं का अनुमोदन करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया।

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व प्रभाग) को निम्नलिखित अधिसूचनाओं का प्रत्येक की तारीख से अनुमोदन करती है, अर्थात् :—

(क) दिनांक 2 अगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 741 (ङ) जिसके द्वारा चर्म, खाल और साधित और असाधित सभी प्रकार के चमड़े, किन्तु जिसमें चमड़े से विनिर्मित वस्तुएं नहीं आतीं, पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है;

(ख) दिनांक 2 अगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 743 (ङ) जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में नये शीर्ष संख्या 21 के अन्तर्गत पशुआहार पर 125 रुपये प्रति टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है;

(ग) दिनांक 2 अगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 745 (ङ), जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शीर्ष संख्या 8 में 'अभ्रक' प्रविष्टि के स्थान पर 'अभ्रक, विनिर्मित अभ्रक सहित' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं इस संकल्प का निःसंकोच समर्थन करता हूं क्योंकि इससे शुल्क का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। चर्म, खाल और चमड़े का निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। पर कुछ चर्म शोधनवालों ने शोधित चमड़ा बेचने वाले छोटे व्यापारियों से सम्पर्क बना कर समूची मण्डी पर एकाधिकार कर लिया है। फलतः इससे केवल उन्हें ही लाभ हो रहा है। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि चर्म का निर्यात सभी चर्म शोधनशालाओं के मालिकों में उचित रूप से वितरित हो, कदम उठाए जाने चाहिए।

चमड़ा उद्योग को प्लास्टिक तथा अन्य संश्लिष्ट पदार्थों की बड़ी प्रतियोगिता से बचाने के उद्देश्य से एक निगम की स्थापना करना जरूरी है। मालूम हुआ है कि वाणिज्य मंत्रालय एक भारत चमड़ा निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस भारत चमड़ा निगम का क्या बना। इस निगम को न केवल चमड़े के निर्यात का काम करना चाहिए अपितु चमड़े की वस्तुएं बनाने का काम भी इसे सौंपा जाना चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में हमें सुधार करना होगा। जब तक हम टी० ए० एफ० सी० ओ० द्वारा बनाए गए जूतों का निर्यात नहीं करेंगे तब तक उनकी देश में भी अच्छी बिक्री नहीं होगी। हमारा निर्यात सीमित है और हम और अच्छी किस्म के जूतों का निर्यात कर सकते हैं। चमड़ा उद्योग की सहायता करने के लिए वित्त मंत्री को वाणिज्य मंत्री से बातचीत करनी चाहिए। हमें बदलते फैशन के अनुकूल वस्तुएं बनानी चाहिए। चमड़ा उद्योग इस समय संकट में है। हमें उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यह काम हम अपने मित्र देशों को निर्यात कर के पूरा कर सकते हैं और अपने इस उद्योग की रक्षा कर सकते हैं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: एक संकल्प 1 मई, 1976 को जारी किया गया ताकि कच्चे चमड़े को देश से बाहर न भेजा जा सके और इसीलिए हमने उस पर 25 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया। जहां तक चमड़े और अन्य वस्तुओं की निर्यात नीति का सम्बन्ध है, यह विषय वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और हम इस मामले में उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि देश से कच्चा चमड़ा या खालें निर्यात करने की बजाय निर्मित चमड़े का निर्यात हो। इसी उद्देश्य से हम निर्यात शुल्क लगा रहे हैं। मित्र देशों के साथ निर्यात बढ़ाने तथा चमड़ा उद्योग में सुधार लाने के मामले पर सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के

राजस्व श्रौर बैंकिंग विभाग (राजस्व प्रभाग) को निम्नलिखित श्रधिसूचनाश्रों का प्रत्येक की तारीख से श्रनुमोदन करती है, श्रर्थात् :--

(क) दिनांक 2 श्रगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 741 (ङ) जिसके द्वारा चर्म, खाल श्रौर साधित श्रौर श्रसाधित सभी प्रकार के चमड़े, किन्तु जिसमें चमड़े से विनिर्मित वस्तुएं नहीं श्राती, पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है:

(ख) दिनांक 2 श्रगस्त, 1976 की संख्या सा० सां० नि० 743 (ङ) जिसके द्वारा उक्त श्रधिनियम की दूसरी श्रनुसूची में नए शीर्ष संख्या 21 के श्रन्तर्गत पशुश्राहार पर 125 रुपए प्रति टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है;

(ग) दिनांक 2 श्रगस्त, 1976 की संख्या सां० सा० नि० 745 (ङ) जिसके द्वारा उक्त श्रधिनियम की दूसरी श्रनुसूची में शीर्ष संख्या 8 में 'श्रभ्रको' प्रविष्टि के स्थान पर 'श्रभ्रक, विनिर्मित श्रभ्रक सहित' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

नागालैण्ड के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *RE*: CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATION IN RESPECT OF NAGALAND

उपाध्यक्ष महोदय : श्रब मैं नागालैण्ड के बारे में उद्घोषणा के जारी रखने संबंधी श्रगले मद को लेता हूं। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के श्रनुच्छेद 356 के श्रधीन नागालण्ड के संबंध में दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1976 से 6 मास की श्रवधि के लिए श्रौर लागू रखने का श्रनुमोदन करती है।"

राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय से राज्य में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भूमिगत नागाश्रों से शांतिपूर्ण वार्ता करने के परिणामस्वरूप 11-11-1975 को शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने की बात है। नागालैंड के इतिहास में यह एक बड़ी बात है। समझौते के श्रंतर्गत भूमिगत तत्वों ने बिना शर्त के भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई करना श्रौर हथियार उठाना त्याग दिया है। शिलांग समझौते का कार्यान्वियन संतोषजनक ढंग से हो रहा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के समय से राज्य में कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटी है। सरकार ने सद्भावना के रूप में विद्रोह के संबंध में नजरबंद सभी कैदियों श्रौर मुकदमा चल रहे लोगों तथा नजरबंदियों को रिहा कर दिया है।

सरकार की इच्छा है कि शांति श्रौर सामान्य स्थिति कायम होने के बाद नागालैंड में श्रार्थिक श्रौर सामाजिक विकास हो। राष्ट्रपति शासन के दौरान इस दिशा में श्रनेक कदम उठाए गए हैं। विकास परियोजनाश्रों पर तेजी से कार्य हो रहा है। पांचवी योजना का प्रावधान बढ़ाकर 83.47 करोड़ रुपए

कर दिया गया है। वार्षिक योजना का प्रावधान बढ़ाकर 17.7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करने को महत्व को दे रही है।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 25 सितम्बर, 1976 को समाप्त हो रही है। यदि इस तारीख से पहले चुनाव कराने हैं, तो वर्षा ऋतु के दौरान इसके लिए व्यवस्था की जानी होगी। इस समय यहां पर काफी वर्षा होती है। संचार व्यवस्था ग्रस्त-व्यस्त हो जाती है और आवागमन मुश्किल से होता है। इसी समय अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान शिलांग समझौता तेजी से अमल में लाया जा रहा है और शांति तथा सद्भाव का एक नया वातावरण तैयार हो रहा है। ऐसे समय में चुनाव कराने से कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, जिससे राज्य में सामान्य स्थिति लाने के कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसीरिलए यह महसूस किया गया है कि शांति को स्थाई बनाया जाए और चुनाव होने से पूर्व इस दिशा में और प्रगति की जाए। इसीलिए सरकार का विचार है कि 26 सितम्बर, 1976 से नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ा दी जाए।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प पेश किया गया :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैण्ड के संबंध में दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सामान्यत: मैं उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने का समर्थन नहीं करता हूं परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि नागालैण्ड की इस वर्तमान स्थिति में, जबकि नागा विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उनकी गतिविधियों पर रोक लग गई है, चुनावों से पूर्व इस वातावरण को बनाए रखना आवश्यक है। सरकार का यह बड़ा ही उचित कदम है। जब असाधारण स्थिति के कारण इस सभा की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई है, तब नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक क्यों न बढ़ायी जाए?

विद्रोही नागाओं ने यह महसूस कर लिया है कि शत्रुता का एक सीमित स्थान होता है। अन्ततोगत्वा उन्हें संयुक्त भारत में रहना है।

इसके अलावा ये नागा इमानदार हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने यह कार्य अच्छे इरादे से किया है। यही नहीं, नागालैण्ड का विकास करना होगा। वहां युवकों को नौकरी देनी होगी, क्योंकि नागालैण्ड और नागालैण्ड के लोगों पर सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की मदद से नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। यह देश का अभिन्न अंग है और नागालैण्ड के लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि वे भारत के अभिन्न अंग हैं। वहां युवकों और बच्चों को समुचित शिक्षा देकर उनमें व्याप्त पृथकवादी प्रवृत्ति को समाप्त करना है। उन्हें यह महसूस कराना है कि वे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा में हैं। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि वे भिन्न हैं। नागाओं को देश में चारों ओर भ्रमण करना चाहिए, ताकि वे यह देख सकें कि निहित स्वार्थ दलों द्वारा नागालैण्ड में जो प्रचार किया गया है, वह सर्वथा गलत है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में देश में 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहा है। इस राज्य को भी इससे लाभान्वित होना चाहिए। अब पृथकवादी प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए।

मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पिछले आन्दोलन के दौरान जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। हमें इस प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जब युवा लोग शिक्षित हो जाएं तो उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें, अन्यथा समस्या गम्भीर बन जाएगी। वहां पर जो जवान और अन्य लोग भेजे जाएं, वे उनके साथ अच्छा सलूक करें और आन्तरिक और वाह्य खतरे से उन्हें बचाएं। वहां की मां बहनें भी यह महसूस करें कि वही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के व्यक्ति तथा अन्य लोग उनकी रक्षा के लिए हैं। उनके साथ बलात्कार आदि जैसी बातें न हों जैसा कि सुना जा चुका है। इस प्रकार धीरे धीरे वहां चुनाव के लिए वातावरण तैयार किया जाए, क्योंकि वे एक निर्वाचित सभा चाहते हैं। हम कतिपय स्थिति के कारण ही इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं अन्यथा हम इसका समर्थन नहीं करते।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : महोदय, मैं श्री एस० एम० बैनर्जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे संकल्प का समर्थन किया है। मैं उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अधिकांशतः सहमत हूं कि वहां पृथकवादी विचारों का काफी समय तक प्रचार किया गया और इसी कारण गत 20 वर्षों से नागालैण्ड में गड़बड़ी बनी रही। फिर भी सौभाग्य से छिपे नागाओं ने स्थिति की वास्तविकता को समझा और उनसे समझौता करने के लिए उचित वातावरण तैयार किया गया और हम समझौता करने में सफल हुए। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने छिपे नागाओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव किया और उनके पुनर्वास में भी रुचि दिखलाई।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि नागालैण्ड के युवा पुरुषों को देश में भ्रमण कराया जाए जिससे वे स्थिति को समझ सकें। यह भी सत्य है कि उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने होंगे। वहां संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। नागालैण्ड के विकास के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। निस्संन्देह अधिक समझबूझ और सहयोग तथा वहां अधिकाधिक विकास परियोजनाएं आरंभ करने से वे लोग राष्ट्र की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बन जाएंगे।

नागालैण्ड में एक बड़ी कागज मिल स्थापित करने का विचार है। मुझे यह मालूम नहीं है कि इसकी स्थिति क्या है। इसमें वहां काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। दीनापुर में चीनी का एक कारखाना भी है।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो भी अधिकारी वहां जाएं, वे उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि जिससे वे यह महसूस करें कि उनकी मदद करने के लिए मित्र आ गए हैं।

चुनाव उचित समय पर होंगे। परन्तु यह समय चुनाव के लिए उचित नहीं है। हम आपके इस विचार को ध्यान में रखेंगे कि नागालैण्ड में स्थायी रूप से राष्ट्रपति शासन न रहे।

उपाध्यक्ष **महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैण्ड के सम्बन्ध में दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

तमिलनाडु के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा को लागू करने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *RE.* CONTINUANCE FORCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF TAMIL NADU

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपतीय उद्घोषणा के बारे में अगले संकल्प को लेता हूं।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु के सम्बन्ध में दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 10 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

राष्ट्रपति शासन के दौरान इस राज्य में स्वच्छ और कुशल प्रशासन देने पर अधिक जोर दिया गया है। भ्रष्ट और अकुशल कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और उनके स्थान पर सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के बारे में पूरी-पूरी सावधानी बरती गई है। जनता की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। समाज विरोधी तत्वों और प्रतिबन्धित संगठनों के सदस्यों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की गई है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय से श्रमिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा मजदूरी के भुगतान न करने, छंटनी तथा हड़ताल आदि जैसे अनेक श्रम विवाद हल किए गए हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि तमिलनाडु में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित न किए जाने के बारे में पहले शिकायतें की गई थीं। अब राज्य सरकार नए आर्थिक कार्यक्रम को सर्वोच्च महत्व दे रही है। अत्यावश्यक वस्तुओं का कारगर ढंग से वितरण हो, इसके लिए सरकार ने दंडात्मक उपाय किए हैं चावल और अन्य वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य भी गिरे हैं। ग्रामीण ऋण की समाप्ति, शहरी तथा शहरीकरण योग्य भूमि के समाजीकरण के बारे में वैधानिक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। खेतिहर काश्तकारों को संरक्षण देने, ग्रामीण कारीगरों को आवास स्थान के स्वामित्व अधिकार देने सम्बन्धी अन्य वैधानिक प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई है। तमिलनाडु अधिकतम सीमा कानून पर भी सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। सहकारी समितियों और धार्मिक संस्थाओं के कार्य में सुधार करने के लिए आवश्यक वैधानिक उपाय किए गए हैं। बंधक मजदूरों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से योजनाएं शुरू करके कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर-पूर्व मानसूनों के न आने से 15 में से 10 जिलों में अभाव की स्थिति लगातार दूसरे वर्ष भी उत्पन्न हो गई है। केन्द्रीय सरकार ने सूखा सहायता के लिए पहले ही 7.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इन जिलों में सहायता कार्य पूरी तरह जारी है। पेय जल की कमी की समस्या का हल करने के लिए 32,000 कुएं खोदे गए हैं। सूखाग्रस्त जिलों में रोजगार देने के लिए भूमि संरक्षण, बनरोपण, मध्यम और छोटी सिंचाई तथा सड़क कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

यहां राष्ट्रपति शासन की अवधि 9 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने जा रही है। प्रशासन तंत्र इस समय सूखाग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के कार्य में संलग्न है। इसलिए इस अवधि के समाप्त

होने से पूर्व वहां चुनाव कराना संभव नहीं है। अतः सरकार का विचार है कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति का शासन 10 सितम्बर, 1975 से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प को सभा के अनुमोदन के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु के सम्बन्ध में दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 10 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS.

66वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेता हूं।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 66वें प्रतिवेदन से, जो 17 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 66वें प्रतिवेदन से, जो 17 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

राष्ट्रीय वन-नीति के बारे में संकल्प —जारी

RESOLUTION *RE* NATIONAL FOREST POLICY—contd.

उपाध्यक्ष महोदय : हम श्री पी० के० देव द्वारा पेश किए गए संकल्प पर आगे चर्चा के मद को लेते हैं।

***श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। 1952 में राष्ट्रीय वन-नीति में यह सुझाव दिया गया है कि हमारे देश में वन के अन्तर्गत जो क्षेत्र हैं, उसे बढ़ाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिएं। परन्तु हम इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कर सके। गत 26 वर्षों के दौरान हम अपने देश में वनों के विकास के सम्बन्ध में कोई प्रगति भी नहीं कर सके हैं। दूसरे वर्तमान वनों का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि वन संपत्ति का समुचित उपयोग किया जायेगा, तो हमारे देश की आर्थिक

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Bengali.

स्थिति के विकास में मदद मिलेगी। इससे बोरोज़गार की स्थिति को हल करने में भी सहायता मिलेगी।

वनों का प्रशासन राज्य सरकारों के हाथों में है। अधिकांश सरकारें उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं। वनों पर पर्याप्त धनराशि भी व्यय नहीं की जा रही है। वनों के विकास में मुख्य बाधा धन की कमी है। अतः मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उदारता के साथ सहायता प्रदान करे, जिससे वे वनों का अधिकाधिक उपयोग कर सकें।

हमें वनों से काफी चीज़ें मिलती हैं। हमें औषधीय जड़ी-बूटियां तथा शहद सुन्दरवन से मिलता है। मधुमक्खी पालन के लिये हमें योजनायें बनानी चाहियें। इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा तथा हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त वन उत्पादों का निर्यात करके हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले और उड़ीसा राज्य में बीड़ी के अनेक जंगल हैं। अधिकांश जंगल अभी भी गैर-सरकारी व्यापारियों के स्वामित्व में हैं। वहां कर्मचारियों को 50-60 पैसे के हिसाब से प्रतिदिन मामूली मज़ूरी मिलती है। इनका शोषण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इन राज्य सरकारों पर ज़ोर डाले ताकि बीड़ी कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिये विशेष कानून पास किया जा सके। गैर-सरकारी लोगों के हाथों में जो वन है, उनका सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इन कदमों से हम देश में वन विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रगति कर सकेंगे।

M. C. DAGA (Pali): Mr. Chairman, Sir, the beauty of the House is with the presence of its members. Similarly the beauty of land depends on its having more trees. It is rue that the Agriculture Ministry has had a good performance by way of good production of foodgrains and if this Ministry can at all be blamed for anything then it is the forests because the forests are diminishing in India. I would also like to stress upon the point that there should be a forest policy. So many committees were set up and they made so many recommendations in this regard. The Estimates Committee in their 65th report have also stressed that an assessment of waste land should be made in the Fifth Five Year Plan for expansion of forests. It was decided in the First Five Year Plan that the waste land in India should be brought under forests. but this has been done only after a period of 18 years. The law in regard to forests was enacted in 1927 and time and again it was suggested that this should be amended but no action has been taken in this direction. The position of forests is also not good in the villages. It was recommended that 33 per cent of land should be brought under forests in all the States and Union Territories but the Central Government is not in a Statutory position to enforce the recommendation. This could only be done by amending the constitution and it is a golden opportunity to do so. The forests also earn foreign exchange in addition to their being of great value for industrial and house-hold purposes. But unfortunately these forests have been discriminately exploited and Government could not take any effective action in this regard. Shri Sanjay Gandhi has given a good call for the plantation of trees. But it would be better if shady and fruit-bearing trees are planted. Strict punishment amounting to imprisonment should be given for destroying forests. Mere fine will not check it because the person fined, might gain more from the forest, unless a uniform law is made, it would not be possible to check the destruction of the forests. National Commission on Agriculture has stated in its report that it can be possible to frame an all India act in such a manner that the states are free to make subsidiary rules and regulations under the Act to meet any special situations. Therefore the Government should enact a law in this regard. Attention shuold also be paid to the utility of forests as a source of employment to the villagers by setting up forest-based industries. National Commission on Agriculture has also stressed upon

the revised national policy of India being based on the management of forest resources of the country so as to provide maximum goods and services for the well-being of the people and economic progress of the country. Erosion should be checked and the forests should also provide reereactional and tourist opportunities. In Hill Stations houses are being constructed by cutting trees which is not good. The beauty of the forests has been destroyed. Restriction should be imposed thereon.

Every Panchayat should give land for forests. Formerly there were protected forests but now there are no restrictions. Forest Department is also responsible for this. They have a hand in the destruction of forests. In short I would only stress upon the point that alongwith plantation the existing forests should be protected and there should be a uniform law for all the States.

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय यह एक संयोग की बात है कि भगवान बुद्ध भी एक वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे । उन्होंने भी वनों के बारे में कहा कि वन अपार दया और उदारता के प्रतीक हैं । वे सभी को संरक्षण और छाया प्रदान करते हैं तथा उनके काटने वालों के प्रति भी कोई भेद-भाव नहीं करते हैं । आज केवल 22 प्रतिशत भूमि में ही वन हैं जब कि राष्ट्रीय वन-नीति में यह कहा गया है कि कम से कम 33.3 प्रतिशत भूमि में वन होने चाहिएं । कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां केवल 5-6 प्रतिशत भूमि में ही वन हैं । यदि वनों की ठीक व्यवस्था की जाये तो इससे प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का और लाभ हो सकता है । आज केवल 30 करोड़ रुपये की वनों से आय होती है जब कि लगभग 22 करोड़ रुपये उनकी व्यवस्था पर व्यय किये जाते हैं । गत दो दशकों में वन-कटाव तिगुनी गति से होता रहा है । वन-कटाव के कारण कटाव, बाढ़ और पानी भर जाने से भारत की आधी जमीन खेती के योग्य नहीं रही है । लाखों एकड़ ऊपरी मिट्टी हर साल बह जाती है जिससे जमीन की उत्पादकता समाप्त हो गई है । वनों के समाप्त होने से जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पाती है । और उन लोगों को जो उन पर अपनी रोजी के लिए निर्भर रहते हैं अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा साथ ही वनों के नाश होने से गोबर को अधिकाधिक जलाने के काम में लाया जाता है ।

श्री डागा ने प्राक्कलन समिति का उल्लेख किया है । देश की उर्वरक शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ वृक्ष लगाने की आवश्यकता है । जहां तक वन सड़कों के विकास का सम्बन्ध है प्राक्कलन समिति ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि 11,050 किलोमीटर सड़कों के विकास का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से केवल 7,100 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है ।

उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है । यह संसार के सुन्दरतम स्थानों में है । परन्तु 40,000 वर्ग मील के उस क्षेत्र में एक मील भी अच्छी सड़क नहीं है । महानदी के पास बड़ासिलिंग के क्षेत्र में 30,000 आदिवासी रहते हैं । वहां भी एक किलोमीटर सड़क नहीं है । वहां वनों में सड़क बनाने की ओर ध्यान दिया जाये ।

पूर्वी अफ्रीका के कुछ देश 100 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा अपने वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्रों से अर्जित कर रहे हैं । हम इससे दुगुनी आय कर सकते हैं यदि हम अपने देश में वन्यजीवन संरक्षण का विकास करें ।

कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि 1,125 करोड़ रुपये नियोजित रुप में व्यय किया जाये तो भारत को हरियाली में बदला जा सकता है । पता नहीं सरकार कितना पैसा खर्च

कर सकेगी और आयोजकों ने इस सम्बन्ध में क्या सोचा है। श्री संजय गांधी ने देश के नवयुवकों को देश को हरियाली में बदलने का आह्वान बहुत ही उचित समय पर दिया है। यदि इस आह्वान को कार्यरूप दिया जाता है तो अगले 25 वर्षों में भारत में सर्वत्र हरियाली छा जायेगी।

काले धन का एक बड़ा साधन जिस पर कोई रोक नहीं लगी है वह वनों के ठेकेदार हैं वे देश की वन सम्पदा को चूस रहे हैं। आश्चर्य है सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही क्यों नहीं की है।

शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने का विचार है। वन सम्पदा को भी समवर्ती सूची में शामिल किया जाये जिससे वनों का विकास करने में केन्द्र अपनी भूमिका निभा सके।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सभापति महोदय, संकल्प में मुख्यत: इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहियें। मेरे विचार से प्रस्तावक का यह आशय नहीं था कि प्रत्येक राज्य में 33 प्रतिशत वन हों। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बहुत कम वन हैं और कुछ ऐसे स्थान हैं वहां 33 प्रतिशत से भी अधिक होंगे। मैं जिस जिले से सम्बन्धित हूं। वहां 4500 वर्ग मील भूमि पर वन हैं। कभी उस जिले की 85 प्रतिशत भूमि वनों के अन्तर्गत थी यह जिला उत्तरी कनारा है जो पश्चिमी घाट पर है और जहां कर्नाटक राज्य में सबसे घने जंगलात हैं। हम हर वर्ष 18 से 20 करोड़ रुपया वन राजस्व के रूप में राज्य के कोष में जमा करते हैं। इन वन क्षेत्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यह अन्याय गैर-वन क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है और मुझे प्रतीत होता है कि अभी राजनीतिक स्तर पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उद्योग और कृषि में तो कितना निवेश करना पड़ता है किन्तु वनों में बिना निवेश किये एक राजस्व का साधन बना हुआ है। आप वनों में बीस करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि कमाते हैं किन्तु उनमें निवेश के लिये एक करोड़ रुपया भी वापस नहीं करते। इस तरह हम इस संकल्प की भावना के अनुसार कैसे सोच सकते हैं कि समूचा देश हरियाली से भर जाये और देश भर में वन उगाये जायें। यह तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक 50 प्रतिशत रुपया इन वनों पर व्यय किया जाये।

मैंने यह बातें गृह मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, जो छटे वित्त आयोग के चेयरमैन हैं के ध्यान में लाई हैं किन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। किन्हीं क्षेत्रों में वित्त के मामले में बिल्कुल स्वदेशी उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों से काम लिया जाता है देश के समृद्ध क्षेत्रों के लिये पहाड़ी और वन क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है यह शोषण बराबर हमारे नाम के नीचे हो रहा है और हम क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की बातें करते हैं। सरकार के अनुसन्धान विभागों का भी वनों की ओर ध्यान नहीं गया अत: मैं यह चाहता हूं कि वन विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाये।

भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा बना दी गई है। उस सेवा में फिर से उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों और रेंजरों को ले लिया गया है। इसकी क्या गारंटी है कि वे अच्छा कार्य करेंगे। होता यह है कि 200 या 300 एकड़ भूमि को सुरक्षित कर लिया जाता है और ठेकेदार चुपके से जाकर पेड़ कटवा कर उन्हें बेच देता है और चंदन की लकड़ी की भी काफी तस्करी

होती रहती है। अतः इस प्रक्रिया में वनों का ही उन्मूलन होता रहता है। फिर देश में वनों से प्रति एकड़ 25 से 30 रुपये तक आय होती है जबकि जर्मनी जैसे छोटे से देश में सुरक्षित वनों से 350 से 400 रुपये तक आय होती है। अपने वनों को अधिक उत्पादक बनाया जाये। वन विकास निगम को केन्द्र की उचित सहायता मिलनी चाहिये। जिससे जितना उनसे लिया गया है उतना ही उन्हें वापिस दे दिया जाए। ऐसा किया जाने पर हम भारत में 33 प्रतिशत भूमि पर वन रखने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

डा० वी० के० आर० वर्दाराजा राव (बल्लारी) : सभापति महोदय, हम रोज़ वन नीति की चर्चा करते आ रहे हैं और 20 अथवा 22 वर्ष से वन महोत्सव भी मनाते चले आ रहे हैं किन्तु अब तो यह एक रसम हो गई है। इस दिन बड़े-बड़े व्यक्ति जाते हैं और वृक्ष लगाते हैं कभी उनका फोटो भी खिंच जाता है और कभी नहीं भी खिंचता। उसके बाद भूल जाते हैं कि कभी पेड़ लगाया था श्री शिन्दे 10, 12 साल से कृषि मन्त्रालय में हैं क्या वह पिछले दस बारह वर्षों में लगाये गये पेड़ों की स्थिति बता सकते हैं। मैं लम्बे अरसे से यह अनुभव कर रहा हूं कि भारतीय कृषि व्यवस्था में वनों की उपेक्षा की जा रही है हम फसलों और नकद फसलों में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं किन्तु वनों के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा अन्य विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों में फसलों, मौसमों आदि के बारे में अनुसंधान हो रहा है किन्तु वन सम्बन्धी अनुसंधान भी हो रहा है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। वनों के बारे में हमारी यह धारणा बनी हुई है कि वन अपने आप ही उग आते हैं, नष्ट हो जाते हैं और फिर उग आते हैं। मैं जानता हूं कि मैं व्यंग कर रहा हूं किन्तु ऐसा मैं जान-बूझ कर रहा हूं। राष्ट्र-निर्माण के लिये वन सम्पदा वृद्धि भी आवयश्क है। वर्तमान वनों से लाभ उठाना ही नहीं बल्कि भविष्य के लिये वन लगाना भी आवश्यक है। कुछ वर्ष पहले मुझे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बताया था कि राजस्थान की समस्या का समाधान तब हो सकता है जब एक बार वहां भारी वर्षा हो जाये। भारी वर्षा के होते ही वह वृक्ष लगा देंगे। इस बार भारी वर्षा हुई है किन्तु मैं यह नहीं जानता कि इस वर्ष उस कार्यक्रम का वहां कार्यान्वियन किया गया है अथवा नहीं।

अतः जब तक नियमित रूप से वन नहीं उगाये जायेंगे और इसके लिये आवश्यक धनराशि निवेश नहीं की जायेगी, तब तक हम वन समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। अतः वन विकास के लिये क्षेत्र-वार समय-बद्ध कार्यक्रम बनने चाहियें।

बहुत समय पहले कृषि मन्त्रालय में हमने ग्राम वनों का एक कार्यक्रम बनाया था। हमने प्रत्येक ग्राम में कुछ बेकार भूमि लेनी थी जिससे शीघ्र उगने वाले ईंधन योग्य पेड़ लगाने का कार्य करना था जिससे कि गांवों की ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लकड़ी की सप्लाई की जा सके। यह कार्यक्रम 13 या 14 वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं होना चाहिये। मन्त्री महोदय सभा को बताएं कि उस कार्यक्रम का क्या हुआ ?

क्या सरकार ने औद्योगिक वनों के लिये भी कोई कार्यक्रम तैयार किया है। क्या उन्होंने कोई क्षेत्र निर्धारित किया है जहां औद्योगिक वनों का रोपण किया जा सके। क्या सरकार की कोई औद्योगिक वनों सम्बन्धी कोई नीति है। यह नीति केवल कहने भर की नहीं

होनी चाहिये अपितु इस सम्बन्ध में पौधों, क्षेत्रों, वस्तुओं निवेश तथा कार्य के लिये मशीनों आदि के बारे में ब्यौरे दिये जाने चाहियें। पर्वतीय स्टेशनों पर बंगले बनाने का उल्लेख किया गया है। हमें पहाड़ी क्षेत्रों की सुन्दरता को बनाए रखने के लिये ही नहीं अपितु वनों की रक्षा के लिये भी पर्वतीय क्षेत्रों में मकान निर्माण के सम्बन्ध में एक वास्तविक और प्रतिबंधात्मक नीति अपनानी चाहिये।

कहा गया है कि वन को समवर्ती सूची में रखा जाना 'चाहिये। किसी चीज़ को समवर्ती सूची में रख देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। वनों को समवर्ती सूची में नहीं रखा जाना चाहिये। भारत एक विस्तृत देश है और केन्द्रीय सरकार इतने बड़ी ज़िम्मेदारी से निपटने में क्या कठिनाई नहीं अनुभव करेगी। अतः राज्य सरकार के अधिकारी इस कार्य को अधिक ज़िम्मेदारी से कर सकते है क्योंकि वह वहां के लोगों से अधिक सम्पर्क में रहते हैं। आप वन्य जीव संरक्षण विषय को समवर्ती सूची में रख सकते हैं कि वनों को समूचे तौर पर समवर्ती सूची में रखने का सुझाव मैं नहीं दूंगा।

मैं नदी तट क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं। इन क्षेत्रों की समुचित ढंग से देख-भाल नहीं हो पा रही है। अगर नदी तट क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक समुचित नीति नहीं होगी तो इससे बहुत ही अधिक भूमि कटाव होता रहेगा। अतः नदी तट क्षेत्र वन-नीति, औद्योगिक वन-नीति और ग्राम लकड़ी वन-नीति और पर्वतीय क्षेत्र वन-नीति की आवश्यकता है।

कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने एक विस्तृत पुस्तक प्रकाशित की है। कृषि मंत्रालय को वनों के सम्बन्ध में एक नीति तैयार करनी चाहिये। इस समय जबकि देश का ध्यान पौधे लगाने तथा वनरोपण की ओर आकर्षित किया जा रहा है मन्त्रालय को शीघ्र ही भारत की वन-सम्पदा, इसके वर्तमान दर्जे, इसके उपयोग के बारे में कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। भारतीय आर्थिक विकास, ग्रामीण विकास तथा रोज़गार के लिये वनों को बहुत महत्व दिया जाना चाहिये।

श्री डी० के० पंडा (भंजानगर) : हमारे देश में वन विकास का बहुत महत्व है। ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिये इसका विशेष महत्व है। उड़ीसा की एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी तथा जनजाति है और वह पूर्णतयः वन क्षेत्रों पर ही निर्भर करते हैं। उड़ीसा में अतुल वन-सम्पदा है वहां वन विकास की बहुत सम्भावनाएं है। वहां बहुत ही मूल्यवान इमारती और सागवान की लकड़ी का विकास किया जा सकता है।

75 प्रतिशत से अधिक कमज़ोर वर्ग वन क्षेत्रों में रहते है। उन्हें संविद प्रणाली के अन्तर्गत दासता से मुक्ति दिलाई जानी चाहिये। इन वनों से बहुमूल्य चंदन की लकड़ी तथा इमारती लकड़ी चोरी होती रहती है। आयोग का यह सुझाव है कि पड़ोसी गांवों के लोगों को सीधा रोज़गार दिया जाये ताकि वे वनों के साथ अपनत्व की भावना का अनुभव कर सकें इस प्रकार छोटी-छोटी चोरियां नहीं होंगी। अब आर्थिक कार्यक्रम को इस प्रकार से लागू किया जाए कि आदिवासियों को लाभ पहुंचे और उन पर दिन-रात होने वाले शोषण से छुटकारा मिले। वनों के विकास के लिये कोई सुनियोजित योजना होनी चाहिये। उन क्षेत्रों में सुनिश्चित ढंग से आरम्भ किया जाना चाहिये ताकि वहां वन सामग्री पर आधारित उद्योगों का विकास किया जा सके।

जहां तक संविद श्रम का सम्बन्ध है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इस प्रणाली का उन्मूलन किया जाये। उदाहरण के लिये उड़ीसा के श्रमिकों को दासता से मुक्त नहीं किया जा रहा है। इस के लिये कोई विधान तो पारित किया जाना चाहिये और केन्द्र को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने चाहिये ताकि वहां संविद प्रणाली समाप्त हो।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें उठाना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्रों में वन-नीति क्या है? वन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आदिवासियों को वन भूमि से वंचित कर दिया गया है। इसके लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई का काम अभी भी हो रहा है। इसे रोकने के लिए आदिवासियों को मैदानी इलाकों में बसाया जाना चाहिए। नई नीति के अन्तर्गत वनों की कटाई का कार्य रोका जाना चाहिए।

सरकार आदिवासियों को मैदानी इलाकों में कृषि योग्य भूमि प्रदान करे और इसके साथ-साथ खेती संबंधी सभी तरह की तकनीकी सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की जाएं।

कोरापुट जिले में वन संपत्ति बहुत अधिक है। दण्डकारण्य परियोजना भी वहां चल रही है। अधिकांश वनों की कटाई की गई है। कोरापुट के 300 किलोमीटर क्षेत्र में सरकार का वनरोपण का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार का कुछ धन देने का भी प्रस्ताव है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस ज़िले को प्राथमिकता प्रदान करें तथा वहां बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का कार्य शुरू किया जाए।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : इस सभा में यह संकल्प पेश करने के लिए मैं श्री पी० के० देव का बड़ा आभारी हूं। यह सभी को विदित है कि हमारे देश में वनों की स्थिति ठीक नहीं है। पर्यावरण, भूमि संरक्षण, चारा, ईंधन और इमारती लकड़ी की दृष्टि से वनों का विशेष महत्व है।

भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के अनेक देशों में वनों की सफाई की जाती रही है। परन्तु अब अनेक देशों में इस सम्बन्ध में जागृति आ गई है और वहां वनों का विकास शुरू हो गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन कृषि मंत्री श्री के० एम० मुंशी ने एक नीति सम्बन्धी संकल्प स्वीकार किया था, जिसमें वनों के संरक्षण के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने की बात कही गई थी। इसका सभी ने समर्थन किया था। परन्तु इसके बाद भी 1951 और 1973 की अवधि के दौरान 34 लाख हेक्टेयर वनों की सफाई की गई है।

वन महोत्सव मनाना गलत नहीं है। इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दूर करना होगा। पेड़ लगाए जाते हैं, परन्तु उनकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाती है। जब तक यह ज़िम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाएगी, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। ज़िम्मेदारी व्यक्ति विशेष की होनी चाहिए, समूचे गांव की नहीं। अब एक ऐसी स्थिति भी आ गई है, जबकि कुछ सामाजिक परंपराएं भी इस देश में विकसित करनी होंगी। बच्चे के जन्म के समय और किसी व्यक्ति के निधन के समय पेड़ लगाने की परंपरा कायम की जाए। इस तरह की परंपराएं समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी।

सभापति महोदय : आप कह सकते हैं कि प्रत्येक समारोह के उद्घाटन अथवा नींव रखने सम्बन्धी समारोह के समय एक पेड़ लगाया जाए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह गहुत ही अच्छा होगा । इससे इस कार्य में मदद मिलेगी ।

श्री डागा ने यह कहा है कि हमारा वन अधिनियम बहुत पुराना है। मैं इस बात से सहमत हूं। हमने कुछ राज्यों से परामर्श किया है । राज्य का विषय होने के नाते जब तक अपेक्षित संख्या में राज्य हमारा समर्थन नहीं करेंगे, तब तक हम विधेयक को इस सभा में पेश नहीं कर सकेंगे।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बल्लारी) : आप वन मंत्रियों की बैठक दिल्ली में क्यों नहीं बुला लेते हैं ? इस तरह की बैठक यहां अभी तक नहीं हुई है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :एक केन्द्रीय वन बोर्ड तथा स्थायी वन समिति है जिसकी बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं। केन्द्रीय वन बोर्ड में सभी वन मंत्री सदस्य हैं।

कोई भी देश तब तक अपने वनों की रक्षा करने में सफल नहीं होगा, जब तक चहुंमुखी जागृति नहीं होगी। हमारे देश में इस सम्बन्ध में जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। युवक कांग्रेस जैसे स्वयंसेवी संगठन इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है, हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। वन-नीति इस तरह की अपनायी जानी होगी कि आदिवासियों के हितों की रक्षा हो सके। साथ ही साथ हम वन-संपदा के संरक्षण की बात भी नहीं भूल सकते हैं।

विकेन्द्रीकरण की बात की जाती है। देश के पूर्वोत्तर भाग में मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में सुन्दर-सुन्दर वन हैं। यहां वनों की सफाई तेज़ी से की जा रही है। वहां वन राज्य सरकार के अधीन न होकर ज़िला परिषदों के अधीन हैं। ज़िला परिषदें इनकी देख-रेख नहीं कर पाती हैं।इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही अवश्य करनी होगी।

पशुओं के चरागाह के बारे में भी कोई नीति नहीं अपनाई गई है। पशु बड़े पेड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं परन्तु छोटे-छोटे पौधों को अवश्य नुक्सान पहुंचाते हैं। अतः इस देश के राजनीतिज्ञों को एकमत होकर इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए कि पशुओं के चरागाह के बारे में क्या नीति हो, क्योंकि यह पशुओं के हित में होगी।

अनेक स्थानों में मैं देखता हूं कि पेड़ इस बात को ध्यान में रखकर नहीं लगाए जाते हैं कि वहां कौन-सा पेड़ लग सकता है। इस सम्बन्ध में हमारे वन विभाग ने भी कोई अध्ययन नहीं किया है। हमें इस तरह के अध्ययन किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम अपने सामान्य ज्ञान के मुताबिक निर्णय कर सकते हैं।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : जंगलों में आग लग जाने से काफी वन-संपदा नष्ट हो जाती है। क्या मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह समस्या तो है। कुछ दुर्घटनाओं के अलावा अन्य कारणों से भी वनों में आग लग जाती है। असामाजिक तत्व भी स्थानीय स्थिति से लाभ उठाने के लिए ऐसा करते हैं। इस सम्बन्ध में हमने राज्य सरकारों को सचेत कर दिया है और वन विभाग को बता दिया है कि वनों के परिरक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तभी यह समस्या हल हो सकती है।

सभापति महोदय : क्या आपके पास इह सम्बन्ध में आंकड़े हैं कि वनों की कितनी लकड़ी ईंधन, इमारती लकड़ी और औद्योगिक प्रयोजनों के काम आती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। देश में वन कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है और इन कार्यक्रमों के बारे में काफी जन-जागृति और जनरुचि है। वन विभाग, राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं को ऐसे पेड़ों की किस्मों की सूची बनानी चाहिए जो ईंधन, इमारती लकड़ी और औद्योगिक उपयोग आदि की दृष्टि से विशेष क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं। यदि ऐसा किया जाएगा तो ये उपयोगी होंगे। हमें बिना सोचे समझे पेड़ नहीं लगाने चाहिएं। आर्थिक मूल्य की दृष्टि से पेड़ लगाए जाने चाहिएं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इमारती लकड़ी, ईंधन, पशु आहार और खाद्यान्न की दृष्टि से पेड़ लगाए जाने चाहिएं। यदि ऐसा किया जायेगा तो वनरोपण का कार्यक्रम अधिक सार्थक होगा।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) **:** आपने कहा है कि पेड़ लगाने का कार्य बिना सोचे समझे नहीं किया जाना चाहिए। क्या वन विभाग के पास कोई प्राथमिकता सूची है कि कौन-सा पेड़ लगाया जाए ?

[**श्री पी० पार्थसारथी** पीठासीन हुए।]

SHRI P. PARTHASARATHY *in the chair.*

कोई भी ऐसे पेड़ नहीं लगाता है जो 15 या 20 साल बाद फल देते हैं, जैसे अखरोट का वृक्ष ? अखरोट के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा मिलती है। यह केवल कश्मीर में है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार के पास काफी बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है। सरकार इस क्षेत्र में अखरोट के वृक्ष क्यों नहीं लगाती है ? लोगों को क्यों कहती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं। हम नहीं चाहते हैं कि लोग यह कार्य करें। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें, कृषि और अन्य संस्थाएं और वन विभाग इस सम्बन्ध में कार्य करें।

श्री डी० के० पंडा ने कहा है कि ठेके की प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। हमने राज्य सरकारों को विशेष अनुदेश जारी कर दिए हैं कि ठेके की प्रणाली और बिचौलिए की प्रथा पूर्णतया समाप्त की जानी चाहिए। हमारी नीति तो केवल 'एक ठेकेदार' अर्थात् 'वन निगम' को रखने की है जो एक सरकारी संगटन है। जब तक हम बिचौलियों को नहीं हटाएंगे तब तक हम वनों को नष्ट होने से नहीं बचा सकेंगे।

यह कहा गया है कि वनों से जो आय होती है, वह वनों के विकास में खर्च नहीं की जाती है। हमने राज्य सरकारों का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया है।

वन हमारी अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी इस तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि श्री पी० के० देव अपने संकल्प के लिए आग्रह नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य वाद-विवाद उठाया है, जिसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं। चूंकि सरकार को इस मामले की जानकारी है, इसलिए मैं उनसे यह संकल्प वापस लेने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री पी०. के० देव (कालाहांडी) : बड़े संतोष की बात है कि संकल्प को सभा में मतैक्य से समर्थन प्राप्त हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं वन हमारी एक महत्वपूर्ण सम्पदा हैं। ये हमें धूप और वर्षा से बचाते हैं। ईंधन और इमारती लकड़ी देते हैं तथा समय पर और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वन वातावरण को शुद्ध करते हैं तथा कार्बन डाइआक्साइड को सोख कर आक्सीजन छोड़ते हैं। पर्यावरण में संतुलन रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हम वनों की रक्षा करें। वास्तव में वनों को किसी भी राष्ट्र का ज़िगर माना जा सकता है। बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए भी वनों का होना ज़रूरी है। बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं की रक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि हम उनके आसपास के वनों को न काटें।

सन् 1952 में हमने यह पवित्र संकल्प किया था कि देश के 33.3 प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिएं पर हम केवल 22.7 प्रतिशत के लक्ष्य तक ही पहुंच पाये हैं।

यह खुशी की बात है कि इस संबंध में एक तर्क जागरूकता पैदा हुई है और इसके लिए श्री संजय गांधी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने वृक्षारोपण का अभियान आरम्भ किया है। जहां तक सामाजिक वन विद्या का सम्बन्ध है सभी राज्य, सरकारों, यहां तक कि जिला स्तर और पंचायत स्तर तक को परिपत्र जारी किए गए हैं। आशा है कि इस विषय में कुछ कदम उठाए जाएंगे तथा सम्बन्धित अधिकारियों से हर प्रकार का सहयोग लिया जायेगा।

सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह सड़कों मार्गों पर लगे हुए पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी। इसके साथ ही वनों का ठेका देने की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। आशा है कि सरकार वनरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए कारगर कदम उठाएगी। वनरोपण का सम्बन्ध मानव विकास से है। वन नहीं तो जन नहीं।

सभापति महोदय : श्री डागा ने एक संशोधन दिया है। हालांकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं फिर भी इस संशोधन को मतदान के लिए रखा जाता है।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : क्या यह सभा श्री पी० के० देव को उस संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है जो उन्होंने 14 मई 1976 को पेश किया था ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

(संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया)

(The Resolution was, by leave, withdrawn)

मुसलमानों के कमजोर वर्ग के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. PROVISION OF FACILITIES FOR WEAKER SECTIONS OF MUSLIMS

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : श्रीमन् मैं निम्नलिखित प्रस्ताव ते पेश करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि राष्ट्रीय एकता को अधिक सुदृढ़ बनाने तथा धर्म-निरपेक्षता को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुसलमान

अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार समुचित रूप से सुरक्षित रहें, सरकार निम्नलिखित उपाय करे:—

(एक) अन्य पिछड़े वर्गों के समान, शिक्षा और रोज़गार के प्रयोजनार्थ मुसलमानों के कमज़ोर वर्गों के लिए ऋण की व्यवस्था;

(दो) शहरी गंदी बस्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन मुसलमानों के लिए आवास-स्थलों की व्यवस्था;

(तीन) सरकारी, अर्ध-सरकारी सेवाओं तथा सरकारी उपक्रमों में मुसलमानों की भर्ती के लिए कोटे का निर्धारण;

(चार) संविधान के अनुच्छेद 347 के अधीन उन राज्यों में, जहां उर्दू भाषा-भाषी पर्याप्त संख्या में रहते हैं, उर्दू को सरकारी मान्यता;

(पांच) अल्पसंख्यक मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केन्द्र में एक आयुक्त की तथा राज्यों में अनुभागों की स्थापना।

इस संकल्प को पेश करते हुए मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सभी सदस्य इस विचार का समर्थन करेंगे कि देश के मुसलमान अल्पसंख्यकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों की समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण साम्प्रदायिक नहीं है। यदि हम राष्ट्रीय एकता और कार्य निरपेक्षता के सिद्धान्त को सार्थक ढंग से अमल में लाना चाहते हैं तो हमें अल्पसंख्यक मुसलमानों की समस्याओं के प्रश्न को एक राष्ट्रीय प्रश्न मानना होगा अतः इस सभा को इस मसले पर विचार करना चाहिए ताकि वह सरकार के समक्ष कार्यवाही के लिए कुछ सुझाव रख सके। इसलिए इस संकल्प में कुछ विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं।

हमारे देश में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ 72 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 11.2 प्रतिशत बैठती है। यह एक बड़े अल्पसंख्यक का प्रश्न है। यही कारण है कि मुसलमान अल्पसंख्यकों को समुचित महत्व देना ज़रूरी है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि सरकार उन के लिए कुछ नहीं कर रही। यह भी ठीक है कि हमारे लिए देश के अल्पसंख्यक कमज़ोर वर्ग के मुसलमानों के लिए सब कुछ कर पाना सम्भव नहीं है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही इस संकल्प में उनकी भलाई के लिए कुछ विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं।

देश में जो साम्प्रदायिक तनाव रहता है उसका क्या कारण है ? उसका कारण है गरीबी। शोषण करने वाले लोग इसका प्रयोग जनता के शोषण के लिये करते रहे हैं। महात्मा गांधी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस समस्या की जड़ शोषणकारी तत्वों तथा शोषितों के बीच होने वाले विवाद में निहित है। हमारे देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हमारे समाज का सबसे अधिक शोषित वर्ग रहा है। शिक्षा जगत में वह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। रोज़गार के क्षेत्र में उसके साथ सबसे अधिक भेदभाव बरता जाता है तथा संस्कृति के क्षेत्र में उसकी बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। अतः सरकार को इस समस्या को अविलम्बनीयता की भावना से निपटाना होगा उनकी बड़े पैमाने पर सहायता करनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारी मुस्लिम जाति को पिछड़ी जाति घोषित किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों में कुछ विशेष जातियों को पिछड़ा वर्ग

घोषित किया गया है। इसी प्रकार मुस्लिम जाति के पिछड़े लोगों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। जब हम किन्हीं आधारों पर किन्हीं जातियों को पिछड़ा वर्ग घोषित करते हैं तो उन्हीं आधारों पर मुस्लिम जाति के पिछड़े वर्ग को भी पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं घोषित करते।

श्री बी० वी० नायक : क्या आप मुसलमानों में भी चतुरवर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : चतुरवर्ण से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हमारे धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त में रुकावट डालने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। बुनकर, रिक्शावाले, बीड़ी कर्मचारी आदि जैसे मुसलमान जाति के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए तथा उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उनके मन में यह भावना नहीं आनी देनी चाहिए कि उनकी इसलिए उपेक्षा की जा रही है कि वे हिन्दू नहीं हैं। उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के समान ही माना जाना चाहिए।

गरीब मुसलमानों को मकान बनाने के लिए जगह देने के मामले में आरक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए जैसा कि हरिजनों के मामले में किया जाता है। जिन झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में मुसलमान रहते हैं उन्हें उठाते समय इन लोगों को विशेष तरजीह दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि उन मुसलमानों को शीघ्र ही मकानों के लिए जगह दी जाएगी जिनके घर तुर्कमान गेट की सफाई अभियान में नष्ट हो गए हैं। चूंकि यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना के अनुरूप है इसलिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल मुसलमानों के पुनर्वास के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मो० जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : चूंकि इस संकल्प पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है इसलिए इसके लिए नियत समय बढ़ाया जाना चाहिए ?

सभापति महोदय : कुछ भी हो इस पर आज चर्चा समाप्त नहीं हो सकती। समय बढ़ाने की बात तब सोची जाएगी। जब हम इस पर अगली बार चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुसलमानों की सरकारी नौकरियों सम्बन्धी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। अखिल-भारतीय मुस्लिम शिक्षा समाज के अध्यक्ष श्री पी० डी० अब्दुल गफूर के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की 11.2 प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की है। सरकारी नौकरियों में इनकी स्थिति इस प्रकार है : भारतीय प्रशासनिक सेवा 5.2 प्रतिशत; भारतीय विदेश सेवा 4.3 प्रतिशत तथा भारतीय पुलिस सेवा 3.2 प्रतिशत। कितनी दुख की बात है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं केवल 10 मिनट और लूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय: तो आप अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 अगस्त, 1976/1 भाद्र 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 23rd August, 1976/Bhadra 1, 1898 (Saka)

M683LSS/76—GIPF.